समेकित जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का प्रारूप

जलागम प्रबन्ध निदेशालय

राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी
जलागम प्रबन्ध निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

समेकित जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का प्रारूप

राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी
जलागम प्रबन्ध निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

विषय-सूची

क्रम0स0	विषय		पृष्ठ संख्या
1.	**परिवर्णी शब्द (एक्रोनिम)**		3
2.	**प्रस्तावना**		4–6
3.	**अध्याय–1**	परियोजना का परिचय	7–8
4.	**अध्याय–2**	जलागम विकास परियोजना–उद्देश्य एवं विधि	9
5.	**अध्याय–3**	उपलब्ध मानव व प्राकृतिक संसाधन	10–17
6.	**अध्याय–4**	परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य	18–24
7.	**अध्याय–5**	जलागम प्रबन्धन की व्यवस्था	25–26
8.	**अध्याय–6**	परियोजना की लागत एवं परिणाम	27–29
9.	**अध्याय–7**	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	30
10.	**परिशिष्ट–1**	वन क्षेत्रों का आच्छादन व चारा घास की आवश्यकता एवं उपलब्धता का मूल्यांकन	31
11.	**परिशिष्ट–2**	जलागम विकास निधि	32–33
12.	अनूसूचि–परियोजना रिपोर्ट के साथ लगाये जाने वाले मानचित्र		34–37
13.	**संलग्नक–1**	ग्राम पंचायत जलागम विकास कार्ययोजना का प्रारूप	38–99
14.	**संलग्नक– 2**	वार्षिक कार्य योजना का प्रारूप	100–122
15.	**संलग्नक– 3**	आरक्षित वन क्षेत्रों में परियोजना कार्य किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश	123–128

परिवर्णी शब्द (एक्रोनिम)

बी0पी0एल0	गरीबी रेखा से नीचे
सी0पी0आर0	सार्वजनिक सम्पत्ति संसाधन
डी0पी0आर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डी0डब्ल्यू0डी0यू0	जिला वाटरशेड विकास इकाई
जी0आई0एस0	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जी0पी0	ग्राम पंचायत
जी0पी0एस0	ग्लोबल पोजिसनिंग सिस्टम
आई0ई0सी0	सूचना, शिक्षा और संचार
आई0टी0	सूचना प्रौद्योगिकी
आई0डब्ल्यू0एम0पी0	समेकित जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम
जे0एफ0एम0सी0	संयुक्त वन प्रबंधन समिति
एम0ओ0यू0	समझौता ज्ञापन
एन0जी0ओ0	गैरसरकारी संगठन
एन0एल0एन0ए0	राष्ट्र स्तरीय नोडल एजेन्सी
एम0जी0एन0आर0ई0जी0एस0	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना
पी0आई0ए0	परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सी
पी0आर0ए0	सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन
एस0सी0	अनुसूचित जाति
एस0एच0जी0	स्व सहायता समूह
एस0टी0	अनुसूचित जनजाति
एस0एल0एन0ए0	राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी
यू0जी0	प्रयोक्ता समूह
डब्ल्यू0 डब्ल्यू0एम0सी0	जल एवं जलागम प्रबन्ध समिति
डब्ल्यू0डी0एफ0	जलागम विकास निधि
डब्ल्यू0डी0टी0	जलागम विकास दल

निम्नलिखित क्रियाकलाप परियोजना क्षेत्रान्तर्गत कर सकेंगें।

- ❖ प्राकृतिक संसाधनों को पुनः उपयोग योग्य बनाना।
- ❖ पेयजल की उपलब्धता बढ़ाना।
- ❖ जल ग्रहण संरचनाओं (जैसे गांव के टैंक इत्यादि) से पूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु उनकी मरम्मत करना।
- ❖ कृषि प्रणालियों की उत्पादकता का सम्बर्द्धन करना।
- ❖ पर्यावरण विकास, जागरुकता सृजन, सघन सूचना क्रियाकलाप शुरु करना, सहभागिता तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना।

7. **परियोजना निर्माण में सहभागिताः**— परियोजना निर्माण में ग्राम समुदायों के सभी वर्गो यथा महिला, भूमिहीन, अनुसूचित जाति तथा जनजाति आदि का विशेश रुप से भागीदारी सुनिश्चित करना। **प्रारम्भिक चरण की विस्तृत कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में समान मार्गदर्शी सिद्धान्त–2008 के बिन्दु 8.1 के पैरा 50 में स्पष्ट रुप से दिए गये हैं।**

8. **ग्राम पंचायत जलागम विकास योजना (GPWDP):**— प्रत्येक ग्राम पंचायत के अन्तर्गत राजस्व ग्रामों की अलग–अलग जलागम विकास योजनाओं को संकलित कर ग्राम पंचायत जलागम विकास योजना तैयार की जायेगी। ग्राम पंचायत जलागम विकास कार्य योजना को ग्राम सभा द्वारा पारित करने के उपरांत ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जायेगी। **(ग्राम पंचायत जलागम विकास कार्य योजना तैयार किये जाने हेतु प्रारूप संलग्नक – 1)**

9. **विस्तृत परियोजना रिपोर्टः**— विस्तृत परियोजना रिपोर्ट परियोजना क्षेत्र में सम्मिलित समस्त ग्राम पंचायतों की योजनाओं का समावेश होगा। अतः डी0पी0आर0 तैयार करने के लिये एक ठोस सहभागी ग्रामीण मूल्याकंन (पी0आर0ए0) प्रक्रिया और निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के विकास हेतु आधारभूत आंकड़ा से लिंकेज के साथ अलग–अलग रुप में व्यापक लाभार्थी सूचना आधार तैयार किया जायेगा। **(समान मार्गदर्शी सिद्धान्त–2008 के बिन्दु 8.1 के पैरा 52 से 58 तक में स्पष्ट रुप से दिए गये हैं।**

10. **वार्षिक कार्ययोजनाः**— विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के पश्चात भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप के अनुसार वार्षिक कार्ययोजना (Annual Action Plan) तैयार की जायेगी। **(प्रारूप संलग्नक – 2)**

11. परियोजना निरुपण, क्रियान्वयन तथा समेकन हेतु समय सारिणीः—

	चरण	कार्य	समय अवधि
1	प्रारम्भिक चरण – नियोजन	❖ पी0आई0ए0 का चयन ❖ क्षेत्र सर्वेक्षण ❖ सभी स्तरों पर क्षमता विकास एवं जागरुकता ❖ जलागम विकास दल का गठन ❖ जलागम समिति का गठन तथा पंजीकरण ❖ पी0आर0ए0 पद्धति से योजना निरुपण के सम्बन्ध में प्रशिक्षण ❖ डी0पी0आर0 ❖ प्रारम्भिक क्रियाकलाप	1 वर्ष

प्रस्तावना

प्रत्येक कार्य की सफलता एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु उसे चार सोपानों (1) योजना (Planning) (2) प्रबन्धन (Management) (3) नियन्त्रण (Controlling) (4) मूल्यांकन (Monitoring) के माध्यम से चलाया जाना आवश्यक है। जलागम प्रबन्ध परियोजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक विस्तृत योजना तैयार की जानी है, जिससे कि उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से क्रियान्वयन किया जा सके। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) जिला स्तर पर चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा जलागम विकास दल (WDT) की सहायता से तैयार की जाएगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व प्रत्येक ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायत जलागम विकास योजना (GPWDP) तैयार की जायेगी। समान मार्गदर्शी सिद्धान्त–2008 के अनुरूप विभिन्न संस्थाओं की भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों की व्यवस्था दी गई है। अतः समान मार्गदर्शी सिद्धान्त–2008 के बिन्दु–8 (49–63) के अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। योजना तैयार करते समय निम्न सूचनाओं का समावेश आवश्यक है:–

1. **जलागम विकास दल का गठनः**– डी0डब्ल्यू0डी0यू0 (DWDU) द्वारा चयनित कार्यदायी संस्था सर्वप्रथम जलागम विकास दल (WDT) का गठन करेगी, प्रत्येक जलागम विकास दल में मुख्यतः कृषि, मृदा विज्ञान, जल प्रबन्धन एवं सामाजिक प्रबन्धन तथा संस्थागत निर्माण में जानकारी और अनुभव रखने वाले कम से कम चार सदस्य होने चाहिए तथा एक महिला सदस्य होनी चाहिए। **(डब्ल्यू0डी0टी0 की भूमिका और उत्तरदायित्व समान मार्गदर्शी सिद्धान्त–2008 के बिन्दु 5.4 के पैरा 41 में स्पष्ट रुप से किये गये हैं।)**

2. **जलागम समिति का गठनः**– ग्राम सभा जलागम विकास दल की तकनीकी सहायता से जलागम परियोजना कार्यान्वित करने के लिए गांव में जलागम समिति गठित करेगी। जलागम समिति का सचिव वैतनिक कार्यकर्ता होगा तथा इसमें कम से कम दस सदस्य होंगे, जिनमें से आधे सदस्य गांव में स्वयं सहायता समूह तथा प्रयोक्ता समूहों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा भूमिहीन व्यक्तियों के प्रतिनिधि होंगे **(जलागम समिति का विस्तृत उल्लेख समान मार्गदर्शी सिद्धान्त–2008 के बिन्दु 6.3 के पैरा 44 व 45 में स्पष्ट रुप से उद्धृत किये गये हैं)।**

3. **जलागम उप समिति का गठनः**– जहाँ एक पंचायत में एक से अधिक गांव सम्मलित हो वहां वे सम्बन्धित गांव में जलागम विकास परियोजना के प्रबन्धन हेतु प्रत्येक गांव के लिये एक पृथक जलागम उप समिति गठित की जायेगी।

4. **ग्राम पंचायत जलागम विकास परियोजनाः**– जहाँ एक जलागम योजना में एक से अधिक पंचायतें शमिल होंगी वह प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये अलग से समितियां गठित की जायेंगी। **(सचिव जलागम समिति तथा ग्राम पंचायत की भूमिकाओं का विस्तृत उल्लेख समान मार्गदर्शी सिद्धान्त–2008 के बिन्दु 6.4 के पैरा 46 तथा बिन्दु 6.5 के पैरा 47 में स्पष्ट रुप से दिए गये हैं)।**

5. **आरक्षित वन क्षेत्र का चयनः**– वन पंचायतों द्वारा जल संरक्षण, जल संवर्द्धन एवं मृदा संरक्षण हेतु क्षेत्र उपचार का कार्य समीपस्थ आरक्षित वन क्षेत्रों को भी परियोजना में सम्मिलित किया जा सकता हैं **(शासनादेश संख्या 3968/X–2–2009–12 (9)/2006 टी0सी0),** सम्मिलित क्षेत्र की कार्ययोजना प्रभागीय वनाधिकारी एवं परियोजना अधिकारी के तकनीकी एवं वित्तीय मार्गनिर्देशन से तैयार की जायेगी तथा आरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत जलागम विकास के कार्य उस कम्पाटमेन्ट में वनविभाग की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के अनुसार किये जायेगें। आरक्षित वन क्षेत्रफल को निकटवर्ती ग्राम पंचायतों की कार्ययोजना में सम्मिलित किया जायेगा।

6. **प्रारम्भिक गतिविधियांः**– प्रारम्भिक चरण में पी0आई0ए0 तथा डब्ल्यू0डी0टी0 अपनी विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु

निम्नलिखित क्रियाकलाप परियोजना क्षेत्रान्तर्गत कर सकेंगें।

- ❖ प्राकृतिक संसाधनों को पुनः उपयोग योग्य बनाना।
- ❖ पेयजल की उपलब्धता बढ़ाना।
- ❖ जल ग्रहण संरचनाओं (जैसे गांव के टैंक इत्यादि) से पूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु उनकी मरम्मत करना।
- ❖ कृषि प्रणालियों की उत्पादकता का सम्बर्द्धन करना।
- ❖ पर्यावरण विकास, जागरुकता सृजन, सघन सूचना क्रियाकलाप शुरु करना, सहभागिता तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना।

7. **परियोजना निर्माण में सहभागिताः**— परियोजना निर्माण में ग्राम समुदायों के सभी वर्गो यथा महिला, भूमिहीन, अनुसूचित जाति तथा जनजाति आदि का विशेश रुप से भागीदारी सुनिश्चित करना। **प्रारम्भिक चरण की विस्तृत कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में समान मार्गदर्शी सिद्धान्त–2008 के बिन्दु 8.1 के पैरा 50 में स्पष्ट रुप से दिए गये हैं।**

8. **ग्राम पंचायत जलागम विकास योजना (GPWDP):**— प्रत्येक ग्राम पंचायत के अन्तर्गत राजस्व ग्रामों की अलग–अलग जलागम विकास योजनाओं को संकलित कर ग्राम पंचायत जलागम विकास योजना तैयार की जायेगी। ग्राम पंचायत जलागम विकास कार्य योजना को ग्राम सभा द्वारा पारित करने के उपरांत ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जायेगी। **(ग्राम पंचायत जलागम विकास कार्य योजना तैयार किये जाने हेतु प्रारूप संलग्नक – 1)**

9. **विस्तृत परियोजना रिपोर्टः**— विस्तृत परियोजना रिपोर्ट परियोजना क्षेत्र में सम्मिलित समस्त ग्राम पंचायतों की योजनाओं का समावेश होगा। अतः डी0पी0आर0 तैयार करने के लिये एक ठोस सहभागी ग्रामीण मूल्याकंन (पी0आर0ए0) प्रक्रिया और निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के विकास हेतु आधारभूत आंकड़ा से लिंकेज के साथ अलग–अलग रुप में व्यापक लाभार्थी सूचना आधार तैयार किया जायेगा। **(समान मार्गदर्शी सिद्धान्त–2008 के बिन्दु 8.1 के पैरा 52 से 58 तक में स्पष्ट रुप से दिए गये हैं।**

10. **वार्षिक कार्ययोजनाः**— विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के पश्चात भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप के अनुसार वार्षिक कार्ययोजना (Annual Action Plan) तैयार की जायेगी। **(प्रारूप संलग्नक – 2)**

11. परियोजना निरुपण, क्रियान्वयन तथा समेकन हेतु समय सारिणीः—

	चरण	कार्य	समय अवधि
1	प्रारम्भिक चरण – नियोजन	❖ पी0आई0ए0 का चयन ❖ क्षेत्र सर्वेक्षण ❖ सभी स्तरों पर क्षमता विकास एवं जागरुकता ❖ जलागम विकास दल का गठन ❖ जलागम समिति का गठन तथा पंजीकरण ❖ पी0आर0ए0 पद्धति से योजना निरुपण के सम्बन्ध में प्रशिक्षण ❖ डी0पी0आर0 ❖ प्रारम्भिक क्रियाकलाप	1 वर्ष

2	द्वितीय चरण – क्रियान्वयन	❖ जलागम विकास कार्यो का क्रियान्वयन ❖ जीविकोपार्जन सम्बन्धी क्रियाकलाप ❖ उत्पादन प्रणाली तथा अति लघु उद्यम ❖ सभी स्तरों पर क्षमता विकास एवं जागरुकता ❖ सहभागी मूल्यांकन एवं अनुश्रवण ❖ जलागम विकास निधि	3 वर्ष
3	तृतीय चरण – समेकन	❖ सभी स्तरों पर क्षमता विकास एवं जागरुकता ❖ सहभागी मूल्यांकन एवं अनुश्रवण ❖ परियोजना प्रबन्धन एवं समेकन	1 वर्ष

12. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का प्रारुप

रूपरेखाः–

I. विषय सूची

II. प्राक्कथन

III. परियोजना सारांश (Executive summary)

प्रमुख अध्याय

1. परियोजना का परिचय।
2. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन–उद्देश्य एवं विधि
3. मानव संसाधन
4. परियोजना के अर्न्तगत प्रस्तावित कार्य
5. जलागम प्रबन्धन की व्यवस्था
6. परियोजना कि लागत एवं लाभ
7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के विषय एवं गतिविधियां

अनुसूची

1. कार्यदायी संस्था का विवरण, तथा विभाग/एन0जी0ओ0 का नाम पता/तकनीकी तथा विषयवस्तु विशेषज्ञ कार्मिकों का विवरण आदि।
2. सूचनाओं के श्रोत संस्थाओं एवं दस्तावेजो का संदर्भ।
3. विभिन्न कार्य मदों के अन्तर्गत मानक दरों का आधार, तकनीकी संरचनाओं तथा मापदण्डों का अभिलेखीकरण।
4. वित्तीय प्रबन्धन तथा सहमति पत्र आदि के प्रालेख।
5. मानचित्र (कैडस्ट्रल मैप, जलागम क्षेत्र, ड्रेनेंज मैप, भूमि उपयोग आदि)

नोट : समस्त जिलों की आई0डब्ल्यू0एम0पी0 हेतु योजना तैयार करने में समरूपता बनाये रखने के लिए समान सूचना श्रोतों का उपयोग किया जाए, ताकि परियोजनाओं के सम्भावित लाभों का आंकलन करने पर एकरूपता बनी रहें।

अध्याय-1

परियोजना का परिचय

1.1 जलागम क्षेत्रों का विवरणः– क्षेत्रों की स्थिति, जिला, तहसील, विकासखण्ड, गांवों की स्थिति, व संक्षिप्त इतिहास, अक्षांश–देशान्तर, क्षेत्रफल भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु वर्षा तापमान, हिमपात, ढाल, भूमि का प्रकार, इत्यादि।

1.2 जलागम क्षेत्र का मानचित्रः– इस मानचित्र में प्रमुख नदी/गधेरे, सड़क, सम्पर्क मार्ग, प्रमुख स्थल तथा स्कूल, मन्दिर आदि परिलक्षित हों।

1.3 जलागम क्षेत्र की जनसांख्यिकीय रुपरेखाः– ग्राम पंचायत एवं राजस्व ग्रामवार जनसंख्या, परिवारों, महिला, पुरूष साक्षरता आदि का विवरण।

तालिकाः–1.1

क्रम० सं०	सूक्ष्म जलागम क्षेत्र का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	परिवारों की सं०	पुरूष	महिला	कुल जनसंख्या	साक्षर पुरूष	साक्षर महिला	कुल साक्षरता	सामान्य परिवार सं०	सामान्य जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
योग												

सामान्य साक्षर जनसंख्या	अनुसूचित परिवार सं0	अनुसूचित जनसंख्या	अनुसूचित साक्षर जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति परिवार सं0	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति साक्षर जनसंख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग परिवार सं0	अन्य पिछड़ा वर्ग जनसंख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग साक्षर जनसंख्या
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
योग									

सूचना का श्रोत_____

1.4 आर्थिक स्थिति/परियोजना क्षेत्र के ग्रामवार आर्थिक स्थिति का विवरण

ग्रामों में विभिन्न वर्गो के प्रति परिवार औसत वार्षिक आय :– **तालिका:–1.2**

क0सं0	सूक्ष्म जलागम क्षेत्र	ग्राम पंचायत का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	किसान आय रू0 में (परिवारों की सं0)	मजदूर आय रू0 में (परिवारों की सं0)	व्यापारी आय रू0 में (परिवारों की सं0)	नौकरी आय रू0 में (परिवारों की सं0)	कारीगर आय रू0 में (परिवारों की सं0)	कुल आय रू0 में (परिवारों की सं0)	बी0पी0एल0 परिवारों की सं0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
योग										

सूचना का श्रोत_____

1.5 **जनसुविधायें:** प्राथमिक विद्यालय, पोस्ट ऑफिस, इण्टर कॉलेज, स्वैच्छिक संस्था, अन्य संस्थान, बाजार, बैंक, चिकित्सालय जैसी सुविधाओं का विवरण दिया जाएगा।

1.6 **सम्पर्क मार्ग** : क्षेत्र में आवागमन हेतु सम्पर्क मार्गो का विवरण दिया जाना आवश्यक है यथा पक्की मोटर रोड़, खच्चर मार्ग, पैदल मार्ग, पृथक–पृथक संकेतो द्वारा मानचित्र में दर्शाये जाय।

1.7 **जलागम क्षेत्र की समस्यायें** : खाद्यान्न, पेयजल, सिंचाई, रोजगार, युवा पलायन, चारा एवं ईधंन, भूस्खलन, महिलाओं पर कार्य का बोझ, मृदा–क्षरण, प्राकृतिक आपदायें आदि समस्याओं का संक्षिप्त विवरण दिया जाएगा (विषय विशेष सम्बन्धी सूचनाओं का संकलन सर्वेक्षण के आधार पर दिया जाना है)।

अध्याय- 2

जलागम विकास परियोजना - उद्देश्य एवं विधि

2.1 **उद्देश्यः** जलागम क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर ग्रामीणों की काफी निर्भरता हैं मुख्यतः भूमि, पानी, पशु और वन ऐसे संसाधन है जो कि ग्रामीण जीवन के आधार है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य जलागम क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा जल, जंगल, जमीन का उचित प्रबंधन एवं मूलभूत आवश्यकताओं जैसे अन्न, ईधंन, चारा, पानी और रोजगार आदि की आपूर्ति तथा निरंतर विकास सुनिश्चित करना है, जिससे क्षेत्र में एक न्यायोचित एवं सत्त विकास की नींव रखी जा सके, का उल्लेख किया जायेगा।

2.2 **विशिष्ट उद्देश्यः** स्वालम्बी गाँव, कमजोर वर्ग का सशक्तिकरण, सामुदायिक संगठनों के द्वारा प्रबंधन, स्थायी विकास एवं विकेन्द्रीत निर्णय प्रक्रिया, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, न्यायपूर्ण लाभ वितरण व्यवस्था, निर्मित परिसम्पत्तियों का कुशल प्रबंधन एवं रख–रखाव का विवरण दिया जाएगा।

2.3 **कार्यक्रम के सिद्धांतः** समानता और महिलाओं की भागीदारी, विकेन्द्रीकरण, सुविधाप्रदाता एजेसियों, सामुदायिक भागीदारी का केन्द्रबिन्दु, क्षमता निर्माण तथा प्रौद्योगिकीय निविष्टियॉ, निगरानी, मूल्यांकन और ज्ञार्नाजन, संगठनात्मक पुर्नसंरचना का विवरण दिया जाएगा।

2.4 **परियोजना नियोजन विधिः** विस्तृत परियेाजना रिपोर्ट परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त ग्रामों की ग्राम पंचायत जलागम विकास योजनाएं तैयार करने के उपरांत संकलित की जायेगी। ग्राम पंचायत जलागम विकास योजना का निरुपण एक ठोस सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (PRA) विधि से किया जाएगा।

2.5 **परियोजना समेकन :–** समेकन की कार्ययोजना का विवरण दिया जाएगा।

अध्याय- 3

उपलब्ध मानव व प्राकृतिक संसाधन

I. मानव संसाधन

3.1 जलागम गाँवों में रोजगार की उपलब्धता (मानव दिवस में)

तालिका : 3.1

क्र0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	परिवारों की संख्या	परिवार में 18 से 60 वर्ष के सदस्यों की संख्या	रोजगार की उपलब्धता			स्वरोजगार व मजदूर को उपलब्ध मानव दिवस	रोजगार की आवश्यकता (मानव दिवस)
				स्वरोजगार	मजदूरी	नियोजित		
1	2	3	4	5	6		7	8
योग								

सूचना का श्रोत_____

3.2 जलागम क्षेत्र में गाँवों में विगत 10 वर्षो के अन्तर्गत पलायन का स्तर :

तालिका 3.2

क्र0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	वर्तमान जीविकोपार्जन संसाधन	परियोजना के माध्यम से सम्भवित जीविकोपार्जन संसाधन	पलायित सदस्यों की संख्या	पलायन के मुख्य कारक
1	2	3	4	5	6
योग					

सूचना का श्रोत_____

II. प्राकृतिक संसाधन

3.3 जलः जलागम क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा (मि0मी0 में)

तालिका 3.3

माह / वर्ष	वर्षा (मि. मी.)
जून	
जुलाई	
अगस्त	
सितम्बर	
अक्टूबर	
नवम्बर	
दिसम्बर	
जनवरी	
फरवरी	
मार्च	
अप्रैल	
मई	
कुल	

सूचना का श्रोत_____

3.4 परियोजना क्षेत्र में विगत 10 वर्षो के बाढ़ एवं सूखे आदि दैवीय आपदाओं का विवरण

तालिका : 3.4

क्र0 स0	सूक्ष्म जलागम क्षेत्र का नाम	विवरण	विकासखण्ड का नाम	राजस्व ग्रामों का विवरण	अवधि		आपदाओं का प्रभाव (सारांश में)
					वार्षिक	अन्य कमी (समय इंगित करें)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		बाढ़		गाँवों की संख्या			
				गांवों के नाम			
2.		सूखा		गांवों की संख्या			
				गांवों के नाम			
3.		ओला वृष्टि		गांवों की संख्या			
				गांवों के नाम			
4.		भूस्खलन		गांवों की संख्या			
				गांवों के नाम			
5.		भूकम्प		गांवों की संख्या			
				गांवों के नाम			
6.		वज्रपात		प्रभावित परिवार			
		-					
7.		सड़क दुर्घटना		(पहाड़ी मार्ग में)			

3.5.1 जलागम गाँवों में उपलब्ध जल संसाधन :

तालिकाः 3.5 (1)

क्र0 सं0	राजस्व ग्राम	श्रोत/धारा संख्या	स्टेन्ड पोस्ट संख्या	हौज संख्या	तालाब संख्या	चाल/खाल संख्या	गूल (मीटर में)	अन्य	अभ्युक्ति (कार्यशील या बेकार)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
योग									

सूचना का श्रोत_____

3.5.2. जलागम गाँवों में उपलब्ध जल संसाधन : श्रोत/धारा

तालिका : 3.5 (2)

क0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	श्रोत/धाराओं की संख्या तथा क्षमता का विवरण						उपयोग की स्थिति–सिंचाई, पेयजल आदि
		कुल संख्या	श्रोत/ धारा का नाम	12 माह उपयोगी	9 माह तक	6 माह तक	3 माह से कम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
योग								

सूचना का श्रोत_____

3.5.3. जलागम गाँवों में उपलब्ध जल संसाधन : स्टैन्ड पोस्ट

तालिका : 3.5 (3)

क0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	स्टैन्ड पोस्ट की संख्या तथा क्षमता का विवरण					उपयोग की स्थिति–सिंचाई, पेयजल आदि
		कुल संख्या	12 माह उपयोगी	9 माह तक	6 माह तक	3 माह से कम	
1	2	3	4	5	6	7	8
योग							

सूचना का श्रोत_____

3.5.4. जलागम गाँवों में उपलब्ध जल संसाधन : हौज

तालिका : 3.5 (4)

क0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	हौज की संख्या तथा क्षमता का विवरण					उपयोग की स्थिति–सिंचाई, पेयजल आदि
		कुल संख्या	12 माह उपयोगी	9 माह तक	6 माह तक	3 माह से कम	
1	2	3	4	5	6	7	8
योग							

सूचना का श्रोत_____

3.5.5. जलागम गाँवों में उपलब्ध जल संसाधन : तालाब

तालिकाः 3.5 (5)

क0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	तालाब की संख्या तथा क्षमता का विवरण					उपयोग की स्थिति–सिंचाई, पेयजल आदि
		कुल संख्या	12 माह उपयोगी	9 माह तक	6 माह तक	3 माह से कम	
1	2	3	4	5	6	7	8
योग							

सूचना का श्रोत_____

3.5.6. जलागम गाँवों में उपलब्ध जल संसाधन : चाल/खाल

तालिका : 3.5 (6)

क0सं0	राजस्व ग्राम का नाम	चाल/खाल की संख्या तथा क्षमता का विवरण					उपयोग की स्थिति–सिंचाई, पेयजल आदि
		कुल संख्या	12 माह उपयोगी	9 माह तक	6 माह तक	3 माह से कम	
1	2	3	4	5	6	7	8
योग							

सूचना का श्रोत_____

3.5.7. जलागम गाँवों में उपलब्ध जल संसाधन : गूल

तालिका : 3.5 (7)

क0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	गूल की संख्या तथा क्षमता का विवरण			उपयोग की स्थिति–सिंचाई, पेयजल आदि
		गूल की लम्बाई (मीटर में)	उपयोग में लाये जाने वाले महीनों की संख्या	सिंचाई क्षमता (है0) में	
1	2	3	4	5	6
योग					

सूचना का श्रोत_____

3.5.8. जलागम गावों में उपलब्ध अन्य जल संसाधन (अगर कोई अन्य जल संसाधन है तो उसका वर्णन तालिका के माध्यम से किया जाय)

तालिका : 3.5 (8)

क्र0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	अन्य जल संसाधन का विवरण (क्षमता/संख्या)
योग		

सूचना का श्रोत _____

3.5.9. जलागम गाँव में उपलब्ध जल संसाधनों के पर्याप्तता की स्थिति – जलागम ग्राम के जल संसाधनों एवं उनमें उपलब्ध जल तथा ग्रामीणों की विभिन्न कार्य हेतु जल आवश्यकता एवं जल संसाधनों से उनकी प्रतिशत पूर्ति का विवरण निम्न तालिका में दिया जाय ।

तालिका : 3.5 (9)

क0 सं0	जल संसाधन स्रोत	जलागम ग्राम में वास्तविक जल की आवश्यकता (KLD)			जलागम ग्राम में उपलब्ध जल संसाधना जल पूर्ति (KLD)/%			जलागम ग्रामों में जल की कमी (KLD)/%			टिप्पणी
		सिंचाई	पेयजल	अन्य उपयोग	सिंचाई	पेयजल	अन्य उपयोग	सिंचाई	पेयजल	अन्य उपयोग	
1	श्रोत/धारा										
2	स्टैन्ड पोस्ट										
3	हौज										
4	तालाब										
5	चाल/खाल										
6	गूल										
7	अन्य										

3.6 जलागम गाँवों में वर्तमान भूमि उपयोग (क्षेत्रफल – हैक्टेयर में)

तालिका : 3 6

क0 सं0	ग्राम पंचायत का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	कुल भौ0 क्षेत्र	वन क्षेत्र	कृषि भूमि		बंजर भूमि	घास/ चारागाह	चट्टानी	अन्य भूमि	उपचार हेतु चयनित क्षेत्रफल
					सिंचित	असिंचित					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
योग											

सूचना का श्रोत_____

3.7 (अ) जलागम में फसल चक्र एवं उत्पादकता (कुन्तल प्रति हैक्टेयर में)

तालिकाः 3.7

	सिंचित				असिंचित			
	फसल	क्षेत्रफल (है0)	उत्पादकता	कुल क्षेत्रफल (है0)	फसल	क्षेत्रफल (है0)	उत्पादकता	कुल क्षेत्रफल (है0)
खरीफ	धान				धान			
					मंडुवा			
					झंगोरा			
					दाल			
रबी	गेहूँ				गेहूँ			
					सरसों			
जायद								
योग								

सूचना का श्रोत_____

3.7 (ब) कृषि के अन्तर्गत भूमि उपयोग–

क्र0 सं0	भूमि उपयोग	क्षेत्रफल (है0)		* फसल सघनता %
		कृषि भूमि	कुल वार्षिक फसल	
1	सिंचित –			
	(अ) एक फसली			
	(ब) द्विफसली			
	(स) त्रिफसली			
2	असिंचित–			
	(अ) आकस्मिक फसली			
	(ब) एक फसली			
	(स) द्विफसली			
	(द) त्रिफसली			

***फसल सघनता प्रतिशत = (कुल वार्षिक फसल क्षेत्रफल / कुल कृर्षि भूमि क्षेत्र) x100**

3.8 गांव में भूमि विभाजन की स्थिति :

तालिका : 3.8

क0 स0	राजस्व ग्राम का नाम	सीमान्त (0.5 से कम)		लघु कृषक (0.5 से 1.0 है0)		अर्द्ध मध्यम (1.1 से 4.0 है0)		मध्यम (4.1 से 10.0 है0)		वृहत 10 है0 से ऊपर)		कुल		भूमिहीन सं0
		-	क्षे0	सं0	क्षे0	सं0	क्षे0	सं0	क्षे0	सं0	क्षे0	सं0	क्षे0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
योग														

सूचना का श्रोत_____

3.9 जलागम गाँवों के समीप वन क्षेत्रों का आच्छादन

3.9.1 जलागम गाँवों के समीप आरक्षित वन क्षेत्रों का आच्छादन

तालिका :3.9 (1)

राजस्व ग्राम	आरक्षित वन क्षेत्र (है0)	आच्छादन * (हैक्टेयर में)				मुख्य वृक्ष प्रजातियां के नाम
		बहुत कम	कम	मध्यम	अच्छा	
1	2	3	4	5	6	7
योग						

* आच्छादन :– बहुत कम : < 25%, कम : 25 - 50%, मध्यम : 51 – 70 %, अच्छा : >70%

3.9.2 जलागम गाँवों के वन पंचायत/सिविल सोयम वन आच्छादन

तालिका : 3.9 (2)

राजस्व ग्राम	अन्य वन क्षेत्र (पंचायत/सिविल सोयम वन है0 में)	आच्छादन * (हैक्टेयर में)				मुख्य वृक्ष प्रजातियां के नाम
		बहुत कम	कम	मध्यम	अच्छा	
1	2	3	4	5	6	7
योग						

* आच्छादन :– बहुत कम : < 25%, कम : 25 - 50%, मध्यम : 51 – 70%, अच्छा : >70%

वन क्षेत्रों का आच्छादन का आकंलन परिशिष्ट–1 के अनुसार किया जाय।

3.10 जलागम गाँवों में उपलब्ध ईधन के स्रोत

तालिका : 3.10

राजस्व ग्राम	कुल परिवारों की संख्या	कुल ईधन की आवश्यकता*	रसोई गैस प्रयोग करने वाले परिवारों की संख्या	लकड़ी द्वारा संचालित चुल्हा उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या	ईधंन लकड़ी का स्रोत	अभ्युक्ति (अन्य श्रोत सौर ऊर्जा इत्यादि)
1	2	3	4	5	6	7
योग						

*नोटः आवश्यकता का आंकलन प्रति परिवार 3.6 मी0टन0 प्रतिवर्ष ईधन से करेंगे।

सूचना का श्रोत_____

3.11 जलागम गाँवों में कुल पशुधन

तालिका : 3.11

राजस्व ग्राम	बड़े पशुधन				अन्य		कुकुट
	गाय	बैल	भैंस	खच्चर	बकरी	भेड	
1	2	3	4	5	6	7	8
योग							

सूचना का श्रोत_____

3.12 जलागम गाँवों में दुध की उपलब्धता

तालिका : 3.12

राजस्व ग्राम	परिवारों की संख्या	दुध उत्पादित करने वाले पशुओं की संख्या		कुल औसत दुध उत्पादन/लैक्टेशन (लीटर)	
		गाय	भैंस	गाय	भैंस
1	2	3	4	5	6
योग					

सूचना का श्रोत_____

3.13 जलागम गाँवों में उपलब्ध चाराघास

तालिका : 3.13

राजस्व ग्राम	चाराघास की कुल आवश्यकता (मी0 टन)	चाराघास का वर्तमान में कुल उत्पादन (मी0 टन)	चारे की कुल कमी (मी0 टन)
1	4	2	3
योग			

सूचना का श्रोत_____

गाँव में चाराघास की आवश्यकता एवं उत्पादन का आकंलन परिशिष्ट–1 के अनुसार किया जाय।

3.14 गांव की भौगोलिक स्थिति :–विभिन्न जल श्रोत, आरक्षित वन, पंचायती वन, स्कूल, चिकित्सालय, तोक, खेत इत्यादि को मानचित्र पर परिलक्षित करे। उदाहरण के लियेः–

गाँव का आर्थिक एवं सामाजिक संसाधन मानचित्र

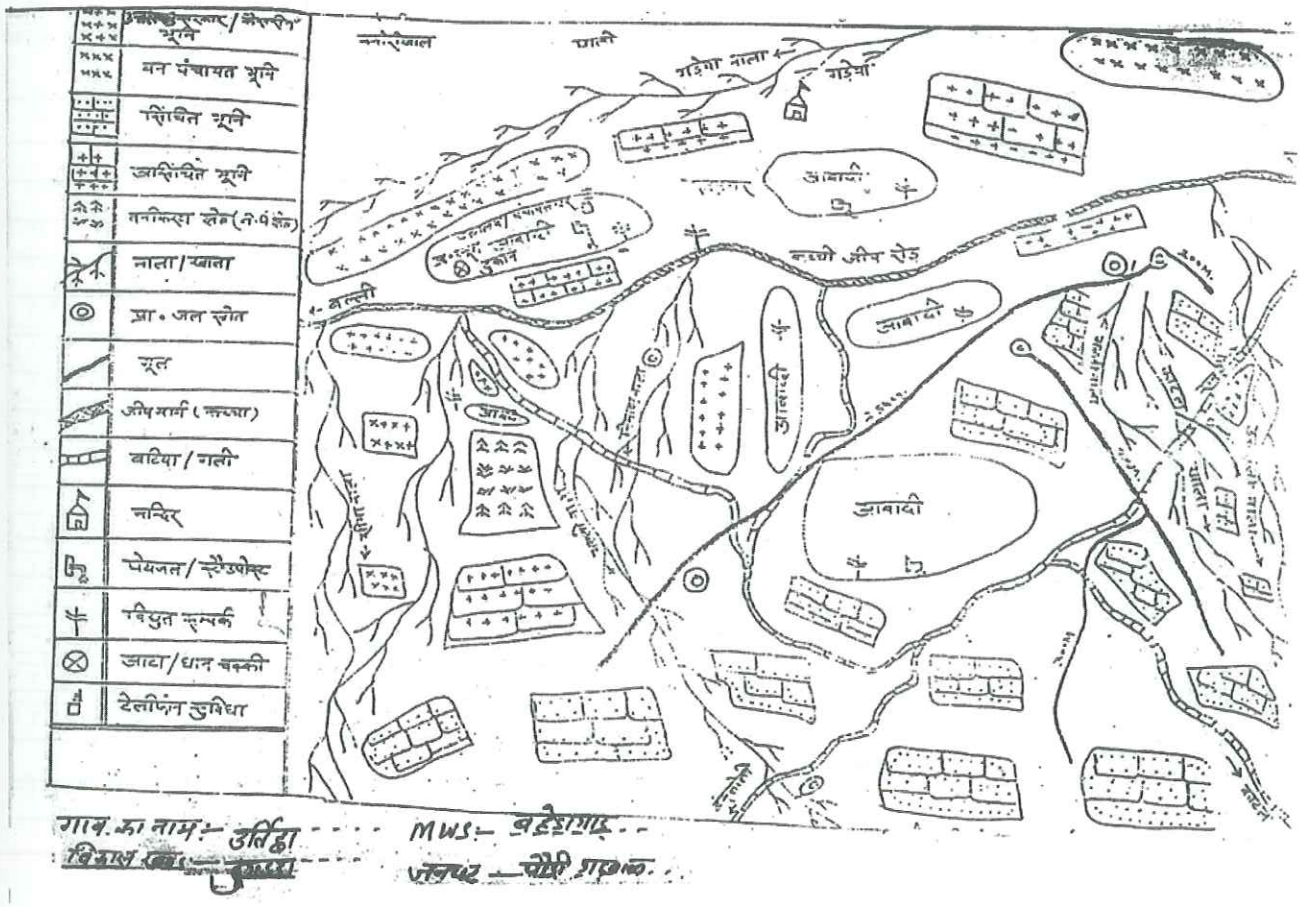

अध्याय- 4

परियोजना के अर्न्तगत प्रस्तावित कार्य

4.1 परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की सूची :–

चयनित क्षेत्रफल (क्षे0)

कुल धनराशि (रू0)

तालिका : 4.1

क0 सं0	प्रस्तावित गतिविधियां	इकाई	संख्या / मात्रा	ग्राम पंचायत का नाम (संख्या / मात्रा)
अ	**जलागम विकास कार्य (56%)**			
1	**जल संरक्षण, सम्बर्द्धन एवं संग्रहण हेतु कार्य**			
1.1	पेयजल टैंक	घन0मी0 / सं0		
1.2	वर्षा जल एकत्रीकरण टैंक	घन0मी0 / सं0		
1.3	सिंचाई टैंक	घन0मी0 / सं0		
1.4	गहरा छनित जल कुऑ	घन0मी0 / सं0		
1.5	चाल / खाल / तालाब जीर्णोद्धार	घन0मी0 / सं0		
1.6	गूल (नई)	मीटर / सं0		
1.7	पाइप लाइन (नई)	मीटर / सं0		
1.8	अन्य			
2	**भूमि संरक्षण हेतु कार्य**			
2.1	कंटूर ट्रेंच	है0 / सं0		
2.2	लूज बोल्डर चैक डैम	घन0मी0 / सं0		
2.3	केटवायर चैकडैम	घन0मी0 / सं0		
2.4	वानस्पतिक चैक डैम	घन0मी0 / सं0		
2.5	गतिरोधक दीवार	घन0मी0 / सं0		
2.6	पुस्ता मरम्मत कार्य	घन0मी0 / सं0		
2.7	अन्य			

3	**सामुदायिक कार्य**			
3.1	पौधशाला निर्माण	संख्या		
3.2	वृक्षारोपण	है0		
3.3	चारागाह विकास	है0		
3.4	ईधन प्रजाति की पौध का रोपण	है0		
3.5	पशु स्वास्थ्य सुधार	संख्या		
3.6	नस्ल सुधार कार्य	संख्या		
3.7	अन्य			
4	**व्यक्तिगत भूमि हेतु कार्य**			
4.1	पौधशाला निर्माण	संख्या		
4.2	कृषि टैरेसस मरम्मत	है0		
4.3	स्टांल फीडिंग कार्यक्रम	संख्या		
4.4	अन्य			
5	**वैकल्पिक ऊर्जा हेतु कार्य**			
5.1	गोबर गैस प्लान्ट	संख्या		
5.2	सौर ऊर्जा	संख्या		
5.3	पाइन ब्रिकेटिंग मशीन	संख्या		
5.4	घराट उच्चीकरण	संख्या		
5.5	अन्य			
ब – आजीविका सम्बन्धी कार्य (9%)				
6.1	पशुपालन सम्बन्धी आय–अर्जक गतिविधियां (दुग्ध, कुक्कुट पालन, बकरी पालन)	संख्या		
6.2	अन्य जीविकोपार्जन गतिविधियां (दुकान, लोहारगिरी, बढईगिरी, सिंलाई कढाई आदि, कार्य।)	संख्या		
6.3	अन्य			
स – उत्पादन प्रणाली तथा अति लद्यु उद्यम (10%)				
7.1	सब्जी, उत्पादन	है0		
7.2	मसालों की खेती	है0		
7.3	दालों की खेती	है0		
7.4	अनाज की खेती	है0		
7.5	उन्नत कृषि यंत्र	संख्या		
7.6	पॉली हाऊस	संख्या		
7.7	पॉली टनल	संख्या		
7.8	फल उद्यान	है0		
7.9	फलोद्यान जीर्णोद्धार	है0		
7.10	जैविक खाद प्रदर्शन	संख्या		
7.11	मत्स्य पालन इत्यादि	संख्या		
7.12	लघु उद्योग	संख्या		
7.13	अन्य			

नोटः * उपरोक्त प्रस्तावित गतिविधियां उदाहराणार्थ दी गयी हैं। गतिविधियों का चयन पी0आर0ए0, नेट प्लानिंग, आदि के माध्यम से चयनित कर प्रस्तावित की जाये।

* व्यक्तिगत भूमि हेतु कृषक का नाम अंकित करें।

* अभियान्त्रिक उपाय व वनस्पतिक उपाय (जहां तक सम्भव हो) को मानचित्र पर प्रर्दषित करे।

* पी0आर0ए0 के समय ग्रामीण समुदाय की आवश्यकता अनुसार सुझाये गये कार्यो को भी उक्त कार्यमदों में सम्मिलित किया जा सकेगा।

4.1 आरक्षित वनक्षेत्र के अन्तर्गत परियेाजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की सूची :–

तालिका : 4.1 अ

क0 सं0	प्रस्तावित गतिविधियां	इकाई	संख्या /मात्रा	धनराशि (रूपये)	ग्राम पंचायत का नाम (संख्या/मात्रा)
अ	जलागम विकास कार्य (56%)				
1	जल संरक्षण, सम्बर्द्धन एवं संग्रहण हेतु कार्य				
2	भूमि संरक्षण हेतु कार्य				
3	पौधशाला निर्माण				
4	अन्य				

आरक्षित वनक्षेत्र में प्रस्तावित कार्यो का वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक विवरण :– (रू0 हजार में)

तालिका : 4.1 ब

क0 सं0	प्रस्तावित गतिविधियां	इकाई	यूनिट रेट	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		कुल	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
	जलागम विकास कार्य (56%)										
	कम्पार्टमैन्ट न0										
1	भूमि संरक्षण हेतु कार्य										
2	जल संरक्षण एवं संवर्द्धन के कार्य										
3	वानिकी कार्य										
4	अन्य										

4.2 प्रस्तावित कार्यो की आंकलित लागत (रूपये में)

तालिका : 4.2

क0 सं0	प्रस्तावित गतिविधियां	इकाई	संख्या/ मात्रा	यूनिट रेट	योग
अ	जलागम विकास कार्य (56%)				
1	जल संरक्षण, सम्बर्द्धन एवं संग्रहण हेतु कार्य				
1.1	पेयजल टैंक	घन0मी0/सं0			
1.2	वर्षा जल एकत्रीकरण टैंक	घन0मी0/सं0			
1.3	सिंचाई टैंक	घन0मी0/सं0			
1.4	गहरा छनित जल कुआॅ	घन0मी0/सं0			
1.5	चाल/खाल/तालाब जीर्णोद्धार	घन0मी0/सं0			
1.6	गूल (नई)	मीटर/सं0			
1.7	पाइप लाइन (नई)	मीटर/सं0			
1.8	अन्य				
2	भूमि संरक्षण हेतु कार्य				
2.1	कंटूर ट्रेंच	है0/सं0			
2.2	लूज बोल्डर चैक डैम	घन0मी0/सं0			
2.3	केटवायर चैकडैम	घन0मी0/सं0			
2.4	वानस्पतिक चैक डैम	घन0मी0/सं0			

2.5	गतिरोधक दीवार	घन0मी0 / सं0			
2.6	पुस्ता मरम्मत कार्य	घन0मी0 / सं0			
2.7	अन्य				
3	**सामुदायिक कार्य**				
3.1	पौधशाला निर्माण	संख्या			
3.2	वृक्षारोपण	है0			
3.3	चारागाह विकास	है0			
3.4	ईधन प्रजाति की पौध का रोपण	है0			
3.5	पशु स्वास्थ्य सुधार	संख्या			
3.6	नस्ल सुधार कार्य	संख्या			
3.7	अन्य				
4	**व्यक्तिगत भूमि हेतु कार्य**				
4.1	पौधशाला निर्माण	संख्या			
4.2	कृषि टैरेसस मरम्मत	है0			
4.3	स्टांल फीडिंग कार्यक्रम	संख्या			
4.4	अन्य				
5	**वैकल्पिक ऊर्जा हेतु कार्य**				
5.1	गोबर गैस प्लान्ट	संख्या			
5.2	सौर ऊर्जा	संख्या			
5.3	पाइन ब्रिकेटिंग मशीन	संख्या			
5.4	घराट उच्चीकरण	संख्या			
5.5	अन्य				
योग – 56 %					
ब – आजीविका सम्बन्धी कार्य (9%)					
6.1	पशुपालन सम्बन्धी आय–अर्जक गतिविधियां (दुग्ध, कुक्कुट पालन, बकरी पालन)	संख्या			
6.2	अन्य जीविकोपार्जन गतिविधियां (दुकान, लोहारगिरी, बढईगिरी, सिंलाई कढाई आदि, कार्य।)	संख्या			
6.3	अन्य				
	योग – 9 %				
स – उत्पादन प्रणाली तथा अति लघु उद्यम (10%)					
7.1	सब्जी उत्पादन	है0			
7.2	मसालों की खेती	है0			
7.3	दालों की खेती	है0			
7.4	अनाज की खेती	है0			
7.5	उन्नत कृषि यंत्र	संख्या			
7.6	पॉली हाऊस	संख्या			
7.7	पॉली टनल	संख्या			
7.8	फल उद्यान	है0			
7.9	फलोद्यान जीर्णोद्धार	है0			
7.10	जैविक खाद प्रदर्शन	संख्या			
7.11	मत्स्य पालन इत्यादि	संख्या			
7.12	लघु उद्योग	संख्या			
7.13	अन्य				
योग – 10%					
महायोग (56+9+10)					

4.3 प्रस्तावित कार्यो का वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक विवरण :–(रू0 हजार में) तालिका : 4.3

क0 सं0	प्रस्तावित गतिविधियां	इकाई	यूनिट रेट	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		कुल	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
अ	**जलागम विकास कार्य (56%)**										
1	**जल संरक्षण, सम्बर्द्धन एवं संग्रहण हेतु कार्य**										
1.1	पेयजल टैंक	घन0मी0 / सं0									
1.2	वर्षा जल एकत्रीकरण टैंक	घन0मी0 / सं0									
1.3	सिंचाई टैंक	घन0मी0 / सं0									
1.4	गहरा छनित जल कुआॅ	घन0मी0 / सं0									
1.5	चाल / खाल / तालाब जीर्णोद्धार	घन0मी0 / सं0									
1.6	गूल (नई)	मीटर / सं0									
1.7	पाइप लाइन (नई)	मीटर / सं0									
1.8	अन्य										
2	**भूमि संरक्षण हेतु कार्य**										
2.1	कंटूर ट्रेंच	हे0 / सं0									
2.2	लूज बोल्डर चैक डैम	घन0मी0 / सं0									
2.3	केटवायर चैकडैम	घन0मी0 / सं0									
2.4	वानस्पतिक चैक डैम	घन0मी0 / सं0									
2.5	गतिरोधक दीवार	घन0मी0 / सं0									
2.6	पुस्ता मरम्मत कार्य	घन0मी0 / सं0									
2.7	अन्य										
3	**सामुदायिक कार्य**										
3.1	पौधशाला निर्माण	संख्या									
3.2	वृक्षारोपण	हे0									
3.3	चारागाह विकास	हे0									
3.4	ईधन प्रजाति की पौध का रोपण	हे0									
3.5	पशु स्वास्थ्य सुधार	संख्या									
3.6	नस्ल सुधार कार्य	संख्या									
3.7	अन्य										
4	**व्यक्तिगत भूमि हेतु कार्य**										
4.1	पौधशाला निर्माण	संख्या									
4.2	कृषि टैरेसस मरम्मत	हे0									
4.3	स्टांल फीडिंग कार्यक्रम	संख्या									
4.4	अन्य										
5	**वैकल्पिक ऊर्जा हेतु कार्य**										
5.1	गोबर गैस प्लान्ट	संख्या									
5.2	सौर ऊर्जा	संख्या									
5.3	पाइन ब्रिकेटिंग मशीन	संख्या									
5.4	घराट उच्चीकरण	संख्या									
5.5	अन्य										
योग – 56 %											

ब – आजीविका सम्बन्धी कार्य (9%)											
6.1	पशुपालन सम्बन्धी आय–अर्जक गतिविधियां (दुग्ध, कुक्कुट पालन, बकरी पालन)	संख्या									
6.2	अन्य जीविकोपार्जन गतिविधियां (दुकान, लोहारगिरी, बढईगिरी, सिंलाई कढाई आदि, कार्य।)	संख्या									
6.3	अन्य										
	योग – 9 %										
स – उत्पादन प्रणाली तथा अति लघु उद्यम (10%)											
7.1	सब्जी उत्पादन	है0									
7.2	मसालों की खेती	है0									
7.3	दालों की खेती	है0									
7.4	अनाज की खेती	है0									
7.5	उन्नत कृषि यंत्र	संख्या									
7.6	पॉली हाऊस	संख्या									
7.7	पॉली टनल	संख्या									
7.8	फल उद्यान	हे0									
7.9	फलोद्यान जीर्णोद्धार	हे0									
7.10	जैविक खाद प्रदर्शन	संख्या									
7.11	मत्स्य पालन इत्यादि	संख्या									
7.12	लघु उद्योग	संख्या									
7.13	अन्य										
योग – 10%											
महायोग (56+9+10)											

नोट– * **सभी प्रस्तावित कार्यों की जी0पी0एस0 रीड़िंग एवं व्यक्तिगत कार्यों तथा आजीविका सम्बन्धी कार्यों के लाभार्थियों की सूची संलग्न करें।**

* उपरोक्त प्रस्तावित गतिविधियां **उदाहराणार्थ** दी गयी हैं। गतिविधियों का चयन पी0आर0ए0, नेट प्लानिंग, आदि के माध्यम से चयनित कर प्रस्तावित की जाये।

केन्द्राभिसरण (Convergence)

- जलागम विकास परियोजनाओं के लिये समान मार्गदर्शी सिद्धान्त – 2008 की मूल भावना के अनुसार परियोजना क्षेत्रान्तर्गत जलागम विकास कार्यो को संतृप्त करना है। डब्ल्यू0डी0टी0 द्वारा किये गये क्षेत्रीय आंकलन, सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन तथा ग्रामीण समुदाय की मांगानुसार यदि परियोजना क्षेत्र में कार्यो की आवश्यकता आई0डब्ल्यू0एम0पी0 के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से ज्यादा है, तो सम्बन्धित रेखीय विभाग अथवा ग्राम पंचायत द्वारा यह अतिरिक्त कार्य मनरेगा (MGNREGA) अथवा अन्य रेखीय विभागों द्वारा किये जा रहे विकास कार्यो से केन्द्राभिसरण (Convergence) कर क्रियान्वित किये जा सकते हैं।
- ऐसी स्थिति में अतिरिक्त कार्यो का उल्लेख इसी अध्याय में अलग से परिलक्षित किये जाय।
- समस्त प्रस्तावित गतिविधियों एवं लाभार्थियों का विवरण जी0पी0एस0 रीडिंग सहित संलग्न करें।

केन्द्राभिसरण (Convergence) हेतु कार्ययोजना

क0सं0	गतिविधि	संख्या/मात्रा	लागत (रू0)	ग्राम पंचायतों का नाम	प्रस्तावित रेखीय विभाग	जी0पी0एस0 रीड़िंग

अध्याय- 5

जलागम प्रबन्धन की व्यवस्था

5.1 उद्देश्यः— कार्यक्रम की सफलता के लिए ग्रामीण समुदायों की सहभागिता आवश्यक है, कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना क्रियान्वयन में ग्राम स्तर पर संगठनात्मक शक्ति का विकास आवश्यक है।

5.2 परियोजना क्षेत्र में वर्तमान तथा प्रस्तावित समूह तालिका 5.1

क्र0 स0	राजस्व ग्राम का नाम	उपयोग कर्ता समूहों के प्रकार	पूर्व में गठित			प्रस्तावित		
			समूहों की संख्या	कुल सदस्य संख्या	गरीब वर्ग के सदस्य सख्या	समूहों की संख्या	कुल सदस्य संख्या	गरीब वर्ग के सदस्य सख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5.3 प्रस्तावित ग्राम स्तरीय संगठन : ग्राम विकास समिति, जल एवं जलागम प्रबन्ध समिति उपयोगकर्ता समूह, स्वयं सहायता समूह, महिला मंगलदल, पुरुष मंगलदल का विवरण दिया जाएगा।

5.4 जलागम गाँवों में प्रस्तावित स्वयं सहायता समूहों का विवरण तालिका 5.2.

क्रम स0	राजस्व ग्राम	स्वयं सहायता समूहों के प्रकार											
		समूहों की सं0	कुल सदस्य	गरीब वर्ग के सदस्य	समूहों की सं0	कुल सदस्य	गरीब वर्ग के सदस्य	समूहों की सं0	कुल सदस्य	गरीब वर्ग के सदस्य	समूहों की सं0	कुल सदस्य	गरीब वर्ग के सदस्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

नोट — स्वयं सहायता समूहों के प्रकार में कार्य का नाम लिखा जाएगा, जिस प्रयोजन हेतु समूह का गठन किया गया यथा — अचार, मशरूम, मधु पालन, डेरी, सिंचाई, सिलाई, बुनाई, कढाई, आदि।

5.5 **सामुदायिक क्षमता विकास कार्यक्रम** :– जलागम समुदाय के नवनिर्मित समूहों एवं क्रियाशील संगठनों की क्षमता विकसित करने के कार्य, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन दल द्वारा कार्यक्रम क्रियान्वयन के दौरान किया जायेगा। इसके तहत जलागम विकास समिति, ग्राम विकास समिति, उपयोगकर्ता समूह एवं स्वयं सहायता समूहों को अलग–अलग समय पर कार्य अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रस्तावित समूहों के प्रशिक्षण तथा विशेषज्ञों द्वारा किया जाने वाला प्रशिक्षण, सन्देश यात्रा, अध्ययन भ्रमण जागृति शिविर आदि, हेतु संसाधन संगठन (Resource Centres) का विवरण दिया जाएगा।

5.6 **क्षमता विकास के लिए वर्षवार कार्ययोजना** :– परियोजना के कियान्वयन एवं समेकन हेतु विभिन्न हितभागियों (Stakeholder) हेतु विस्तृत क्षमता विकास कार्ययोजना संलग्न की जाए। कार्ययोजना में विभिन्न प्रशिक्षणों का प्रकार, प्रतिभागियों एवं प्रशिक्षणों की संख्या, प्रशिक्षण संस्थानों का विवरण आदि का भी विस्तार पूर्वक विवरण दिया जाएगा।

अध्याय- 6

परियोजना की लागत एवं परिणाम

6.1 कार्यक्रम लागत :– जलागम परियोजनाओं के लिए शामिल विभिन्न संघटकों के संबंध में बजट का विवरण निम्नानुसार दिया जायेगा।

चयनित क्षेत्रफल (हे0 में)
कुल लागत (रू0 में)

तालिका : 6.1

बजट संघटक	बजट की प्रतिशतता	कुल लागत (रू0 में)
➢ प्रशासनिक लागत	10	
➢ निगरानी	1	
➢ मूल्यांकन	1	
प्रारम्भिक चरण		
➢ प्रारम्भिक कार्यकलाप	4	
➢ संस्थापन तथा क्षमता निर्माण	5	
➢ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर)	1	
वाटरशेड कार्य चरण		
➢ वाटरशेड विकास कार्य	56	
➢ गरीबी रेखा से नीचे के (बी.पी.एल.) तथा भूमिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका संबंधी कार्यकलाप	9	
➢ उत्पादन प्रणाली तथा अति लघु (माइक्रो) उद्यम	10	
समेकन चरण	3	
योग	**100**	

सूचना का श्रोत :– समान मार्गदर्शी सिद्धान्त–2008

6.2 सम्भावित परिणाम : परियोजना के परिणामों का आंकलन विभिन्न आयामों से किया जायेगा जैसे कि रोजगार सृजन, पलायन में कमी, पेयजल अथवा सिंचाई की स्थिति में सुधार, कृषि उत्पादकता में सुधार, जीविकोपार्जन के आयामों में सुधार इत्यादि।

6.2 रोजगार सृजन

तालिका : 6.2

क्र0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	मजदूरी रोजगार										स्वरोजगार				
		कुल लाभार्थी					कुल मानव दिवस					कुल लाभार्थी				
		अ0जा0	अ0ज0जा0	अन्य	महिलायें	योग	अ0जा0	अ0ज0जा0	अन्य	महिलायें	योग	अ0जा0	अ0ज0जा0	अन्य	महिलायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

6.3 परियोजना क्षेत्र में पलायन का विवरण

तालिका : 6.3

क्र0सं0	राजस्व ग्राम का नाम	पलाायित लोगों की संख्या	वर्ष में पलायित दिनों की संख्या	पलायन के मुख्य कारण	पलायन में सम्भावित कमी (दिनों की संख्या)
1	2	3	4	5	6

6.4 पेयजल की स्थिति

तालिका : 6.4

क्र0सं0	राजस्व ग्राम का नाम	पेयजल की उपलब्धता (वर्ष में महीनों की संख्या)		पेयजल की शुद्धता		टिप्पणी
		परियोजना पूर्व	परियोजना के बाद	परियोजना के पूर्व	परियोजना के बाद	
1	2	3	4	5	6	7

6.5 सिंचाई जल की स्थिति

तालिका : 6.5

क्र0सं0	राजस्व ग्राम का नाम	सिंचाई जल की उपलब्धता		टिप्पणी
		परियोजना से पूर्व	परियोजना के बाद	
1	2	3	4	5

6.6 प्रत्याशित उत्पादन

तालिका : 6.6

क्र0सं0	राजस्व ग्राम का नाम	फसल का नाम	वर्तमान स्थिति		परियोजना के बाद (सम्भावित)	
			क्षेत्रफल (है0)	उत्पादन कि0ग्रा0/है0	क्षेत्रफल (है0)	उत्पादन कि0ग्रा0/है0
1	2	3	4	5	6	7
		खरीफ				
		रबी				
		जायद				

6.7 परिणामों का सारांश

क्रम सं0	कार्यमद	इकाई	परियोजना पूर्व स्थिति	परियोजना के बाद (सम्भावित स्थिति)	राजस्व ग्राम का नाम
1.	भू–जल संरचनाएं मरम्मत/जीर्णोद्धार	संख्या			
2.	पेयजल की किस्म	शुद्धता			
3.	पेयजल की उपलब्धता	अवधि			
4.	सिंचाई क्षमता	हैक्टेयर			
5.	फसल चक्र	रवि/खरीफ/जायद			
6.	कृषि भूमि का क्षेत्रफल	हैक्टेयर			
7.	एकल फसली	हैक्टेयर			
8.	दो फसली	हैक्टेयर			
9.	बहुफसली	हैक्टेयर			
10.	फसल क्षेत्रफल में वृद्वि	हैक्टेयर			
11.	वानस्पतिक क्षेत्रफल	हैक्टेयर			
12.	औद्यानिकी क्षेत्रफल	हैक्टेयर			
13.	चारा उत्पादन	अवधि			
14.	दुग्ध उत्पादन	लीटर			
15.	स्वयं सहायता समूह की संख्या	संख्या			
16.	रोजगार की संख्या	संख्या			
17.	वार्षिक आय				
18.	पलायन (व्यक्ति/परिवार)	संख्या			
19.	स्कूली बच्चों की संख्या	संख्या			
20.	स्वयं सहायता समूह फेडरेशन की संख्या	संख्या			
21.	बैंक खाता धारकों की संख्या	संख्या			
22.	सामुदायिक संसाधनों के उपयोग हेतु अनुबन्धों की संख्या	संख्या			
23.	जलागम विकास कोष तथा प्रबन्धन	संख्या			
24.	सफलता की कहानियों का सारांश				

अध्याय- 7

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

सामाजिक स्तर पर अनुश्रवण के बिन्दु

- ग्राम संगठनों की क्रियाशीलता एवं सहभागिता
- सभी ग्राम स्तरीय संगठनों का स्थायी संचालन
- श्रमदान, रोजगार एवं अधिकार
- पारदर्शिता
- चेतना एवं क्षमतावृद्वि
- लाभ वितरण व्यवस्था
- महिलाओं, कमजोर वर्ग का नेतृत्व
- गरीब एवं महिलाओं के जीवन स्तर में बदलाव

7.1 आर्थिक स्तर पर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के बिन्दु

- प्रति व्यक्ति वार्षिक आय वृद्वि
- गरीब वर्ग एवं महिलाओं के ऋण परिवर्तन
- कृषि में सकारात्मक बदलाव एवं अन्न उत्पादन में वृद्वि
- वन संरक्षण एवं सर्म्वद्वन
- घरेलू उद्योगों पर जीवन निर्भरता
- पशु एवं बागवानी पर जीवन निर्भरता
- खर्च, आयात एवं निर्यात
- सन्तुलित भोजन की उपलब्धि
- स्वावलम्बन की ओर (छोटे–छोटे उद्यम)

7.2 भौगोलिक स्तर पर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के बिन्दु

- मृदा बहाव एवं कटाव में कमी
- मृदा बनावट में परिवर्तन
- मृदा में नमी
- वनों में परिवर्तन
- जल श्रोतों में सुधार
- भौतिक कार्यो द्वारा उपलब्ध वस्तुओं की उचित उपयोग एवं रख–रखाव

7.3 पारिस्थिकीय में मूल्यांकन के बिन्दु

- पर्यावरण में सुधार
- मृदा में सुधार

परिशिष्ट–1

वन क्षेत्रों का आच्छादन व चारा घास की आवश्यकता एवं उपलब्धता का मूल्यांकन

तालिकाः 3.9 (1) एवं (2) के अन्तर्गत वन क्षेत्रों का आच्छादन का आंकलन निम्न प्रकार से किया जा सकता है।

ऐसे वन क्षेत्र जिसमें पेड़ों/वृक्षों का आच्छादन 24.9% से कम हो वह क्षेत्र 'बहुत कम' आच्छदित क्षेत्र के अन्तर्गत होगे। इसी प्रकार जिन क्षेत्रों में पेड़ों/वृक्षों का आच्छादन 25% से 49.9% तक होगा वह क्षेत्र 'कम' आच्छदित क्षेत्र, जिन क्षेत्रों में पेड़ों/वृक्षों का आच्छादन 50% से 69.9% का होगा वह क्षेत्र 'मध्यम' आच्छादित तथा जिन क्षेत्रों में 70% से अधिक आच्छादन होगा वह क्षेत्र 'अच्छा' आच्छादित क्षेत्र के अन्तर्गत होगे।

तालिका : 3.13 के अन्तर्गत चारा घास की आवश्यकता एवं उपलब्धता का आंकलनः–

गांव में उपलब्ध पशुधन की चाराघास आवश्यकता का आंकलन निम्नानुसार किया जायेगाः–

क्र0 सं0	पशुधन विवरण	यूनिट	पशुओं की संख्या	कुल पशुधन यूनिट
1	2	3	4	5
1	गाय	1		
2	भैंस	1.15		
3	बछड़ा/बछड़ी आदि	0.6		
4	बकरी एवं भेड	0.2		
	योग			

गांव में प्रतिवर्ष चारे की कुल आवश्यकता का आंकलन, कुल पशुधन यूनिट को 2.35 मी0टन से गुणा कर आंकलित किया जायेगा।

चाराघास की उपलब्धता का आंकलन निम्नानुसार किया जायेगाः–

क्रमांक	चारे का प्रकार	क्षेत्रफल (हे0 में)	प्रति हे0 औसत उत्पादन (मी0टन0)	वर्तमान में कुल उत्पादन (मी0टन0)
1	2	3	4	5
1	कृषि फसलों का उत्पाद		0.5	
2	चारागाह क्षेत्र		2.0	
3	वन क्षेत्र		0.1	
4	खेतों की मेड़ों से		2.2	
योग				

चारे की कमी का आंकलन = (वर्तमान में चारे की आवश्यकता – वर्तमान में चारे का कुल उत्पादन)

परिशिष्ट–2

जलागम विकास निधि

स्थापना : जलागम परियोजनाओं के लिए गांवो के चयन हेतु एक अनिवार्य शर्त जलागम विकास निधि (डब्ल्यू.डी.एफ) में ग्रामीणों द्वारा अंशदान किया जाना है। इस अंशदान से ग्राम जलागम विकास निधि की स्थापना ग्राम स्तर पर होगी। गाँव के सभी परिवारों से एक सदस्य ग्राम निधि का सदस्य होगा। इस निधि की स्थापना छोटे छोटे आय के श्रोतों से की जाएगी तथा निधि का उपयोग सदस्यों द्वारा बनाये गये नियमों के आधार पर होगा।

निधि संचालक समिति : इस निधि हेतु ग्रामीणों का अपना बैंक में खाता खोलना होगा, जिसकों सात लोगों की एक कार्यकारणी संचालित करेगी, जिसमें से तीन पदाधिकारी एवं चार सदस्य होगे। इस समिति का कार्यकाल एक वर्ष का होगा, जिसका चुनाव ग्राम निधि के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाएगा।

निधि के संचालन के लिए नियम जल एवं प्रबन्ध जलागम समिति द्वारा तैयार किए जाएंगे और ग्राम सभा द्वारा इनका अनुसमर्थन किया जाएगा।

निधि संचालन : ग्राम जलागम विकास निधि का संचालन निम्नानुसार किया जाएगा।

1. जलागम विकास निधि के बैंक खाते को ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और ग्राम सभा द्वारा नामित स्वयं सहायता समूह के किसी सदस्य द्वारा संचालित किया जाएगा।
2. जल एवं जलागम प्रबन्ध समिति का सचिव जलागम विकास निधि में आय और व्यय का पूर्णतया अलग लेखा रखेगा।
3. ग्राम निधि के सदस्यों की बैठक प्रतिमाह होगी जिसमें माहभर के लेखा जोखा की जानकारी सदस्यों के सामने रखी जाएगी।

निधि की सदस्यता : प्रत्येक परिवार का एक सदस्य ग्राम निधि का सदस्य होगा तथा सदस्यता शुल्क 5 रू0 प्रतिमाह होगा।

निधि की सदस्यता समाप्ति : (1) ग्राम निधि के नियमों के पालन न करने पर। (2) निधि को गबन या हानि पहुचाने पर। (3) ऐसे कोई भी कार्य जो निधि को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति पहुँचाते हो। (4) मृत्यु हो जाने पर।

निधि का लेखा–जोखा : जलागम समिति का सचिव निधि का आय–व्यय का लेखा जोखा सदस्य रजिस्टर, रोकड़, खाता एवं प्रस्ताव एवं स्वीकृति रजिस्टर आदि अभिलेखों को रखेगा तथा सभी अभिलेखों में प्रविष्टियों को समय–समय पर पूर्ण करेगा।

निधि के आय श्रोतः

1. जलागम विकास निधि में अंशदान निजी भूमि पर निश्पादित एन.आर.एम. कार्यो के लिए निम्नवत होगा।
   - सामान्य वर्ग के लिए लागत का न्यूनतम 10%
   - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमान्त किसानों के न्यूनतम अंशदान की लागत का 5% होगा।
2. निजी भूमि पर मत्स्य पालन, बागवानी, कृषि–वानिकी, पशु–पालन आदि जैसे अन्य लागत प्रधान कृषि कार्यकलापों, जिनमें किसानों को सीधे ही लाभ प्राप्त होता है, किसानों का अंशदान निम्नवत होगा।

- सामान्य श्रेणी के लिए 20%
- अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों के लिए 10% होगा .

3. सार्वजनिक सम्पत्ति संसाधनों पर परियोजना के अंतर्गत सृजित की गई परिसम्पत्तियों से अर्जित आय को भी जलागम विकास निधि में जमा कराया जाएगा। यह अंशदान कार्य के निश्पादन के समय पर नकद रूप में अथवा स्वैच्छिक श्रम के रूप में स्वीकार किया जाएगा। स्वैच्छिक श्रम के मौद्रिक मूल्य के बराबर राशि को वाटरशेड परियोजना लेखे से डब्ल्यू.डी.एफ. के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।

4. प्रयोक्ता प्रभारों (यूजर्स चार्जस), बिक्री से प्राप्त आय और मध्यवर्ती भोगाधिकारों की निपटान राशियों को भी जलागम विकास निधि के बैंक खाते में जमा कराया जाएगा।

निधि का उपयोगः–

निधि का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जायेगा।

1. चरण–II के पूरा होने के पश्चात् वाटरशेड विकास निधि के कम से कम 50% भाग को सामुदायिक भूमि पर सृजित परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए अथवा परियोजना के अंतर्गत सामान्य प्रयोग के लिए आरक्षित किया जाएगा। निजी भूमि पर किए गए कार्य इस निधि से नहीं किए जाएंगे।

2. शेष राशि को परियोजना क्षेत्र के उन ग्रामीणों को, जिन्होंने इस निधि में अंशदान किया हैं। ऋण देने के लिए परिक्रामी निधि के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है।

3. अलग–अलग व्यक्तियों और धर्मार्थ संस्थाओं को इस निधि में उदारतापूर्वक अंशदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

निधि से ऋण लेने कि कार्यविधि

1. निधि से सहयोग पाने के लिए विधिवत प्रार्थना पत्र आवेदक सदस्य को निर्धारित समय पर कार्यकारिणी के समक्ष पेश करना होगा, जिसको पास करने की संस्तुति सभी सदस्यों के 1/3 बहुमत से पास की जाएगी।

2. आपातकालीन ऋण रू0 2000/– से अधिक राशि के नही होगे, जो आपातकालीन बैठक में पास किये जाएगें। (दुर्घटना तथा अन्य परिस्थिति में)

3. रोजगार, शादी, शिक्षा, लम्बा इलाज, आदि कार्यो के लिए 15 दिन पूर्व आवेदन संयोजक समिति के पास जमा कर दिए जाने होगे, जो प्राथमिकतानुसार अगली बैठक में सदस्यों के लिये 1/3 बहुमत से पास किये जायेंगे। ऐसे ऋण की राशि अधिकतम रू0 6,000 होगी।

4. स्वयं सहायता समूह अपने क्रियाकलापों के विस्तारीकरण हेतु निधि से ऋण ले सकते हैं, ऐसे ऋण की राशि अधिकतम 25000.00 तक होगी।

5. आवेदक द्वारा किसी भी ऋण पर नियमानुसार व्याज प्रतिमाह देय होगा।

6. ऋण की अवधि 18 माह से अधिक की नहीं होगी।

नोट :– ग्राम निधि गठन एवं संचालन की नियमावली स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तनीय है।

अनुसूची

परियोजना रिपोर्ट के साथ लगाये जाने वाले मानचित्र

1. जलागम क्षेत्र मानचित्र
2. ड्रेनेज मैप
3. भूमि उपयोग मानचित्र
4. कैडस्ट्रल मैप

Drainage Map of IWMP-I(2010-11), District Udham Singh Nagar

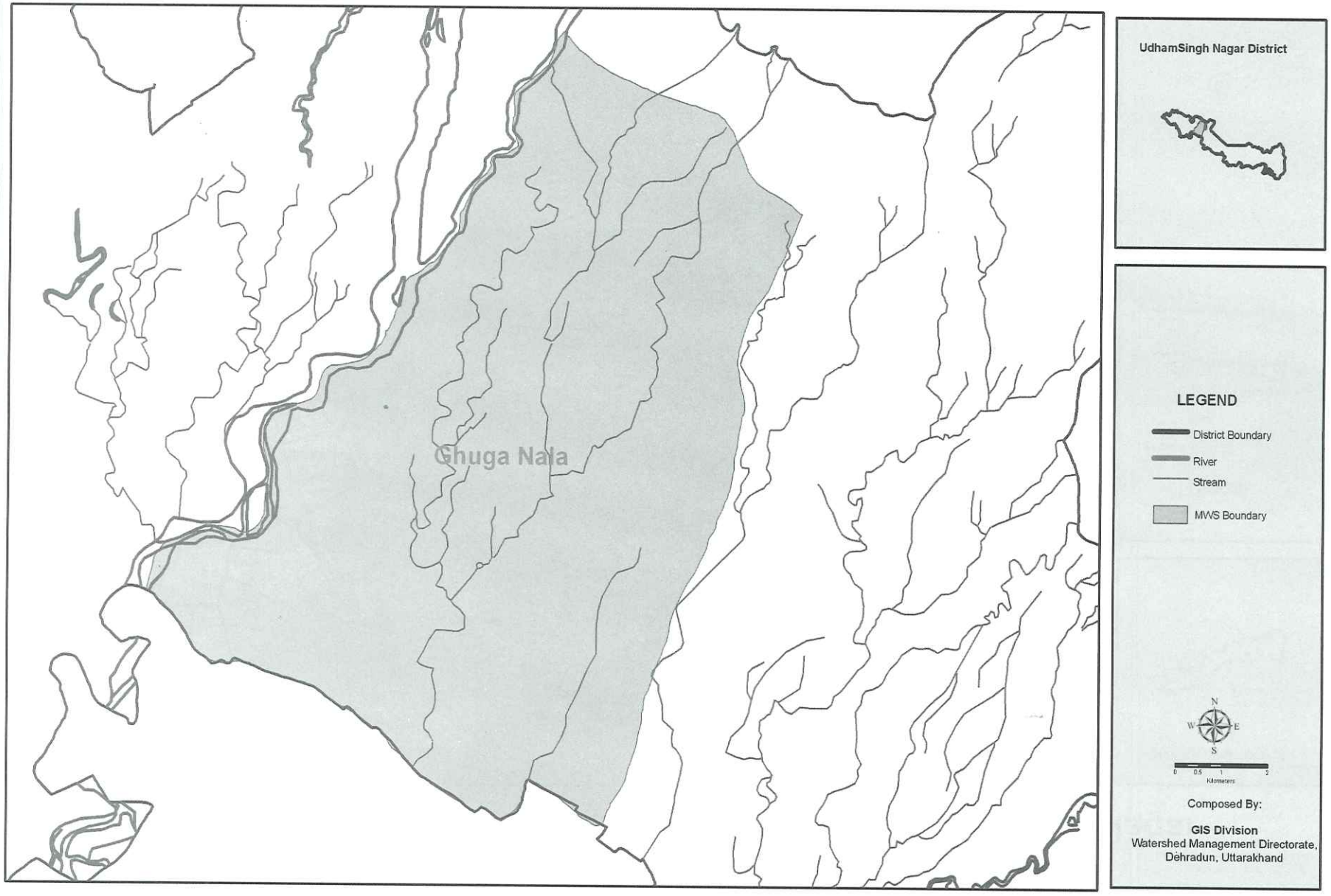

Area for Treatment, IWMP-I(2010-11), District Udham Singh Nagar

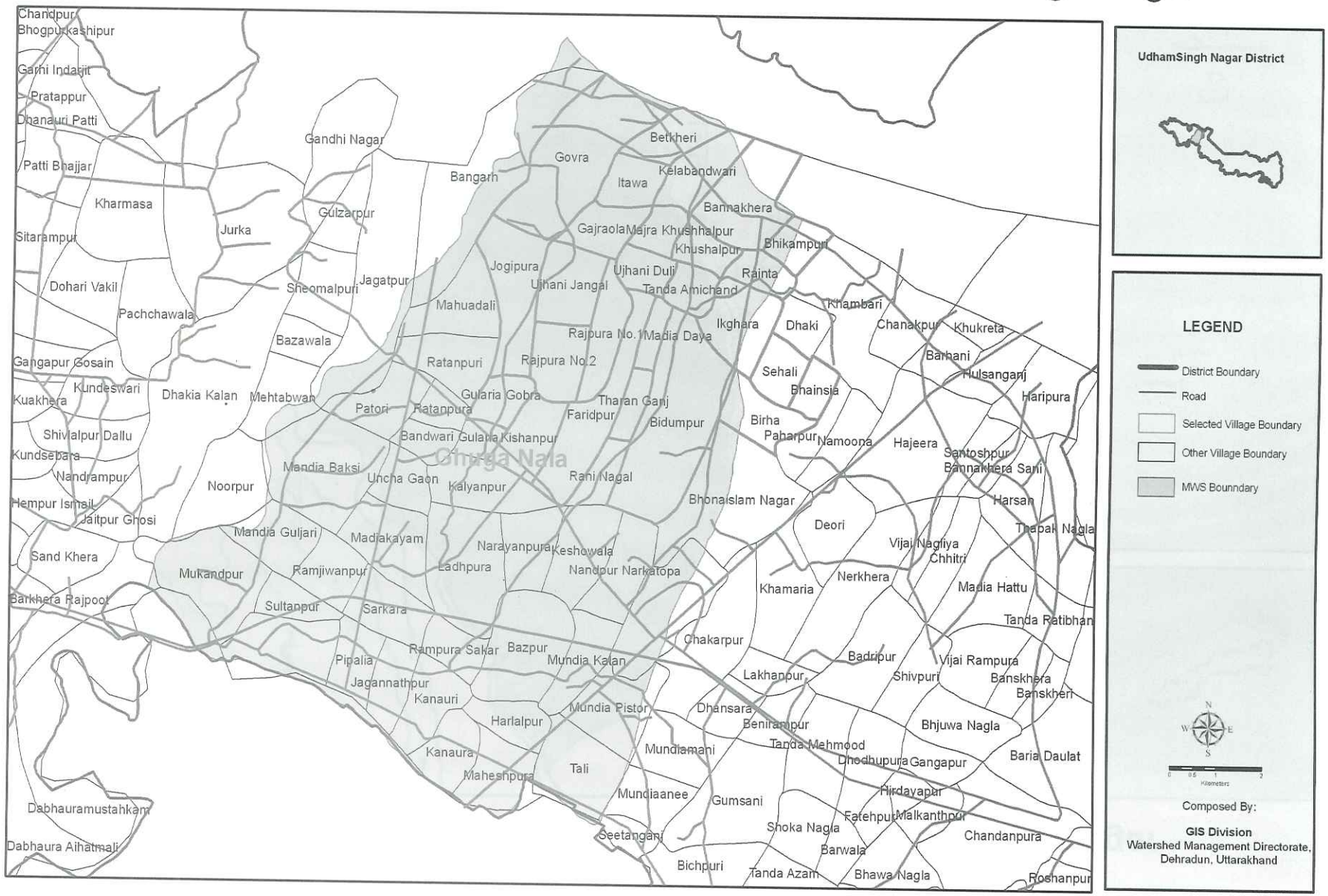

Cadastral Map (Mosaic) of IWMP-I, UdhamSingh Nagar

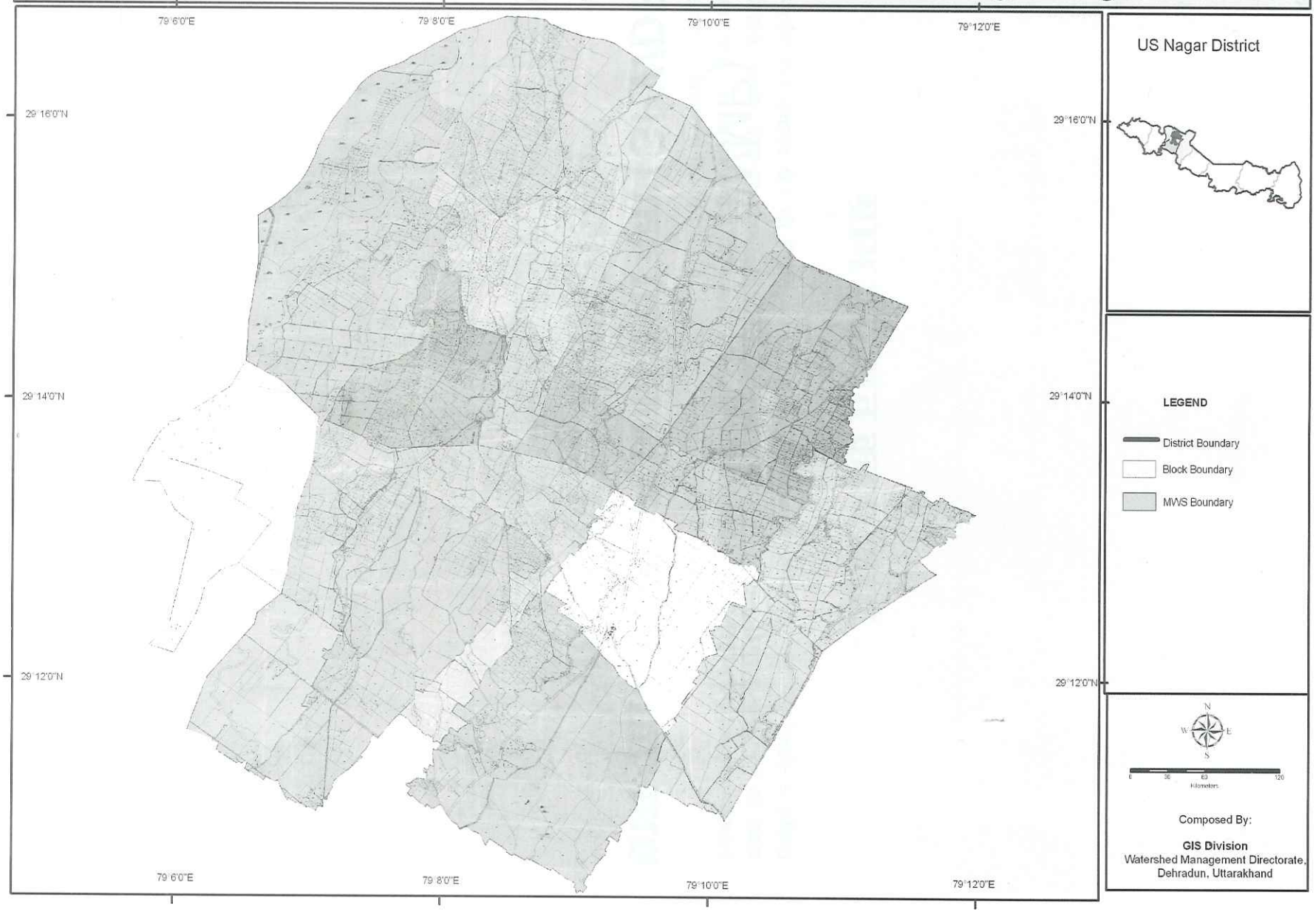

संलग्नक-1

समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम (IWMP)

ग्राम पंचायत जलागम बिकास योजना (GPWDP) तैयार करने हेतु मार्गनिर्देशिका

ग्राम पंचायत का परिचय

अन्तर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र की स्थिति, जिला, तहसील, विकासखण्ड, सम्मिलित गांवों की स्थिति व संक्षिप्त इतिहास, अक्षांश–देशान्तर, क्षेत्रफल भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु वर्षा तापमान, हिमपात, ढाल, भूमि का प्रकार ग्राम पंचायत का मानचित्र, रोड मैप, जनसुविधाऐं, जलागम क्षेत्र की समस्याओं का विवरण एवं सम्भावित समाधान इत्यादि का विवरण से लिखें।

ग्राम पंचायत की प्रमुख समस्याओं की रैकिंग (प्राथमिकता के आधार पर रैकिंग)

कम संख्या	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	समस्या	रैकिंग	सम्भावित समाधान

अध्याय- 1

राजस्व ग्राम की सामान्य सूचना

1 . राजस्व ग्राम का नाम –

1.1 राजस्व ग्राम की जनसंख्या–

तालिका 1.1

पुरूष			महिला		कुल जनसंख्या /योग (पुरूष +महिला)	
वयस्क		बच्चे	व्यस्क	बच्चे	व्यस्क	बच्चे
योग						

1.2 सामाजिक ढॉचा–

तालिका 1.2

क0 सं0	समुदाय का नाम	कुल परिवारों की संख्या	कुल सदस्यों की संख्या	ग्राम की कुल जनसंख्या का प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति			
2	अनुसूचित जन जाति			
3	पिछड़ी जाति			
4	सामान्य जाति			
5	अन्य			
	योग			

1.3 **आर्थिक स्थिति** – आर्थिक स्थिति का वर्गीकरण ग्रामीणों की तुलनात्मक आय के आधार पर किया जायेगा ।

तालिका 1.3

क0 सं0	आय वर्ग के आधार पर वर्गीकरण (परिवार के मुखिया का नाम)		
	उच्च आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग	निम्न आय वर्ग
योग			

1.4 शिक्षण संस्थानों की स्थिति –

तालिका 1.4

क0 सं0	शिक्षण संस्थान (बेसिक, हाईस्कूल, इन्टरमीडिएट)	शिक्षण संस्थान की दूरी (कि0मी0)	औसत विद्यार्थियों की संख्या, जो संस्था में शिक्षा प्राप्त कर रहे हों (प्रति वर्ष)		
			बालक	बालिका	कुल
योग					

1.5 स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति –

तालिका 1.5

क0 सं0	स्वास्थ्य केन्द्र (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / अस्पताल)	स्वास्थ्य केन्द्र की दूरी (कि0 मी0)	औसतन उपलब्ध करायी जा रही चिकित्सा सुविधा (प्रति माह)		
			पुरूष	महिला	कुल
योग					

1.6 ग्रामीणों का सामुदायिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व –

तालिका 1.6

क0 स0	सामुदायिक संस्थाओं के नाम	कुल सदस्यों की संख्या	सदस्यों का वर्गीकरण									
			सामान्य		अनु0 जा0		अनु0 जन जाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		कुल	
			महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष
1	मंगल दल											

2	वन पंचायत											
3	स्वयं सहायता समूह											
4	दुग्ध समिति											
5	अन्य											
योग												

1.7 राजस्व ग्राम में सुविधाओं की स्थिति –

तालिका सं0 1.7

क0सं0	राजस्व ग्राम का नाम	पक्की सड़क		डाकघर		बैंक		पशु चिकित्सालय		बीज गोदाम		कृषि विज्ञान केन्द्र		मण्डी		दुग्ध संग्रहण केन्द्र		आगनबाड़ी केन्द्र		अन्य
		उपलब्ध/अनुपलब्ध	गांव से दूरी	उपलब्ध/अनुपलब्ध	गांव से दूरी	उपलब्ध/अनुपलब्ध	गांव से दूरी	उपलब्ध/अनुपलब्ध	गांव से दूरी	उपलब्ध/अनुपलब्ध	गांव से दूरी	उपलब्ध/अनुपलब्ध	गांव से दूरी	उपलब्ध/अनुपलब्ध	गांव से दूरी	उपलब्ध/अनुपलब्ध	गांव से दूरी	उपलब्ध/अनुपलब्ध	गांव से दूरी	

1.8 जलागम ग्राम में सार्वजनिक संशाधन सम्पत्ति –

तालिका सं0 1.8

क0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	सार्वजनिक संसाधन सम्पत्ति	ग्रामीणों की सम्पत्ति उपयोग में सहभागिता	टिप्पणी
		1. सिविल सोयम भूमि 2. वन पंचायत 3. आरक्षित वन 4. ग्राम सभा भूमि 5. चारागाह 6. नदी 7. तालाब 8. गूल /नहर 9. नौला 10. चाल/खाल 11. पंचायत भवन 12. अन्य		

नोट :– उपयोग के आधार पर वर्गीकरण

किसी के भी द्वारा उपयोग नही किया जा रहा है – (अ). समानता के आधार पर उपयोग किया जा रहा है, (ब). असमानता के आधार पर उपयोग किया जा रहा है, (स). अन्य , (द). (टिप्पणी सहित)

अध्याय- 2

जलागम ग्राम का वर्तमान भूमि उपयोग

2.1 जलागम गाँवों में वर्तमान भूमि उपयोग (क्षेत्रफल – हैक्टेयर में) – कुल उपलब्ध भूमि का वर्गीकरण निम्न तालिका में प्रस्तुत है :–

तालिका सं0 2.1

क0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	कुल भौ0 क्षेत्रफल	प्रस्तावित क्षेत्रफल	प्रस्तावित क्षेत्रफल में कुल वन क्षेत्र			प्रस्तावित क्षेत्रफल में कुल कृषि भूमि		प्रस्तावित क्षेत्रफल में कुल औद्यानिकी		प्रस्तावित क्षेत्रफल में कुल बंजर भूमि	प्रस्तावित क्षेत्रफल में कुल घास/ चारागाह	प्रस्तावित क्षेत्रफल में कुल कृषि अयोग्य	प्रस्तावित क्षेत्रफल में कुल अन्य भूमि
				वन पंचायत	रिजर्व फॉरेस्ट	सिविल सोयम	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित				

2.2 सिंचित एवं असिंचित भूमि का वर्गीकरण – जलागम ग्राम में कुल उपलब्ध सिंचित एवं असिंचित भूमि में कृषि, औद्यानिकी एवं चारे हेतु उपयोग हो रही भूमि का वर्गीकरण निम्न तालिका में प्रस्तुत है :

तालिका सं0. 2.2.1

क0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	सिंचित भूमि का वर्गीकरण (हे0)			
		कृषि कार्य हेतु	औद्यानिकी हेतु	चारे हेतु	अन्य

तालिका सं0. 2.2.2

क0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	असिंचित भूमि का वर्गीकरण (हे0)			
		कृषि कार्य हेतु	औद्यानिकी हेतु	चारे हेतु	अन्य

2.3.1 जलागम गाँवों के समीप आरक्षित वन क्षेत्रों का आच्छादन – आरक्षित वन क्षेत्र का वर्गीकरण एवं मुख्य वृक्ष व चारा घास प्रजातियों का विवरण निम्न तालिका में है ।

तालिका सं0. 2.3.1

राजस्व ग्राम	आरक्षित वन क्षेत्र (है0)	आच्छादन * (हैक्टेयर में)				मुख्य वृक्ष प्रजातियों के नाम	मुख्य चारा घास प्रजातियों के नाम
		बहुत कम	कम	मध्यम	अच्छा		

नोटः * आच्छादन – बहुत कम – < 25%, कम – 25 से 50% , मध्यम – 51 से 70% , अच्छा – >70%

2.3.2 जलागम गाँवों के वन पंचायत/सिविल सोयम वन आच्छादन – वन पंचायत/सिविल सोयम वन क्षेत्र का वर्गीकरण एवं मुख्य वृक्ष एवं चारा घास प्रजातियों का विवरण निम्न तालिका में है ।

तालिका सं0. 2.3.2

राजस्व ग्राम	अन्य वन क्षेत्र (पंचायत/सिविल सोयम वन है0 में)	आच्छादन * (हैक्टेयर में)				मुख्य वृक्ष प्रजातियां के नाम	मुख्य चारा घास प्रजातियों के नाम
		बहुत कम	कम	मध्यम	अच्छा		

* आच्छादन – बहुत कम – < 25%, कम – 25 से 50% , मध्यम – 51 से 70% , अच्छा – >70%

2.4 मृदा का स्वरूप एवं क्षमता– विभिन्न प्रकार की भूमि में उपलब्ध मृदा का वर्गीकरण निम्न तालिका में है ।

तालिका सं0 2.4

क0 सं0	भूमि का प्रकार	मृदा का प्रकार (बलुई दोमट, दोमट बलुइ, दोमट चकनी, दोमट)	कुल भूमि (है0 में)	मृदा की गहराई के आधार पर वर्गीकरण (है0 में)					ढाल के आधार पर वर्गीकरण (है0 में)#			
				7.5 से0 मी0 से कम	7.6 से 22. 5 से0 मी0	22.6 से 45 से0 मी0	45.1 से 90 से0 मी0	90 से0 मी0 से अधिक	1–10 %	11–33 %	34–50%	51–100%
1.	कृषि योग्य											
2.	कृषि अयोग्य											
3.	वन क्षेत्र											

भूमि का ढाल प्रतिशत $S=(V/H) \times 100$ सूत्र से निकाला जायेगा । S = भूमि ढाल प्रतिशत , V = ऊर्ध्व दूरी (मी0), H = क्षैतिज दूरी (मी0)

2.5 पोषक तत्वों की मात्रानुसार मृदा का वर्गीकरण – राजस्व ग्राम की विभिन्न परतों की मृदा में उपलब्ध मैकों एवं माइकों न्यूट्रियन्ट की मात्रा का विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत है । मृदा में उपलब्ध न्यूट्रियन्ट की जाँच हेतु ग्राम में ऊँचाई के आधार पर विभिन्न परतो से मृदा के नमूने लिये जायेगें ।

तालिका सं0 2.5

क0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	राजस्व ग्राम में विभिन्न ऊचाँईयों की भूमि	मृदा में पौष्टिक तत्वों की उपलब्धता								
			मैको न्यूट्रियन्ट					माइको न्यूट्रियन्ट			
			पी0 एच0 (P^H)	जैविक कार्बन (C)	एन0 (N)	पी0 (P)	के0 (K)	समस्त			
		निम्न क्षेत्र									
		मध्य क्षेत्र									
		उच्च क्षेत्र									

2.6 जलागम ग्राम में प्रस्तावित भूमि उपयोग – परियोजना अर्न्तगत जलागम ग्राम में भूमि का विभिन्न कार्य हेतु किस प्रकार से उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, उसका उल्लेख ग्रामवार किया जाय ।

तालिका सं0 2.6

क0 सं0	भूमि उपयोग	वर्तमान क्षेत्रफल (है0)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (है0)	टिप्पणी
1	कृषि भूमि			
अ	सिंचित			
ब	असिंचित			
योग				
2	औधानिकी			
अ	सिंचित			
ब	असिंचित			
योग				
3	वन क्षेत्र			
अ	वन पंचायत			
ब	रिजर्व फॉरेस्ट			
स	सिविल सोयम			
योग				
4	बंजर भूमि			
योग				
5	घास/चारागाह			
योग				
6	अन्य			
योग				
महायोग				

अध्याय- 3

भूमि एवं जल संरक्षण

जलागम ग्राम में सिंचाई एवं पेयजल के उपलब्ध स्रोतों का विवरण निम्नवत है।

3.1 जलागम गाँवों में उपलब्ध जल संसाधन : राजस्व ग्राम में उपलब्ध जल संसाधनों का विवरण कार्यशील अथवा बेकार के आधार पर निम्न प्रारूप में किया जाय।

तालिका सं0 3.1

क्र0 सं0	राजस्व ग्राम	श्रोत/धारा (संख्या)	स्टेन्ड पोस्ट (संख्या)	हौज (संख्या)	तालाब (संख्या)	चाल/खाल (संख्या)	गूल (मीटर में)	अन्य	अभ्युक्ति (कार्यशील या बेकार)

3.2 जलागम गाँवों में उपलब्ध जल संसाधन : श्रोत/धारा – जलागम ग्राम में उपलब्ध जल स्रोत अथवा धाराओं का विवरण, उनकी वर्ष में उपलब्धता तथा उनके उद्गम स्थल की दूरी के आधार पर निम्न तालिका में दिया जाए ।

तालिका सं0 3.2

क0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	श्रोत/धाराओं की संख्या तथा क्षमता का विवरण					स्रोत/धाराओं के उद्गम स्थल की गाँव से दूरी (कि0मी0)	उपयोग की स्थिति–सिंचाई, पेयजल आदि
		श्रोत /धाराओं का नाम	12 माह उपयोगी	9 माह तक	6 माह तक	6 माह से कम		

3.3 जलागम गाँवों में उपलब्ध जल संसाधन – स्टैन्ड पोस्ट : जलागम ग्राम में उपलब्ध स्टेन्ड पोस्ट का विवरण वर्ष में जल उपलब्धता तथा उनके उद्‌गम स्थल की दूरी के आधार पर निम्न तालिका में दिया जाए ।

तालिका सं0 3.3

क0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	स्टैन्ड पोस्ट की संख्या तथा क्षमता का विवरण					स्रोत का विवरण	स्रोत की दूरी (कि0मी0)	उपयोग की स्थिति–सिंचाई, पेयजल आदि
		कुल संख्या	12 माह उपयोगी	9 माह तक	6 माह तक	6 माह से कम			

3.4 जलागम गाँवों में उपलब्ध जल संसाधन – हौजः जलागम ग्राम में उपलब्ध हौज का विवरण वर्ष मे जल उपलब्धता के आधार पर निम्न तालिका में दिया जाए ।

तालिका सं0 3.4

क0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	हौज की संख्या तथा क्षमता का विवरण					उपयोग की स्थिति–सिंचाई, पेयजल आदि
		कुल संख्या	12 माह उपयोगी	9 माह तक	6 माह तक	6 माह से कम	

3.5 जलागम गाँवों में उपलब्ध जल संसाधन – तालाब : जलागम ग्राम में उपलब्ध तालाब का विवरण वर्ष में जल उपलब्धता के आधार पर निम्न तालिका में दिया जाए।

तालिका सं0 3.5

क0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	तालाब की संख्या तथा क्षमता का विवरण					उपयोग की स्थिति–सिंचाई, पेयजल आदि
		कुल संख्या	12 माह उपयोगी	9 माह तक	6 माह तक	6 माह से कम	

3.6 जलागम गाँवों में उपलब्ध जल संसाधन – चाल/खाल : जलागम ग्राम में उपलब्ध चाल/खाल का विवरण वर्ष में जल उपलब्धता के आधार पर निम्न तालिका में दिया जाए।

तलिका सं0 3.6

क0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	चाल/खाल की संख्या तथा क्षमता का विवरण					उपयोग की स्थिति–सिंचाई, पेयजल आदि
		कुल संख्या	12 माह उपयोगी	9 माह तक	6 माह तक	6 माह से कम	

3.7 जलागम गाँवों में उपलब्ध जल संसाधन – गूल : जलागम ग्राम में उपलब्ध गूल का विवरण उनकी वर्ष में जल उपलब्धता तथा उनके उद्गम स्थल की दूरी के आधार पर निम्न तालिका में दिया जाए ।

तालिका सं0 3.7

क0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	गूल की संख्या तथा क्षमता का विवरण			स्रोत का विवरण	स्रोत की दूरी (कि0 मी0)	उपयोग की स्थिति–सिंचाई, पेयजल आदि
		गूल की लम्बाई (मीटर में)	उपयोग में लाये जाने वाले महीनों की संख्या	सिंचन क्षमता (है0 में)			

3.8 जलागम गाँवों में उपलब्ध जल संसाधन – अन्य: जलागम ग्राम में उपलब्ध अन्य जल संसाधनों का सम्पूर्ण विवरण दें।

तालिका सं0 3.8

क0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	अन्य जल संसाधन (क्षमता/संख्या)
		विवरण

3.9 जलागम गाँव में उपलब्ध जल संसाधनों के पर्याप्तता की स्थिति – जलागम ग्राम के जल संसाधनों एवं उनमें उपलब्ध जल तथा ग्रामीणों की विभिन्न कार्य हेतु जल आवश्यकता एवं जल संसाधनों से उनकी प्रतिशत पूर्ति का विवरण निम्न तालिका में दिया जाय ।

तालिका सं0 3.9

क0 सं0	जल संसाधन स्रोत	जलागम ग्राम में वास्तविक जल की आवश्यकता (KLD)			जलागम ग्राम में उपलब्ध जल संसाधना जल पूर्ति (KLD)/%			जलागम ग्रामों में जल की कमी (KLD)/%			टिप्पणी
		सिंचाई	पेयजल	अन्य उपयोग	सिंचाई	पेयजल	अन्य उपयोग	सिंचाई	पेयजल	अन्य उपयोग	
1	श्रोत/धारा										
2	स्टैन्ड पोस्ट										
3	हौज										
4	तालाब										
5	चाल/खाल										
6	गूल										
7	अन्य										
	योग										

3.10 मृदा क्षरण प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल : ग्राम में अनियंत्रित जल बहाव से होने वाले मृदा क्षरण से प्रभावित भूमि का विवरण निम्न तालिका में दिया जाय ।

तालिका सं0 3.10

क0 सं0	मृदा क्षरण से प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल (है0)							
	अत्यधिक मृदा क्षरण		सामान्य मृदा क्षरण		न्यून मृदा क्षरण		कुल मृदा क्षरण	
	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित

3.11 भूमि कटाव से प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल – अत्यधिक वर्षा एवं अनियंत्रित जल बहाव से होने वाले भूमि कटाव का विवरण निम्न तालिका में दिया जाय ।

तालिका सं0 3.11

क0 सं0	भूमि कटाव से प्रभावित भूमि (है0)			
	सिंचित	असिंचित	कुल	टिप्पणी

3.12 – प्रस्तावित कार्य (पी0आर0ए0 द्वारा चयनित एवं ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तावित)

जलागम विकास संबन्धी कार्यक्रम

क्रम सं0	प्रस्ताव सं0	कार्य का विवरण	कार्यस्थल (स्थान) का विवरण	व्यक्तिगत कार्य हेतु लाभार्थी का नाम

3.13 – परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य (प्राथमिकता के आधार पर)

परियोजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की सूची :

क0 सं0	प्रस्तावित गतिविधियां	इकाई	संख्या/मात्रा	राजस्व ग्राम का नाम (संख्या/मात्रा)	जी0पी0एस0 रीड़िग
अ	**जलागम विकास कार्य (56%)**				
1	**जल संरक्षण, सम्बर्द्धन एवं संग्रहण हेतु कार्य**				
1.1	पेयजल टैंक	घन0 मी0/सं0			
1.2	वर्षा जल एकत्रीकरण टैंक	घन0 मी0/सं0			
1.3	सिंचाई टैंक	घन0 मी0/सं0			
1.4	गहरा छनित जल कुआँ	घन0 मी0/सं0			
1.5	चाल/खाल/तालाब जीर्णोद्धार	घन0 मी0/सं0			
1.6	गूल (नई)	मीटर/सं0			
1.7	पाइप लाइन (नई)	मीटर/सं0			
1.8	अन्य				

2	**भूमि संरक्षण हेतु कार्य**				
2.1	कंटूर ट्रेंच	है0 / सं0			
2.2	लूज बोल्डर चैक डैम	घन0 मी0 / सं0			
2.3	केटवायर चैक डैम	घन0 मी0 / सं0			
2.4	वानस्पतिक चैक डैम	घन0 मी0 / सं0			
2.5	गतिरोधक दीवार	घन0 मी0 / सं0			
2.6	पुस्ता मरम्मत कार्य	घन0 मी0 / सं0			
2.7	अन्य				
3	**सामुदायिक कार्य**				
3.1	पौधशाला निर्माण	संख्या			
3.2	वृक्षारोपण	है0			
3.3	चारागाह विकास	है0			
3.4	ईधन प्रजाति की पौध का रोपण	है0			
3.5	पशु स्वास्थ्य सुधार	संख्या			
3.6	नस्ल सुधार कार्य	संख्या			
3.7	अन्य				
4	**व्यक्तिगत भूमि हेतु कार्य**				
4.1	पौधशाला निर्माण	संख्या			
4.2	कृषि टैरेसस मरम्मत	है0			
4.3	स्टांल फीडिंग कार्यक्रम	संख्या			
4.4	अन्य				
5	**वैकल्पिक ऊर्जा हेतु कार्य**				
5.1	गोबर गैस प्लान्ट	संख्या			
5.2	सौर ऊर्जा	संख्या			
5.3	पाइन ब्रिकेटिंग मशीन	संख्या			
5.4	घराट उच्चीकरण	संख्या			
5.5	अन्य				

नोटः

1. व्यक्तिगत भूमि हेतु कृषक का नाम अंकित करें।

2. अभियान्त्रिक व वानस्पतिक उपाय (जहां तक सम्भव हो) को मानचित्र पर प्रदर्शित करें।

3. पी0आर0ए0 के समय ग्रामीण समुदाय की आवश्यकतानुसार सुझाये गये कार्यो को भी उक्त कार्यमदों में सम्मिलित किया जा सकेगा।

4. समस्त कार्यों की जी0पी0एस0 रीड़िग अकिंत करें।

नोट– उपरोक्त प्रस्तावित गतिविधियां उदाहराणार्थ दी गयी हैं। गतिविधियों का चयन पी0आर0ए0, नेट प्लानिंग, आदि के माध्यम से चयनित कर प्रस्तावित की जाये।

केन्द्राभिसरण (Convergence) हेतु प्रस्तावित कार्य :–

कम सं0	प्रस्ताव	कार्य का विवरण	स्थान	प्रस्तावित विभाग/योजना	जी0पी0एस0 रीड़िग

अध्याय- 4

कृषि, वानिकी एवं औद्यानिकी सम्बन्धी कार्य

4.1 राजस्व ग्राम में भूमि विभाजन की स्थितिः– राजस्व ग्राम में उपलब्ध भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर वर्गीकरण निम्न तालिका में दिया जाय। क्षेत्रफल के आधार पर कृषकों की संख्या एवं उपलब्ध कुल क्षेत्रफल का अंकन किया जायेगा ।

तालिका 4.1

क0 स0	सीमान्त कृषक (0.5 से कम)		लघु कृषक (0.5 से 1.0 है0)		अर्द्ध मध्यम (1.1 से 4.0 है0)		मध्यम (4.1 से 10.0 है0)		वृहद (10.0 है0 से ऊपर)		कुल		भूमिहीन सं0
	सं0	क्षे0	सं0	क्षे0	सं0	क्षे0	सं0	क्षे0	सं0	क्षे0	सं0	क्षे0	

4.2 जलागम राजस्व ग्राम में सिंचित क्षेत्रान्तर्गत फसल चक्र एवं उत्पादकता (कुन्तल प्रति हैक्टेयर में) – राजस्व ग्राम में उपलब्ध कुल सिंचित भूमि में विभिन्न प्रकार की फसलों से सम्बन्धित सूचना, उनकी उत्पादकता तथा फसल की अनुमानित लागत निम्न तालिका में दी जायेगी।

तालिका सं0. 4.2

क0 सं0	फसल का प्रकार	फसल का नाम	फसल चक (खरीफ, रवी, जायद)	सिंचन का स्रोत (वर्षा आधारित, टयूबवैल, गूल, तालाब, इत्यादि)	क्षेत्रफल (है0)	कुल उत्पादन (कु0)	उत्पादकता (कु0 प्रति है0)	अनुमानित लागत (रू0 प्रति है0)
1	कृषि सम्बन्धित फसलें							
2	फल							
3	सब्जी							
4	फूल							
5	मसाले							

4.3 जलागम क्षेत्र में वर्षा आधारित क्षेत्रान्तर्गत फसल – चक्र एवं उत्पादकता (कुन्तल प्रति हेक्टेयर में) – राजस्व ग्राम में उपलब्ध कुल वर्षा आधारित भूमि में विभिन्न प्रकार की फसलों से सम्बन्धित सूचना, उनकी उत्पादकता तथा फसल की अनुमानित लागत निम्न तालिका में दी जायेगी।

तालिका सं0. 4.3

क0 सं0	फसल का प्रकार	फसल का नाम	फसल चक (खरीफ, रवि, जायद)	सिंचन का स्रोत (वर्षा आधारित, टयूबवैल, गूल, तालाब, इत्यादि)	क्षेत्रफल (है0 में)	कुल उत्पादन (कु0)	उत्पादकता (कु0 प्रति है0)	अनुमानित लागत (रू0 प्रति है0)
1	कृषि सम्बन्धित फसलें							
2	फल							

4.8 परिवार स्तर पर कृषि भूमि का वर्गीकरण– राजस्व ग्राम में प्रत्येक परिवार के स्तर पर कुल कृषि भूमि, सिंचित एवं असिंचित भूमि का क्षेत्रफल हेक्टयर अथवा नाली में निम्न तालिका में दिया जाय ।

प्रारूप–अ

क0 सं0	परिवार के मुखिया का नाम	कुल कृषि भूमि	सिंचित क्षेत्रफल (है0 में)	असिंचित क्षेत्रफल (है0 में)

प्रारूप–ब

क0सं0	परिवार के मुखिया का नाम	कुल सिंचित भूमि		
		औद्यानिकी हेतु भूमि उपयोग क्षेत्रफल (है0)	कृषि हेतु भूमि उपयोग क्षेत्रफल (है0)	अन्य कार्य

प्रारूप–स

क0सं0	परिवार के मुखिया का नाम	कुल असिंचित भूमि		
		औद्यानिकी हेतु भूमि उपयोग क्षेत्रफल (है0)	कृषि हेतु भूमि उपयोग क्षेत्रफल (है0)	अन्य कार्य

4.9 परिवार स्तर पर कृषि एवं सम्बन्धित कार्यो की उत्पादकता का विवरण – परिवार स्तर पर कृषि एवं सम्बन्धित कार्यों की उत्पादकता का विवरण कुल उत्पादन प्रति हेक्टयर अथवा नाली के आधार पर निम्न तालिका में दिया जाय ।

क0 स0	परिवार के मुखिया का नाम	कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्र की उत्पादकता									
		कृषि प्रति है0 उत्पादन (कु0)			औद्यानिकी प्रति है0 / उत्पादन (कु0)			पशुपालन प्रति पशु उत्पादन			चारा उत्पादन (कु0) प्रति है0
		गेहूं	धान	दालें	फल	सब्जी	फूल	दूध	मॉस	अण्डा	

4.10 प्रस्तावित कार्य (पी0आर0ए0 द्वारा चयनित एवं ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तावित)

उत्पादन प्रणाली सुधार एवं लघु उद्योग सम्बन्धी कार्य–

क्रम सं0	प्रस्ताव सं0	कार्य का विवरण	कार्यस्थल (स्थान) का विवरण	व्यक्तिगत कार्य हेतु लाभार्थी का नाम

4.11 परियोजना में "उत्पादन प्रणाली सुधार एवं लघु उद्योग" मद के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य –

स – कृषि एवं उद्यान, पशुपालन एवं अन्य सम्बन्धित आय–अर्जक गतिविधियाँ (10%)					
1.1	सब्जी उत्पादन	है0			
1.2	मसालों की खेती	है0			
1.3	दालों की खेती	है0			
1.4	अनाज की खेती	है0			
1.5	उन्नत कृषि यंत्र	संख्या			
1.6	पॉली हाऊस	संख्या			
1.7	पॉली टनल	संख्या			
1.8	फल उद्यान	है0			
1.9	फलोद्यान जीर्णोद्धार	है0			
1.10	जैविक खाद प्रदर्शन	संख्या			
1.11	मत्स्य पालन इत्यादि	संख्या			
1.12	लघु उद्योग	संख्या			
1.13	अन्य गतिविधियाँ				

नोट– उपरोक्त प्रस्तावित गतिविधियां उदाहराणार्थ दी गयी हैं। गतिविधियों का चयन पी0आर0ए0, नेट प्लानिंग, आदि के माध्यम से चयनित कर प्रस्तावित की जाये।

4.12 केन्द्राभिसरण (Convergence) हेतु प्रस्तावित कार्य

कम सं0	प्रस्ताव सं0	कार्य	लाभार्थी	विभाग/योजना का नाम	जी0पी0एस0 रीड़िग

अध्याय- 5

जीविकोपार्जन सम्बन्धित कार्य

5.1 जीविकोपार्जन के प्रकार– राजस्व ग्राम में जीविकोपार्जन हेतु किये जा रहे विभिन्न कार्यो का विवरण निम्न तालिका में दिया जाय। तालिका में ग्रामिणों की संख्या उल्लेखित कि जाय ।

तालिका सं0 5.1

क 0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	जीविकोपार्जन के अनुसार ग्रामीणों की संख्या का वर्गीकरण														
		कृषि		औद्यानिकी				पशुपालन					निजी व्यवसाय	सेवारत		मजदूरी	अन्य
		जैविक	अजैविक	फल	सब्जी	मसाले	फूल	गाय/ भैस	बकरी	मुर्गी	मछली	घोडा/ खच्चर		निजी	सरकारी		

5.2 जीविकोपार्जन से प्राप्त औसत आय– ग्रामीणों द्वारा किये जा रहे विभिन्न जीविकोपार्जन सम्बन्धित कार्यो से प्राप्त औसत आय का विवरण निम्न तालिका में दिया जाय।

तालिका सं0 5.2

क0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	जीविकोपार्जन के प्रकार अनुसार वार्षिक औसत आय (हजार में)														
		कृषि		औद्यानिकी				पशुपालन					निजी व्यवसाय	सेवारत		मजदूरी	अन्य
		जैविक	अजैविक	फल	सब्जी	मसाले	फूल	गाय/ भैस	बकरी	मुर्गी	मछली	घोडा/ खच्चर		निजी	सरकारी		

5.3 राजस्व ग्राम में परिवारों का जीवन स्तर – राजस्व ग्राम में निवासरत ग्रामीणो का जीवन स्तर, उपयोग की जा रही सुविधाएं तथा विभिन्न स्थापनाओं का विवरण निम्न तालिका में दिया जाय ।

तालिका सं0 5.3.1

परिवार विवरण																					
राजस्व ग्राम का नाम–																					
क्र0 सं0	परिवार के मुखिया का नाम	जाति	व्यवसाय	बी.पी.एल. या ए.पी.एल.	परिवार के सदस्यों का विवरण					साक्षरता विवरण					पशुधन विवरण								
					पुरूश	महिला	लड़का	लड़की	योग	पुरूष	महिला	लड़का	लड़की	योग	गाय	बैल	बछिया / बछड़ा	भैंस	कटिया / कटड़ा	बकरी / भेड	घोड़ा / खच्चर	अन्य	योग

तालिका सं0 5.3.2

परिवार विवरण																						
राजस्व ग्राम का नाम–																						
क्र0 सं0	कृषि भूमि (है0 में)	सुविधा विवरण								फलदार वृक्षों का विवरण									चारा प्रजाति के वृक्षों का विवरण								
		पक्का मकान	पेयजल	शौचालय	रेडियो / टेप	टी0वी0	डिश	अन्य	विद्युत	आम	माल्टा नीबू	सेब	आड़ू	खुमानी	नाशपाती	अमरूद	अन्य	भीमल	खड़िक कचनार /	क्वैराल	तिमिला	गैती	सैंज	बहेड़ा	बॉज	अन्य

5.4 **पलायन का स्तर** – राजस्व ग्राम से पलायित व्यक्तियों तथा ग्राम में निवासरत ग्रामीणों की सूचना निम्न तालिका में दी जाय ।

तालिका सं0 5.4

क्र0 सं0	पलायित व्यस्क ग्रामीणों के नाम	पलायन की दूरी	पलायन स्थाई / अस्थाई	पलायन के दौरान जीविकोपार्जन के साधन	पलायन अवधि में औसत आय प्रतिमाह	पलायित परिवारों के पास उपलब्ध कृषि भूमि (है0)		अपलायित व्यस्क ग्रामीणों की संख्या	राजस्व ग्राम में रहने वाले ग्रामीणों की औसत आय प्रतिमाह
						सिंचित	असिंचित		

5.5 परिवार में जीविकोपार्जन का स्तर – जलागम ग्राम में निवासरत व्यस्क ग्रामीणों की संख्या तथा वर्तमान में जीविकोपार्जन सम्बन्धी कार्य कर रहे व्यस्कों की संख्या निम्न तालिका में दी जाय ।

तालिका सं0 5.5

क्र0 सं0	कुल परिवारों की संख्या	राजस्व ग्राम में कुल व्यस्क ग्रामिणों की संख्या		राजस्व ग्राम में जीविकोपार्जन कर रहे व्यस्क ग्रामिणों की संख्या	
		पुरूष	महिला	पुरूष	महिला

5.6 परिवार स्तर पर आय का विवरण– राजस्व ग्राम में परिवारों द्वारा किये जा रहे विभिन्न जीविकोपार्जन सम्बन्धी कार्यो से प्राप्त आय का विवरण निम्न तालिका में दिया जाय ।

तालिका सं0 5.6

क0 सं0	सामाजिक मानचित्र के अनुसार मकान न0	परिवार के मुखिया का नाम	विभिन्न स्रोतों से परिवार को प्रति माह प्राप्त आय (रू0 में)								
			औद्यानिकी कार्य	कृषि कार्य	पशुपालन	व्यवसाय	स्वरोजगार	नौकरी	मजदूरी	अन्य	कुल

5.7 परियोजना क्षेत्र में गठित समूहों का विवरण – राजस्व ग्राम में गठित समूहों का विवरण, जो कि जीविकोपार्जन अथवा बचत सम्बन्धी कार्य को कर रहे हो कि सूचना निम्न तालिका में दी जाय ।

तालिका सं0 5.7

क0 स0	समूह का नाम	समूह का प्रकार	समूह का गठन वर्ष	कुल सदस्य संख्या	गरीब वर्ग के सदस्य	मुख्य रूप से किये जा रहे कार्यो का विवरण	समूह की वार्षिक आय	समूह का शुद्ध लाभ

5.8 परियोजना क्षेत्र में प्रस्तावित उपभोगता समूह का विवरणः **तालिका सं0 5.8**

क्र0सं0	उपभोक्ता समूह का प्रकार	कुल सदस्य	गरीब वर्ग के सदस्य की संख्या	सामान्य वर्ग के सदस्य की संख्या

5.9 प्रस्तावित कार्य **तालिका सं0 5.9**

क्र0 स0	लाभार्थी समूह का नाम	लाभार्थी सं0	प्रस्तावित कार्य का विवरण	प्रस्तावित धनराशि (रू0 में)	संभावित लाभ	लाभार्थियों का नाम *

* प्रत्येक समूह का नाम एवं लाभार्थियों का विवरण संलग्न करें।

अध्याय- 6

परियोजना के अर्न्तगत प्रस्तावित कार्य (ग्राम पंचायत में)

परियोजना की लागतः—

ग्राम पंचायत :—

चयनित क्षेत्रफल (क्षे0)

परियोजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की सूचीः—

कुल धनराशि (रू0)

तालिका : 6.1

क0 सं0	प्रस्तावित गतिविधियां	इकाई	संख्या / मात्रा	राजस्व ग्राम का नाम (संख्या / मात्रा)
अ	**जलागम विकास कार्य (56%)**			
1	**जल संरक्षण, सम्बर्द्धन एवं संग्रहण हेतु कार्य**			
1.1	पेयजल टैंक	घन0मी0 / सं0		
1.2	वर्षा जल एकत्रीकरण टैंक	घन0मी0 / सं0		
1.3	सिंचाई टैंक	घन0मी0 / सं0		
1.4	गहरा छनित जल कुऑ	घन0मी0 / सं0		
1.5	चाल / खाल / तालाब जीर्णोद्धार	घन0मी0 / सं0		
1.6	गूल (नई)	मीटर / सं0		
1.7	पाइप लाइन (नई)	मीटर / सं0		
1.8	अन्य			
2	**भूमि संरक्षण हेतु कार्य**			
2.1	कंटूर ट्रेंच	है0 / सं0		
2.2	लूज बोल्डर चैक डैम	घन0मी0 / सं0		

2.3	केटवायर चैकडैम	घन0मी0 / सं0		
2.4	वानस्पतिक चैक डैम	र0मी0 / सं0		
2.5	गतिरोधक दीवार	घन0मी0 / सं0		
2.6	पुस्ता मरम्मत कार्य	घन0मी0 / सं0		
2.7	अन्य			
3	**सामुदायिक कार्य**			
3.1	पौधशाला निर्माण	संख्या		
3.2	वृक्षारोपण	है0		
3.3	चारागाह विकास	है0		
3.4	ईधन प्रजाति की पौध का रोपण	है0		
3.5	पशु स्वास्थ्य सुधार	संख्या		
3.6	नस्ल सुधार कार्य	संख्या		
3.7	अन्य			
4	**व्यक्तिगत भूमि हेतु कार्य**			
4.1	पौधशाला निर्माण	संख्या		
4.2	कृषि टैरेसस मरम्मत	है0		
4.3	स्टांल फीडिंग कार्यक्रम	संख्या		
4.4	अन्य			
5	**वैकल्पिक ऊर्जा हेतु कार्य**			
5.1	गोबर गैस प्लान्ट	संख्या		
5.2	सौर ऊर्जा	संख्या		
5.3	पाइन ब्रिकेटिंग मशीन	संख्या		
5.4	घराट उच्चीकरण	संख्या		
5.5	अन्य			
ब – आजीविका सम्बन्धी कार्य (9%)				
6.1	पशुपालन सम्बन्धी आय–अर्जक गतिविधियां (दुग्ध, कुक्कुट पालन, बकरी पालन)	संख्या		
6.2	अन्य जीविकोपार्जन गतिविधियां (दुकान, लोहारगिरी, बढईगिरी, सिंलाई कढाई आदि, ।)	संख्या		
6.3	अन्य			

स – उत्पादन प्रणाली तथा अति लघु उद्यम (10%)				
7.1	सब्जी, उत्पादन	है0		
7.2	मसालों की खेती	है0		
7.3	दालों की खेती	है0		
7.4	अनाज की खेती	है0		
7.5	उन्नत कृषि यंत्र	संख्या		
7.6	पॉली हाऊस	संख्या		
7.7	पॉली टनल	संख्या		
7.8	फल उद्यान	है0		
7.9	फलोद्यान जीर्णोद्धार	है0		
7.10	जैविक खाद प्रदर्शन	संख्या		
7.11	मत्स्य पालन इत्यादि	संख्या		
7.12	लघु उद्योग	संख्या		
7.13	अन्य			

नोट– उपरोक्त प्रस्तावित गतिविधियां उदाहरानार्थ दी गयी हैं। गतिविधियों का चयन पी0आर0ए0, नेट प्लानिंग, आदि के माध्यम से चयनित कर प्रस्तावित की जाये।

प्रस्तावित कार्यो की आंकलित लागत (रूपये में)

चयनित क्षेत्रफल (क्षे0)
कुल धनराशि (रू0)

तालिका : 6.2

क0 सं0	प्रस्तावित गतिविधियां	इकाई	संख्या/ मात्रा	यूनिट रेट	योग
अ	**जलागम विकास कार्य (56%)**				
1	**जल संरक्षण, सम्बर्द्धन एवं संग्रहण हेतु कार्य**				
1.1	पेयजल टैंक	घन0मी0/सं0			
1.2	वर्षा जल एकत्रीकरण टैंक	घन0मी0/सं0			
1.3	सिंचाई टैंक	घन0मी0/सं0			

1.4	गहरा छनित जल कुआँ	घन0मी0 / सं0			
1.5	चाल / खाल / तालाब जीर्णोद्धार	घन0मी0 / सं0			
1.6	गूल (नई)	मीटर / सं0			
1.7	पाइप लाइन (नई)	मीटर / सं0			
1.8	अन्य				
2	**भूमि संरक्षण हेतु कार्य**				
2.1	कंटूर ट्रेंच	है0 / सं0			
2.2	लूज बोल्डर चैक डैम	घन0मी0 / सं0			
2.3	केटवायर चैकडैम	घन0मी0 / सं0			
2.4	वानस्पतिक चैक डैम	र0मी0 / सं0			
2.5	गतिरोधक दीवार	घन0मी0 / सं0			
2.6	पुस्ता मरम्मत कार्य	घन0मी0 / सं0			
2.7	अन्य				
3	**सामुदायिक कार्य**				
3.1	पौधशाला निर्माण	संख्या			
3.2	वृक्षारोपण	है0			
3.3	चारागाह विकास	है0			
3.4	ईधन प्रजाति की पौध का रोपण	है0			
3.5	पशु स्वास्थ्य सुधार	संख्या			
3.6	नस्ल सुधार कार्य	संख्या			
3.7	अन्य				
4	**व्यक्तिगत भूमि हेतु कार्य**				
4.1	पौधशाला निर्माण	संख्या			
4.2	कृषि टैरेसस मरम्मत	है0			
4.3	स्टांल फीडिंग कार्यक्रम	संख्या			
4.4	अन्य				
5	**वैकल्पिक ऊर्जा हेतु कार्य**				
5.1	गोबर गैस प्लान्ट	संख्या			
5.2	सौर ऊर्जा	संख्या			
5.3	पाइन ब्रिकेटिंग मशीन	संख्या			
5.4	घराट उच्चीकरण	संख्या			
5.5	अन्य				
योग – 56 %					

ब – आजीविका सम्बन्धी कार्य (9%)					
6.1	पशुपालन सम्बन्धी आय–अर्जक गतिविधियां (दुग्ध, कुक्कुट पालन, बकरी पालन)	संख्या			
6.2	अन्य जीविकोपार्जन गतिविधियां (दुकान, लोहारगिरी, बढईगिरी,, सिंलाई कढाई आदि, ।)	संख्या			
6.3	अन्य				
	योग – 9 %				
स – उत्पादन प्रणाली तथा अति लद्यु उद्यम (10%)					
7.1	सब्जी, उत्पादन	है0			
7.2	मसालों की खेती	है0			
7.3	दालों की खेती	है0			
7.4	अनाज की खेती	है0			
7.5	उन्नत कृषि यंत्र	संख्या			
7.6	पॉली हाऊस	संख्या			
7.7	पॉली टनल	संख्या			
7.8	फल उद्यान	है0			
7.9	फलोद्यान जीर्णोद्धार	है0			
7.10	जैविक खाद प्रदर्शन	संख्या			
7.11	मत्स्य पालन इत्यादि	संख्या			
7.12	लघु उद्योग	संख्या			
7.13	अन्य				
योग – 10%					
महायोग (56+9+10)					

प्रस्तावित कार्यो का वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक विवरण :–(रू0 हजार में) **तालिका : 6.3**

क0 सं0	प्रस्तावित गतिविधियां	इकाई	यूनिट रेट	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		कुल	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय

अ	**जलागम विकास कार्य (56%)**										
1	**जल संरक्षण, सम्बर्द्धन एवं संग्रहण हेतु कार्य**										
1.1	पेयजल टैंक	घन0मी0/सं0									
1.2	वर्षा जल एकत्रीकरण टैंक	घन0मी0/सं0									
1.3	सिंचाई टैंक	घन0मी0/सं0									
1.4	गहरा छनित जल कुआँ	घन0मी0/सं0									
1.5	चाल/खाल/तालाब जीर्णोद्धार	घन0मी0/सं0									
1.6	गूल (नई)	मीटर/सं0									
1.7	पाइप लाइन (नई)	मीटर/सं0									
1.8	अन्य										
2	**भूमि संरक्षण हेतु कार्य**										
2.1	कंटूर ट्रेंच	है0/सं0									
2.2	लूज बोल्डर चैक डैम	घन0मी0/सं0									
2.3	केटवायर चैकडैम	घन0मी0/सं0									
2.4	वानस्पतिक चैक डैम	र0मी0/सं0									
2.5	गतिरोधक दीवार	घन0मी0/सं0									
2.6	पुस्ता मरम्मत कार्य	घन0मी0/सं0									
2.7	अन्य										
3	**सामुदायिक कार्य**										
3.1	पौधशाला निर्माण	संख्या									
3.2	वृक्षारोपण	है0									
3.3	चारागाह विकास	है0									
3.4	ईधन प्रजाति की पौध का रोपण	है0									
3.5	पशु स्वास्थ्य सुधार	संख्या									
3.6	नस्ल सुधार कार्य	संख्या									
3.7	अन्य										
4	**व्यक्तिगत भूमि हेतु कार्य**										
4.1	पौधशाला निर्माण	संख्या									
4.2	कृषि टैरेसस मरम्मत	है0									
4.3	स्टांल फीडिंग कार्यक्रम	संख्या									
4.4	अन्य										

5	**वैकल्पिक ऊर्जा हेतु कार्य**										
5.1	गोबर गैस प्लान्ट	संख्या									
5.2	सौर ऊर्जा	संख्या									
5.3	पाइन ब्रिकेटिंग मशीन	संख्या									
5.4	घराट उच्चीकरण	संख्या									
5.5	अन्य										
योग – 56 %											
ब – आजीविका सम्बन्धी कार्य (9%)											
6.1	पशुपालन सम्बन्धी आय–अर्जक गतिविधियां (दुग्ध, कुक्कुट पालन, बकरी पालन)	संख्या									
6.2	अन्य जीविकोपार्जन गतिविधियां (दुकान, लोहारगिरी, बढईगिरी,, सिंलाई कढाई आदि, ।)	संख्या									
6.3	अन्य										
	योग – 9 %										
स – उत्पादन प्रणाली तथा अति लघु उद्यम (10%)											
7.1	सब्जी उत्पादन	है0									
7.2	मसालों की खेती	है0									
7.3	दालों की खेती	है0									
7.4	अनाज की खेती	है0									
7.5	उन्नत कृषि यंत्र	संख्या									
7.6	पॉली हाऊस	संख्या									
7.7	पॉली टनल	संख्या									
7.8	फल उद्यान	है0									
7.9	फलोद्यान जीर्णोद्धार	है0									
7.10	जैविक खाद प्रदर्शन	संख्या									
7.11	मत्स्य पालन इत्यादि	संख्या									
7.12	लघु उद्योग	संख्या									
7.13	अन्य										
योग – 10%											
महायोग (56+9+10)											

4.1 आरक्षित वनक्षेत्र के अन्तर्गत परियेाजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की सूची :–

तालिका : 6.3 अ

क0 सं0	प्रस्तावित गतिविधियां	इकाई	संख्या /मात्रा	धनराशि (रूपये)	कम्पार्टमैन्ट नं0
अ	जलागम विकास कार्य (56%)				
1	जल संरक्षण, सम्बर्द्धन एवं संग्रहण हेतु कार्य				
2	भूमि संरक्षण हेतु कार्य				
3	पौधशाला निर्माण				
4	अन्य				

आरक्षित वनक्षेत्र में प्रस्तावित कार्यो का वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक विवरण :–(रू0 हजार में)

तालिका : 6.3 ब

क0 सं0	प्रस्तावित गतिविधियां	इकाई	यूनिट रेट	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		कुल	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
	जलागम विकास कार्य (56%)										
	कम्पार्टमैन्ट नं0										
1	भूमि संरक्षण हेतु कार्य										
2	जल संरक्षण एवं संवर्द्धन के कार्य										
3	वानिकी कार्य										
4	अन्य										

परियोजना के अर्न्तगत प्रस्तावित कार्य (राजस्व ग्राम में)

राजस्व ग्राम :–

परियोजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की सूची एवं आंकलित लागत (रूपये में)

तालिकाः 6.

क0 सं0	प्रस्तावित गतिविधियां	इकाई	संख्या/ मात्रा	यूनिट रेट	योग	जी0पी0एस0 रीडिग
अ	**जलागम विकास कार्य (56%)**					
1	**जल संरक्षण, सम्बर्द्धन एवं संग्रहण हेतु कार्य**					
1.1	पेयजल टैंक	घन0मी0/सं0				
1.2	वर्षा जल एकत्रीकरण टैंक	घन0मी0/सं0				
1.3	सिंचाई टैंक	घन0मी0/सं0				
1.4	गहरा छनित जल कुआँ	घन0मी0/सं0				
1.5	चाल/खाल/तालाब जीर्णोद्धार	घन0मी0/सं0				
1.6	गूल (नई)	मीटर/सं0				
1.7	पाइप लाइन (नई)	मीटर/सं0				
1.8	अन्य					
2	**भूमि संरक्षण हेतु कार्य**					
2.1	कंटूर ट्रेंच	है0/सं0				
2.2	लूज बोल्डर चैक डैम	घन0मी0/सं0				
2.3	केटवायर चैकडैम	घन0मी0/सं0				
2.4	वानस्पतिक चैक डैम	र0मी0/सं0				
2.5	गतिरोधक दीवार	घन0मी0/सं0				
2.6	पुस्ता मरम्मत कार्य	घन0मी0/सं0				
2.7	अन्य					
3	**सामुदायिक कार्य**					
3.1	पौधशाला निर्माण	संख्या				
3.2	वृक्षारोपण	है0				

3.3	चारागाह विकास	है0				
3.4	ईधन प्रजाति की पौध का रोपण	है0				
3.5	पशु स्वास्थ्य सुधार	संख्या				
3.6	नस्ल सुधार कार्य	संख्या				
3.7	अन्य					
4	**व्यक्तिगत भूमि हेतु कार्य**					
4.1	पौधशाला निर्माण	संख्या				
4.2	कृषि टैरेसस मरम्मत	है0				
4.3	स्टांल फीडिंग कार्यक्रम	संख्या				
4.4	अन्य					
5	**वैकल्पिक ऊर्जा हेतु कार्य**					
5.1	गोबर गैस प्लान्ट	संख्या				
5.2	सौर ऊर्जा	संख्या				
5.3	पाइन ब्रिकेटिंग मशीन	संख्या				
5.4	घराट उच्चीकरण	संख्या				
5.5	अन्य					
योग – 56 %						
ब – आजीविका सम्बन्धी कार्य (9%)						
6.1	पशुपालन सम्बन्धी आय–अर्जक गतिविधियां (दुग्ध, कुक्कुट पालन, बकरी पालन)	संख्या				
6.2	अन्य जीविकोपार्जन गतिविधियां (दुकान, लोहारगिरी, बढईगिरी, सिंलाई कढाई आदि,।)	संख्या				
6.3	अन्य					
	योग – 9 %					
स – उत्पादन प्रणाली तथा अति लघु उद्यम (10%)						
7.1	सब्जी, उत्पादन	है0				
7.2	मसालों की खेती	है0				
7.3	दालों की खेती	है0				
7.4	अनाज की खेती	है0				

7.5	उन्नत कृषि यंत्र	संख्या				
7.6	पॉली हाऊस	संख्या				
7.7	पॉली टनल	संख्या				
7.8	फल उद्यान	है0				
7.9	फलोद्यान जीर्णोद्धार	है0				
7.10	जैविक खाद प्रदर्शन	संख्या				
7.11	मत्स्य पालन इत्यादि	संख्या				
7.12	लघु उद्योग	संख्या				
7.13	अन्य					
योग – **10%**						
महायोग **(56+9+10)**						

प्रस्तावित कार्यो का वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक विवरण :–(रू0 हजार में)

तालिका : 6.5

क0सं0	प्रस्तावित गतिविधियां	इकाई	यूनिट दर	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		कुल	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
अ	**जलागम विकास कार्य (56%)**										
1	**जल संरक्षण, सम्बर्द्धन एवं संग्रहण हेतु कार्य**										
1.1	पेयजल टैंक	घन0मी0 / सं0									
1.2	वर्षा जल एकत्रीकरण टैंक	घन0मी0 / सं0									
1.3	सिंचाई टैंक	घन0मी0 / सं0									
1.4	गहरा छनित जल कुआँ	घन0मी0 / सं0									
1.5	चाल / खाल / तालाब जीर्णोद्धार	घन0मी0 / सं0									
1.6	गूल (नई)	मीटर / सं0									
1.7	पाइप लाइन (नई)	मीटर / सं0									
1.8	अन्य										

2	**भूमि संरक्षण हेतु कार्य**											
2.1	कंटूर ट्रेंच	है0 / सं0										
2.2	लूज बोल्डर चैक डैम	घन0मी0 / सं0										
2.3	केटवायर चैकडैम	घन0मी0 / सं0										
2.4	वानस्पतिक चैक डैम	र0मी0 / सं0										
2.5	गतिरोधक दीवार	घन0मी0 / सं0										
2.6	पुस्ता मरम्मत कार्य	घन0मी0 / सं0										
2.7	अन्य											
3	**सामुदायिक कार्य**											
3.1	पौधशाला निर्माण	संख्या										
3.2	वृक्षारोपण	है0										
3.3	चारागाह विकास	है0										
3.4	ईधन प्रजाति की पौध का रोपण	है0										
3.5	पशु स्वास्थ्य सुधार	संख्या										
3.6	नस्ल सुधार कार्य	संख्या										
3.7	अन्य											
4	**व्यक्तिगत भूमि हेतु कार्य**											
4.1	पौधशाला निर्माण	संख्या										
4.2	कृषि टैरेसस मरम्मत	है0										
4.3	स्टांल फीडिंग कार्यक्रम	संख्या										
3.7	अन्य											
5	**वैकल्पिक ऊर्जा हेतु कार्य**											
5.1	गोबर गैस प्लान्ट	संख्या										
5.2	सौर ऊर्जा	संख्या										
5.3	पाइन ब्रिकेटिंग मशीन	संख्या										

5.4	घराट उच्चीकरण	संख्या									
5.5	अन्य										
योग – 56 %											
ब – आजीविका सम्बन्धी कार्य (9%)											
6.1	पशुपालन सम्बन्धी आय–अर्जक गतिविधियां (दुग्ध, कुक्कुट पालन, बकरी पालन)	संख्या									
6.2	अन्य जीविकोपार्जन गतिविधियां (दुकान, लोहारगिरी, बढईगिरी, सिंलाई कढाई आदि,।)	संख्या									
6.3	अन्य										
योग – 9 %											
स – उत्पादन प्रणाली तथा अति लघु उद्यम (10%)											
7.1	सब्जी उत्पादन	है0									
7.2	मसालों की खेती	है0									
7.3	दालों की खेती	है0									
7.4	अनाज की खेती	है0									
7.5	उन्नत कृषि यंत्र	संख्या									
7.6	पॉली हाऊस	संख्या									
7.7	पॉली टनल	संख्या									
7.8	फल उद्यान	है0									
7.9	फलोद्यान जीर्णोद्धार	है0									
7.10	जैविक खाद प्रदर्शन	संख्या									
7.11	मत्स्य पालन इत्यादि	संख्या									
7.12	लघु उद्योग	संख्या									
7.13	अन्य										
योग – 10%											
महायोग (56+9+10)											

नोटः

1. व्यक्तिगत भूमि हेतु कृषक का नाम अंकित करें।
2. अभियान्त्रिक व वानस्पतिक उपाय (जहां तक सम्भव हो) को मानचित्र पर प्रदर्शित करें।
3. पी0आर0ए0 के समय ग्रामीण समुदाय की आवश्यकतानुसार सुझाये गये कार्यो को भी उक्त कार्यमदों में सम्मिलित किया जा सकेगा।
4. समस्त कार्यों की जी0पी0एस0 रीड़िग अकिंत करें।

ग्राम पंचायत में केन्द्राभिसरण (Convergence) के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की सूचीः–

- जलागम विकास परियोजनाओं के लिये समान मार्गदर्शी सिद्धान्त–2008 की मूल भावना के अनुसार परियोजना क्षेत्रान्तर्गत जलागम विकास कार्यो को संतृप्त करना है। डब्ल्यू0डी0टी0 द्वारा किये गये क्षेत्रीय आंकलन, सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन तथा ग्रामीण समुदाय की मांग अनुसार यदि परियोजना क्षेत्र में कार्यो की आवश्यकता आई0डब्ल्यू0एम0पी0 के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से ज्यादा है, तो सम्बन्धित रेखीय विभाग अथवा ग्राम पंचायत द्वारा यह अतिरिक्त कार्य मनरेगा (MGNREGA) एवं अन्य रेखीय विभागों द्वारा किये जा रहे समरुपी जलागम विकास कार्यो से केन्द्राविसरण (Convergence) कर क्रियान्वित किये जा सकते हैं।
- ऐसी स्थिति में अतिरिक्त कार्यो का उल्लेख इसी अध्याय में अलग से परिलक्षित किये जाय।
- समस्त प्रस्तावित गतिविधियों एवं लाभार्थी का विवरण जी0पी0एस0 रीडिंग सहित संलग्न करें।

कम सं0	गतिविधि	संख्या/मात्रा	लागत (रू0 में)	ग्राम पंचायतों का नाम	प्रस्तावित रेखीय विभाग	जी0पी0एस0 रीडिंग

अध्याय- 7

विभिन्न मानचित्र

7.1 परियोजना रिपोर्ट के साथ लगाये जाने वाले मानचित्रों का विवरण – परियोजना ग्राम का कैडेस्टेरल मानचित्र (Cadastral Maps) प्राप्त कर निम्न मानचित्र बनाये जायेगें । इन मानचित्रों को कम्पूटर में स्कैन कर सुरक्षित रखा जायेगा ।

1 वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र
2 सामाजिक मानचित्र
3 ड्रेनेंज लाइन मानचित्र
4 संसाधन मानचित्र
5 भूमि ढाल मानचित्र
6 प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र
7 कैडेस्टल मैप

Cadastral Map of Vikrampur GP, IWMP-I, UdhamSingh Nagar

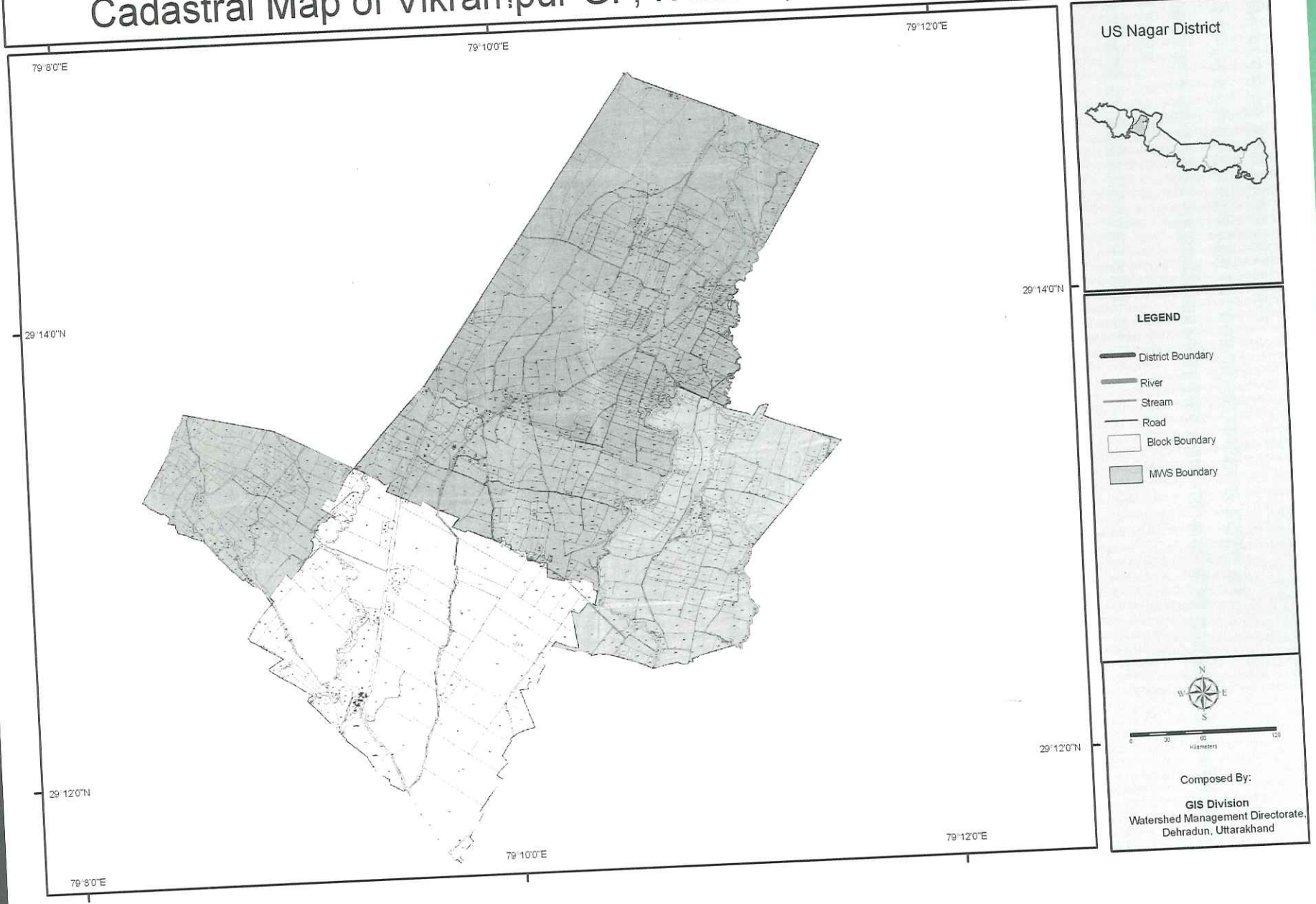

Cadastral Map of Rainta Village, IWMP-I, UdhamSingh Nagar

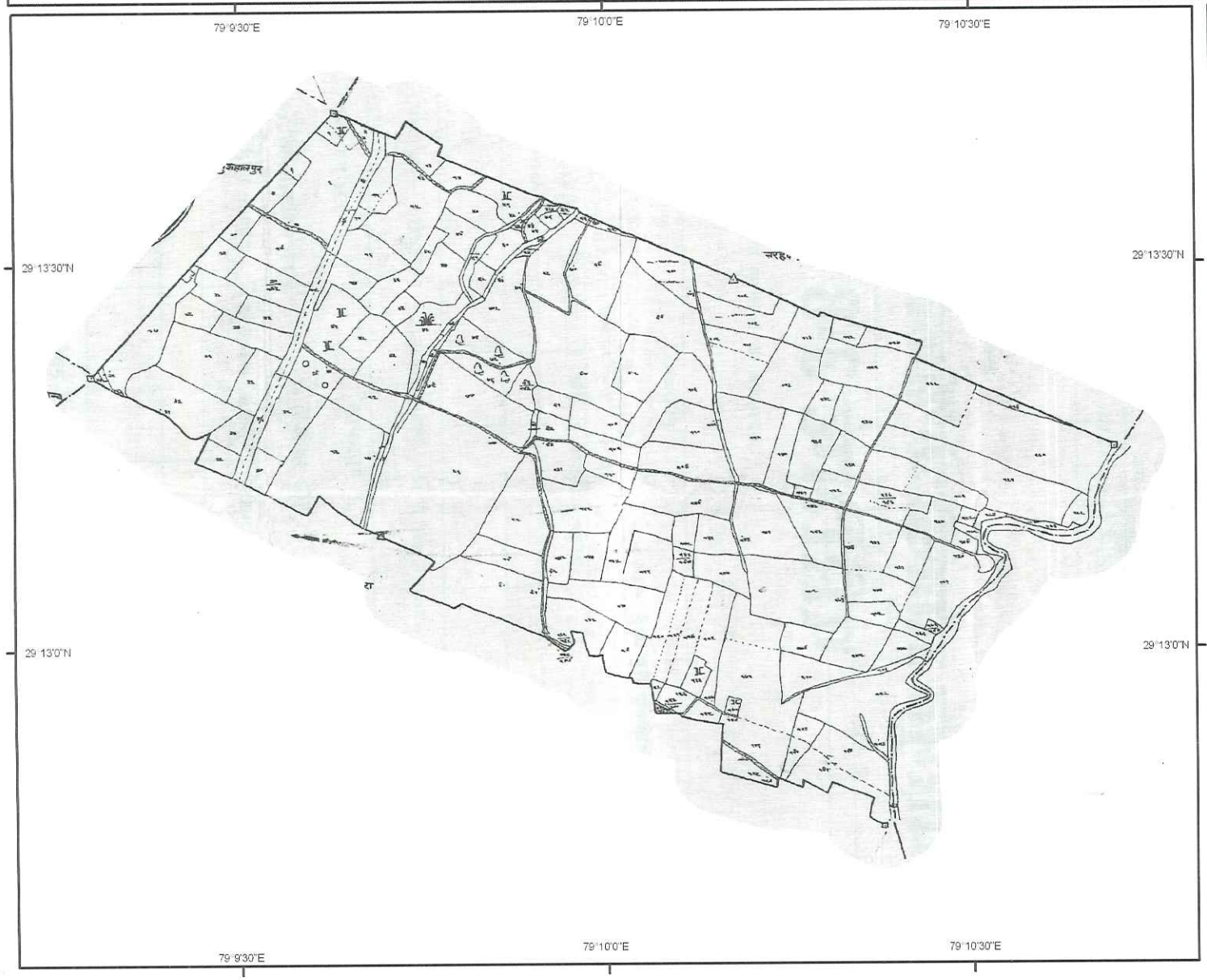

US Nagar District

LEGEND

- District Boundary
- River
- Stream
- Road
- Block Boundary
- MWS Boundary

N
W E
S

0 30 60 120
Kilometers

Composed By:

GIS Division
Watershed Management Directorate,
Dehradun, Uttarakhand

आधारभूत आकड़ों के संकलन हेतु प्रपत्र

परिशिष्ट 3-8

परिशिष्ट – 3

प्राकृतिक संसाधन मानचित्रण

जलागम राजस्व ग्राम में उपलब्ध जल संसाधन : श्रोत/धारा

क0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	श्रोत/धाराओं की संख्या तथा क्षमता का विवरण					स्रोत/धाराओं के उद्गम स्थल की दूरी (कि0 मी0)	उपयोग की स्थिति–सिंचाई, पेयजल आदि
		कुल संख्या	12 माह उपयोगी	9 माह तक	6 माह तक	6 माह से कम		

जलागम राजस्व ग्राम में उपलब्ध जल संसाधन : तालाब

क0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	तालाब की संख्या तथा क्षमता का विवरण					उपयोग की स्थिति– सिंचाई, पेयजल आदि
		कुल संख्या	12 माह उपयोगी	9 माह तक	6 माह तक	6 माह से कम	

जलागम राजस्व ग्राम के समीप आरक्षित वन क्षेत्रों का आच्छादन :

राजस्व ग्राम	आरक्षित वन क्षेत्र (है0)	आच्छादन * (हैक्टेयर में)				मुख्य वृक्ष प्रजातियों के नाम	मुख्य चारा घास प्रजातियों के नाम
		बहुत कम	कम	मध्यम	अच्छा		

नोटः * आच्छादन – बहुत कम – < 25%, कम – 25 से 50%, मध्यम – 51 से 70% , अच्छा – >70%

राजस्व ग्राम	अन्य वन क्षेत्र (पंचायत/सिविल सोयम वन है0 में)	आच्छादन * (हैक्टेयर में)				मुख्य वृक्ष प्रजातियां के नाम	मुख्य चारा घास प्रजातियों के नाम
		बहुत कम	कम	मध्यम	अच्छा		

जलागम राजस्व ग्राम के वन पंचायत/सिविल सोयम वन आच्छादन :

* आच्छादन – बहुत कम – < 25%, कम – 25 से 50%, मध्यम – 51 से 70% , अच्छा – >70%

औसत वर्षा :

क0 सं0	जलागम ग्राम का नाम	औसत वर्षा (मि0मी0)											
		जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर

औसत तापमान :

क्रं0 सं0	जलागम ग्राम का नाम	औसत अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान (डि0से0)																					
		जनवरी		फरवरी		मार्च		अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितम्बर		अक्टूबर		नवम्बर		दिसम्बर	
		अधि0	न्यू0	अधि0	न्यू0	अधि0	न्यू0	अधि0	न्यू0	अधि0	न्यू0	अधि0	न्यू0	अधि0	न्यू0	अधि0	न्यू0	अधि0	न्यू0	अधि0	न्यू0	अधि0	न्यू0	अधि0	न्यू0

नोट :– इस पी0आर0ए0 अध्ययन के साथ ड्रेनेज लाइन एवं संसाधन मानचित्र संलग्न किये जायेगें।

परिशिष्ट – 4

सामाजिक मानचित्रण

राजस्व ग्राम की जनसंख्या :

पुरूष		महिला		योग (पुरूष + महिला)		कुल जनसंख्या
वयस्क	बच्चे	व्यस्क	बच्चे	व्यस्क	बच्चे	
योग						

पुरूष	महिला	योग

राजस्व ग्राम सामाजिक ढाँचा :

क0 सं0	समुदाय का नाम	कुल परिवारों की संख्या	कुल सदस्यों की संख्या	राजस्व ग्राम की कुल जनसंख्या का प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति			
2.	अनुसूचित जन जाति			
3.	पिछड़ी जाति			
4.	सामान्य जाति			
6.	अन्य			
	योग–			

आर्थिक स्थिति :

क0 स0	आय वर्ग के आधार पर वर्गीकरण परिवार के मुखिया का नाम		
	उच्च आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग	निम्न आय वर्ग

जलागम ग्राम में सार्वजनिक संसाधन सम्पत्ति :

क्र0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	सार्वजनिक संसाधन सम्पत्ति	ग्रामीणों की सम्पत्ति उपयोग में सहभागिता
		1. सिविल सोयम भूमि 2. वन पंचायत 3. आरक्षित वन 4. ग्राम सभा भूमि 5. चारागाह 6. नदी 7. तालाब 8. गूल /नहर 9. नौला 10. चाल/खाल 11. पंचायत भवन 12. अन्य	

नोटः– उपयोग के आधार पर वर्गीकरण
किसी के भी द्वारा उपयोग नही किया जा रहा है, (अ). समानता के आधार पर उपयोग किया जा रहा है, (ब). असमान आधार पर उपयोग किया जा रहा है, (स). अन्य, (द) (टिप्पणी सहित)

पेयजल की स्थिति

जलागम गाँवों में उपलब्ध जल संसाधन :

क्र0 सं0	राजस्व ग्राम	श्रोत/धारा (संख्या)	स्टेन्ड पोस्ट (संख्या)	हौज (संख्या)	तालाब (संख्या)	चाल/खाल (संख्या)	गूल (मीटर में)	अन्य	अभ्युक्ति (कार्यशील या बेकार)

जलागम गाँवों में उपलब्ध जल संसाधन : स्टैन्ड पोस्ट

क्र0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	स्टेन्ड पोस्ट की संख्या तथा क्षमता का विवरण					स्रोत का विवरण	स्रोत की दूरी (कि0 मी0)	उपयोग की स्थिति – सिंचाई, पेयजल आदि
		कुल संख्या	12 माह उपयोगी	9 माह तक	6 माह तक	6 माह से कम			

जलागम गाँवों में उपलब्ध जल संसाधन : हौज

क्र0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	हौज की संख्या तथा क्षमता का विवरण					उपयोग की स्थिति–सिंचाई, पेयजल आदि
		कुल संख्या	12 माह उपयोगी	9 माह तक	6 माह तक	6 माह से कम	

जलागम गाँवों में उपलब्ध जल संसाधन : चाल/खाल

क0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	चाल/खाल की संख्या तथा क्षमता का विवरण					उपयोग की स्थिति–सिंचाई, पेयजल आदि
		कुल संख्या	12 माह उपयोगी	9 माह तक	6 माह तक	6 माह से कम	

जलागम गाँवों में उपलब्ध जल संसाधन : गूल

क0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	गूल की संख्या तथा क्षमता का विवरण			क्षोत का विवरण	क्षोत की दूरी (कि0 मी0)	उपयोग की स्थिति–सिंचाई, पेयजल आदि
		गुल की लम्बाई (मीटर में)	उपयोग में लाये जाने वाले महीनों की संख्या	सिंचन क्षमता (है0 में)			

जलागम ग्राम में शिक्षण संस्थानों की स्थिति :

क0 स0	शिक्षण संस्थान (बेसिक, हाईस्कूल, इन्टरमीडिएट)	शिक्षण संस्थान की दूरी	औसत विद्यार्थियों की संख्या जो संस्था में शिक्षा प्राप्त कर रहे हों (प्रति वर्ष)		
			छात्र	छात्रा	कुल

जलागम ग्राम में स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति :

कम संख्या	स्वास्थ्य केन्द्र (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल)	स्वास्थ्य केन्द्र की दूरी	औसतन उपलब्ध करायी जा रही चिकित्सा सुविधा (प्रति माह)		
			पुरूष	महिला	कुल

प्रारूप– ब

क्र0 सं0	परिवार के मुखिया का नाम	स्वयं के स्रोतों से उपलब्धता				बाजार से क्रय की स्थिति			
		चारा	ईधन	खाद	अन्य	चारा	ईधन	खाद	अन्य

नोट : स्वयं के स्रोतो से उपलब्धता कॉलम में पर्याप्त उपलब्धता हेतु – अ. सामान्य उपलब्धता हेतु, ब. तथा न्यून उपलब्धता हेतु, स. अंकित किया जाय। बाजार से क्रय की स्थिति प्रतिशत में अकिंत करें।

परिवार स्तर पर कृषि भूमि का वर्गीकरण :

प्रारूप– अ

क0 स0	परिवार के मुखिया का नाम	कुल कृषि भूमि	सिंचित क्षेत्रफल (है0 में)	असिंचित क्षेत्रफल (है0 में)

परिवार स्तर पर कृषि भूमि का वर्गीकरण

प्रारूप– ब

क0स0	परिवार के मुखिया का नाम	कुल सिंचित कृषि भूमि	
		औद्यानिकी हेतु भूमि उपयोग क्षेत्रफल (है0)	कृषि हेतु भूमि उपयोग क्षेत्रफल (है0)

प्रारूप– स

क0 सं0	परिवार के मुखिया का नाम	कुल असिंचित भूमि		
		औद्यानिकी हेतु भूमि उपयोग क्षेत्रफल (है0)	कृषि हेतु भूमि उपयोग क्षेत्रफल (है0)	अन्य कार्य

परिवार स्तर पर कृषि एवं सम्बन्धित कार्यो की उत्पादकता का विवरण :

क0 स0	परिवार के मुखिया का नाम	कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्र की उत्पादकता											
		कृषि प्रति है0 उत्पादन (कु0)				औद्यानिकी प्रति है0 उत्पादन (कु0)				पशुपालन प्रति पशु उत्पादन			चारा उत्पादन प्रति है0 (कु0)
		गेहूं	धान	दालें	अन्य	फल	सब्जी	फूल	अन्य	दूध	मॉस	अण्डा	

परिशिष्ट– 6

जीविकोपार्जन मानचित्रण

जीविकोपार्जन के प्रकार :

क्रं0 सं0	परिवार के मुखिया का नाम	जीविकोपार्जन के प्रकार अनुसार ग्रामीणों का वर्गीकरण														
		कृषि		औद्यानिकी				पशुपालन				निजी व्यवसाय	सेवारत		मजदूरी	अन्य
		जैविक	अजैविक	फल	सब्जी	मसाले	फूल	गाय/ भैस	बकरी	मुर्गी	मछली		निजी	सरकारी		

जीविकोपार्जन से प्राप्त औसत आय :

क 0 सं 0	ग्रामीण का नाम	जीविकोपार्जन के प्रकार अनुसार वार्षिक औसत आय (हजार रू में)														
		कृषि		औद्यानिकी				पशुपालन				निजी व्यवसाय	सेवारत		मजदूरी	अन्य
		जैविक	अजैविक	फल	सब्जी	मसाले	फूल	गाय/भैस	बकरी	मुर्गी	मछली		निजी	सरकारी		

:

परिवार में जीविकोपार्जन का स्तर

क्र0 सं0	कुल परिवारों की संख्या	राजस्व ग्राम में कुल व्यस्क ग्रामिणों की संख्या		ग्राम में जीविकोपार्जन कर रहे व्यस्क ग्रामिणों की संख्या	
		पुरूष	महिला	पुरूष	महिला

परिवार स्तर पर आय का विवरण :

क0 सं0	सामाजिक मानचित्र के अनुसार मकान न0	परिवार के मुखिया का नाम	विभिन्न स्रोतों से परिवार को प्रति माह प्राप्त आय (रू0 में)							
			औद्यानिकी कार्य	कृषि कार्य	पशुपालन	व्यवसाय	स्वरोजगार	नौकरी	मजदूरी	अन्य	कुल

परियोजना क्षेत्र में गठित समूहों का विवरण :

क्र0 स0	समूह का नाम	समूह के प्रकार	समूह का गठन वर्ष	कुल सदस्य (संख्या)	गरीब वर्ग के सदस्य (सख्या)	समूह द्वारा मुख्य रूप से किये जा रहे कार्यो का विवरण	समूहों की वार्षिक आय	समूहों का शुद्ध लाभ

परिशिष्ट– 7

नैट प्लानिंग मानचित्रण

जलागम गाँवों में वर्तमान भूमि उपयोग (क्षेत्रफल – हैक्टेयर में) :

क0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	कुल भौ0 क्षेत्र	वन क्षेत्र			कृषि भूमि		औधानिकी	बंजर भूमि	घास/ चारागाह	कृषि अयोग्य	अन्य भूमि
			वन पंचायत	रिजर्व फॉरेस्ट	सिविल सोयम	सिंचित	असिंचित					

सिंचित भूमि का वर्गीकरण :

क0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	सिंचित भूमि का वर्गीकरण (है0)		
		कृषि कार्य हेतु	औद्यानिकी हेतु	चारे हेतु

जलागम क्षेत्र में सिंचित क्षेत्रान्तर्गत फसल चक्र एवं उत्पादकता (कुन्तल प्रति हैक्टेयर में) :

क0 सं0	फसल का प्रकार	फसल का नाम	फसल चक (खरीफ, रवी, जायद)	सिंचन का स्रोत (वर्षा आधारित, टयूबवैल, गूल, तालाब, इत्यादि)	क्षेत्रफल (है0)	कुल उत्पादन (कु0)	उत्पादकता (कु0 प्रति)	अनुमानित लागत (रू0 प्रति)
1.	कृषि सम्बन्धित फसलें							
2.	फल							
3.	सब्जी							
4.	मसाले							
5.	फूल							

जलागम क्षेत्र में वर्षा आधारित क्षेत्रान्तर्गत फसल चक्र एवं उत्पादकता (कुन्तल प्रति हैक्टेयर में) :

क0 सं0	फसल का प्रकार	फसल का नाम	फसल चक (खरीफ, रवी, जायद)	सिंचन का स्रोत (वर्षा आधारित, टयूबवैल, गूल, तालाब, इत्यादि)	क्षेत्रफल (है0 में)	कुल उत्पादन (कु0)	उत्पादकता (कु0 प्रति)	अनुमानित लागत (रू0 प्रति)
1.	कृषि सम्बन्धित फसलें							
2.	फल							
3.	सब्जी							
4.	मसाले							
5.	फूल							

राजस्व ग्राम में भूमि विभाजन की स्थिति :

क0 स0	राजस्व ग्राम का नाम	सीमान्त (0.5 से कम)		लघु कृषक (0.5 से 1.0 है0)		अर्द्ध मध्यम (1.1 से 4.0 है0)		मध्यम (4.1 से 10.0 है0)		वृहद 10 है0 से ऊपर)		कुल		भूमिहीन सं0
			क्षे0	सं0	क्षे0	सं0	क्षे0	सं0	क्षे0	सं0	क्षे0	सं0	क्षे0	

मृदा का स्वरूप एवं क्षमता :

क0 सं0	भूमि का प्रकार	मृदा का प्रकार (बलुई दोमट, दोमट बलुइ, दोमट चिकनी, दोमट)	कुल भूमि (है0में)	मृदा की गहराई के आधार पर वर्गीकरण (है0 में)					ढाल के आधार पर वर्गीकरण (है0 में)#			
				7.5 से0मी0 से कम	7.6 से 22.5 से0 मी0	22.6 से 45 से0 मी0	45.1 से 90 से0 मी0	90 से0मी0 से अधिक	1–10%	11–33 %	34–50%	51–100%
1.	कृषि योग्य											
2.	कृषि अयोग्य											
3.	वन क्षेत्र											

भूमि का ढाल प्रतिशत S=(V/H) x 100 सूत्र से निकाला जायेगा । S = भूमि ढाल प्रतिशत , V = ऊर्ध्व दूरी (मी0), H = क्षैतिज दूरी (मी0)

पोषक तत्वों की मात्रानुसार वर्गीकरण :

क0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	राजस्व ग्राम में विभिन्न ऊचाँईयों की भूमि	मृदा में पौष्टिक तत्वों की उपलब्धता								
			मैको न्यूट्रियन्ट					माइको न्यूट्रियन्ट			
			पी0 एच0 (P^H)	जैविक कार्बन (C)	एन0 (N)	पी0 (P)	के0 (K)				
		निम्न क्षेत्र									
		मध्य क्षेत्र									
		उच्च क्षेत्र									

जल संसाधनों के पर्याप्ता की स्थिति :

क0 सं0	जल संसाधन स्रोत	जलागम ग्राम में वास्तविक जल की आवश्यकता (KLD)			जलागम ग्राम में उपलब्ध जल संसाधना जल पूर्ति (KLD)/%			जलागम ग्रामों में जल की कमी (KLD)/%			टिप्पणी
		सिंचाई	पेयजल	अन्य उपयोग	सिंचाई	पेयजल	अन्य उपयोग	सिंचाई	पेयजल	अन्य उपयोग	
1	श्रोत/धारा										
2	स्टैन्ड पोस्ट										
3	हौज										
4	तालाब										
5	चाल/खाल										
6	गूल										
7	अन्य										
	योग										

कृषि के अन्तर्गत भूमि उपयोग :

क0 स0	भूमि उपयोग	क्षेत्रफल (है0)		*फसल सघनता %
		कृषि भूमि	कुल वार्षिक फसल	
	सिंचित –			
	(अ) एक फसली			
	(ब) द्विफसली			
	(स) त्रिफसली			
	असिंचित–			
	(अ) आकस्मिक फसली			
	(ब) एक फसली			
	(स) द्विफसली			
	(द) त्रिफसली			

*फसल सघनता प्रतिशत =(कुल वार्षिक फसल क्षेत्रफल/कुल कृर्षि भूमि क्षेत्र) x 100

मृदाक्षरण प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल :

क0 सं0	मृदा क्षरण से प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल (है0)							
	अत्यधिक मृदा क्षरण		सामन्य मृदा क्षरण		न्यून मृदा क्षरण		कुल मृदा क्षरण	
	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित

भूमि कटाव से प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल :

कं0 सं0	भूमि कटाव से प्रभावित भूमि (है0)			
	सिंचित	असिंचित	कुल	टिप्पणी
1	2	3	4	5

नोट :– इस पी0आर0ए0 अध्ययन के साथ भूमि उपयोग मानचित्र एवं एल0सी0सी0 मानचित्र भी संलग्न किया जायेगा।

परिशिष्ट–8

समस्याओं का आंकलन एवं उनके निदान हेतु परियोजनान्तर्गत सम्भावित सहयोग

क0 सं0	क्षेत्र	सम्भावित समस्याएं	समस्याओं के निराकरण हेतु कठिनाईयां	समस्याओं के सम्भावित निदान	निदान हेतु परियोजनान्तर्गत आवश्यक सहयोग	सम्भावित लाभ
1	2	3	4	5	6	7
1.	भूमि एवं जल संरक्षण	• मृदा क्षरण • सीमित उत्पादकता • वानस्पतिक विकास • सीमित सतही एवं भूमिगत जल स्रोत	• भूमि की अत्याधिक ढाल • अनियन्त्रित जल निकासी • अत्याधिक मृदा क्षरण • बॉध रहित भूमि • मृदा की निम्न गुणवत्ता • सीमित वानस्पतिक विकास • जल आपूर्ति साधनों की न्यून सिंचन क्षमता • जल आपूर्ति साधनों से अनियंत्रित जल रिसाव • अत्याधिक वर्षा	• जल संचन बॉधों का पुनरोद्धार एवं नये संचन बॉधों का निर्माण • वर्तमान जल आपूर्ति साधनों का पुनरोद्धार एवं नया निर्माण • जल विपथक (Diversion Drain), समोच्च खन्तियां (Counter trenches) , रोक दिवारें (Retaining Wall), उद्यान पुस्तें, अर्द्ध चन्द्राकार पुस्ते और वाटलिग आदि का निर्माण • मेड़बन्दी, सीढीनुमा खेत, समतलीकरण आदि • जैविक या यांत्रिक चैकडैम का निर्माण • उपचार उपरान्त वनीकरण एवं औद्यानिकी विकास • वर्तमान वन क्षेत्र की सुरक्षा • जल सम्वर्द्धन हेतु विभिन्न भूमि एवं जल संरक्षण उपाय • पारम्परिक जल स्रोतों का संरक्षण एवं पुनरोद्धार तथा नये जल स्रोतों का निर्माण • जल संरक्षण के उपाय	• वानस्पतिक चैकडैम, ड्राईस्टोन, केटवायर चैकडैम का निर्माण • क्रास बैरियर, रोक दीवार, स्पर निर्माण • गूल निर्माण, सिंचन टैंक के साथ पाइप लाइन • ग्रामीण तालाब निर्माण • परकोलेशन टैंक का निर्माण • चाल, खाल, नाल का पुनरोद्धार • रूफ वाटर हारवेस्टिंग टैंक • सीढ़ीदार खेत निर्माण (Terrace Repair)	• भूमि एवं जल संरक्षण • उत्पादकता में वृद्वि • भूमिगत जल के स्तर में वृद्वि
2.	वनीकरण	• मृदा क्षरण • वनों का पतन	• गौण वन उपज की आवश्यकता • जलौनी लकड़ी की आवश्यकता • चारे हेतु वन भूमि में मानवीय हस्तक्षेप • इमारती लकड़ी की आवश्यकता	• वन क्षेत्रों में मृदा क्षरण रोकने हेतु भूमि संरक्षण उपाय • पतित वन क्षेत्रों का पुनरोद्धार • वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतो से ईधन की पूर्ति • ग्रामीणों को गौण वन उपज की आंशिक पूर्ति हेतु वन पंचायत अथवा सामूदायिक भूमि के उपयोग हेतु प्रोत्साहन • चारा प्रजाति के वृक्षों का रोपण	• वन क्षेत्रों में चारा प्रजाति के वृक्षों, जलौनी लकड़ी हेतु सम्बन्धित वृक्षों, बैम्बू तथा विभिन्न प्रकार के वृक्षों के रोपण हेतु 5 वर्षो की सहायता • ग्रामीणों को जड़ी बूटी तथा औषधीय पौध की खेती को प्रोत्साहन • ग्रामीणों की ईधन आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए वैकल्पिक ईधन स्रोतों जैसे– पाईन ब्रिकेट, सोलर कुकर अथवा बायोगैस प्लान्ट स्थापना हेतु सहायता • वानिकी हेतु नर्सरी की स्थापना	• वन क्षेत्रों का विस्तार • जलवायु में परिर्वतन

क्र0 सं0						
3.	पेयजल	• पेयजल की गुणवत्ता • पेयजल की उपलब्धता	• अत्यधिक वर्षा के कारण पेयजल लाईन का क्षतिग्रस्त होना • भूमिगत जल के असमान रूप से मौजूद होने के कारण वर्ष पर्यन्त पेयजल की अनुउपलब्धता • पारम्परिक जल स्रोतों का रखरखाव न होना • भूमिगत जल का स्तर निम्न होना	• पारम्परिक जल स्रोतों का संरक्षण एवं पुनरोद्धार • भूमिगत जल के स्तर को उच्च करने हेतु जल सम्वर्धन कार्यक्रमों का विस्तार करना • ग्राम में स्वच्छ जलापूर्ति उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न संसाधन उपलब्ध कराना	• चाल, खाल, नाल का संरक्षण एवं पुनरोद्धार • ग्राम में स्वच्छ जलापूर्ति हेतु पेयजल लाईन एवं हैण्डपम्प आपूर्ति • स्वच्छ जलापूर्ति हेतु नलकूप निर्माण • वानस्पतिक चैकडैम, ड्राईस्टोन, केटवायर चैकडैम का निर्माण • वनीकरण हेतु सहायता तथा खन्तियां निर्माण	• गुणवत्ता युक्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी
4.	पलायन	• युवाओं का अत्यधिक पलायन • ग्राम में शिक्षा एवं चिकित्सा की गुणवत्तायुक्त सेवा उपलब्ध न होना	• ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव • ग्राम स्तर पर निम्न मजदूरी दर • ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादों के विपणन की उचित व्यवस्था उपलब्ध न होना • चिकित्सको का अभाव व ग्रामीण क्षेत्रों के कार्य करने में रूची न होना	• ग्राम स्तर पर रोजगार के साधन सुलभ कराना • बेरोजगार ग्रामीणों को स्वरोजगार हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराना • ग्रामीण उत्पादों के विपणन हेतु उचित बाजार उपलब्ध कराना • ग्रामीणों की निर्धारित पलायन अवधि के दौरान मजदूरी सम्बन्धित कार्यो का प्राथमिकता पर निष्पादन कराना • ग्राम स्तर पर शिक्षा एवं चिकित्सा के स्तर को उच्चीकृत करना • चिकित्सको को प्रोत्साहन देना व सेवा आवश्यक करना	• ग्राम स्तर पर मुर्गी, सुकर पालन, बकरी, मछली एवं पशु पालन हेतु सहायता • बेरोजगार युवाओं का स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता विकास करना एवं सम्बन्धित अवस्थापनाओं को उपलब्ध कराना जैसे– बढई, नाई, मोची, दरजी, टैण्ट हाउस, ब्यूटी पार्लर, बैण्ड आदि • ग्रामीण उत्पादों के विपणन हेतु आवश्यक सहायता • मजदूरी सम्बन्धी कार्य स्थानीय ग्रामीणों के माध्यम से करवाना तथा अन्य विभागों की सम्बन्धित योजनाओं से लाभ प्राप्त करना • चिकित्सको को अतिरिक्त लाभ देना	• अनुमानतः 25 प्रतिशत पलायित ग्रामीणों की संख्या में कमी होगी। • भूमिहीन ग्रामीण लाभान्वित होगें • बैहलर स्वस्थय सुविधा मिलेगी
5.	कृषि	• उत्पादकता • सिंचाई • वित्तीय उपलब्धता • तकनिकी मार्ग दर्शन • निवेश उपलब्धता	• असमान वषा एवं सूखा • मृदा की निम्न गुणवत्ता • अधिकांश भूमि वर्षा आधारित • अधिकांशतः छोटी–छोटी एवं छितरी हुई जोत मौजूद होना	• भूमि एवं जल संरक्षण उपायों को बढावा देना • मृदा की गुणवत्ता के आधार पर फसलों के चयन हेतु तकनिकी मार्ग–दर्शन देना • सिंचन हेतु पारम्परिक स्रोतों का संरक्षण एवं नये साधानों का विस्तार करना • कृषकों को उनकी आवश्यकता अनुसार समय पर तकनीकी निवेश उपलब्ध कराना	• वानस्पतिक चैकडैम, ड्राईस्टोन, केटवायर चैकडैम का निर्माण • क्रास बैरियर, रोक दीवार, स्पर निर्माण • गूल निर्माण, सिंचन टैंक के साथ पाइप लाइन • ग्रामीण तालाब निर्माण • सीढ़ीदार खेत निर्माण (Terrace Repair) • मृदा की जॉच एवं soil card बनाने हेतु सहयोग • कृषकों को उनकी आवश्यकतानुसार उच्च गुणवत्ता के बीज तथा आवश्यक कृषि उपकरण उपलब्ध कराना • जैविक खाद्य की उपलब्धता हेतु आवश्यक सहयोग • कृषकों का क्षेत्र भ्रमण एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराना	• भूमि एवं जल संरक्षण • उत्पादकता में वृद्वि • कृषक की आय में वृद्वि

क्र0 सं0						
6.	औघानिकी	• जानकारी का अभाव, सीमित ज्ञान एवं क्षमता • उत्पादन पश्चात प्रबन्धन • विपणन	• ग्रामीणों द्वारा पारंपरिक रूप से अपनाई जा रही विधि को ना छोडना • पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों का अवरूद्ध होना तथा दुर्गम क्षेत्रों में पहुँच मार्गो की सीमित उपलब्धता • उत्पाद के त्वरित विक्रय न होने की दशा में प्रबंधन का अभाव • सशक्त विपणन नेटवर्क का अभाव • असमान विक्रय दर	• ग्रामीणों को औघानिकी क्षेत्र में नवीनतम जानकारीयां उपलब्ध कराना • मार्ग अवरूद्व होने की दशा में उत्पादों के सही प्रबन्धन हेतु आवश्यक सेवाएं उपलब्द्ध कराना • उत्पादों के विपणन हेतु कृषकों की समितीयॉ बनाकर उसे फेडरेट करना • ग्रामीण स्तर पर छोटी–छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाईयॉ स्थापित करना	• वैज्ञानिक विधि से नये उद्यानों के विकास एवं पुराने उद्यानों के पुनरोद्धार हेतु सहायता • विभिन्न फलों एवं सब्जीयो की सघन बागवानी हेतु सहायता • जडी–बूटी, मसालों तथा पुष्प उत्पादन क्षेत्र के विस्तार हेतु सहायता • पॉलीहाउस निर्माण हेतु सहायता • छोटी–छोटी फल एवं सब्जी प्रसंस्करण इकाइयों हेतु सहायता • उत्पाद के विपणन हेतु बाह्य संस्थाओं से सहयोग	• कृषकों की आय में वृद्वि
7.	पशुपालन	• पशुचारे की सीमित उपलब्धता • निम्न गुणवत्ता की स्थानीय नस्लों की बहुतायत • पशुओं की कम उत्पादकता • पशुपालन की पारम्परिक विधि • पशु स्वास्थ • विक्रय मूल्य	• पर्याप्त भूमि की उपलब्धता न होने के कारण चारे की कमी • विषम भौगोलिक परिस्थितिया होने के कारण उच्च नस्ल के पशुओं का जीवन यापन कठिन • विषम भौगोलिक परिस्थितिया होने के कारण सीमित पशु चिकित्सा सेवाएँ • विपणन नेटवर्क सुदृण न होने के कारण पशु उत्पादो का उचित मुल्य प्राप्त न होना	• सामुदायिक भूमि एवं वन पंचायतों में चारा विकास कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना • स्थानीय स्थितियों एवं आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए नस्ल सुधार कार्यक्रमों का विस्तार • ग्राम स्तर पर पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार • पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाये जाने हेतु प्रोत्साहन • पशु उत्पादों के विपणन हेतु प्रभावी रणनीति	• समूदायिक भूमि एवं वन पंचायतों में चारा घास एवं वृक्षों के रोपण हेतु सहायता • कृषकों को हरे चारे हेतु चारा मिनी किट तथा चारा घास रोपण हेतु सहायता एवं चैफ कटर स्थापना • हरे चारे में लम्बे समय तक पोषक तत्व संरक्षित रखने के लिए साइलेज निर्माण हेतु सहायता • चारे के अतरिक्त स्रोत के रूप में एजोला फार्मिंग हेतु सहायता • प्राथिमिक चिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पैरावट हेतु सहायता • नस्ल सुधार हेतु नैसर्गिक गर्भाधान सुविधा • पशु चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु पशु प्रर्दशनी एवं टीकाकरण कैम्प • वैज्ञानिक विधि से पशुपालन हेतु पशुशाला, नाद एवं चरी हेतु सहायता • पशु उत्पादों के विक्रय हेतु आवश्यक अवस्थापनाओं के कयार्थ निधार्रित सीमा में सहायता	• ग्रामीणों की आय में वृद्वि • पशु उत्पादों की उपलब्धता • चारे में स्वंय निर्माणता

संलग्नक-2

Integrated Watershed Management Programme

Format for Annual Action Plan

Department of Land Resources,
Ministry of Rural Development,
Government of India

Format for Annual Action Plan for IWMP

I. Introduction

II. Profile of the Watershed Project

III. Area details of the project

IV. Agro-climatic condition

V. Infrastructure in the project area

VI. Demography and land distribution

VII. Institutional arrangement

VIII. Planning

IX. Capacity Building

X. Project activities

XI. Funding for the project

XII. Expected outcomes

Format for Annual Action Plan for IWMP

I). INTRODUCTION

(i) Name of the State :

(ii) Name of the District :

(iii) Names of the Blocks :

(iv) Name of the project :

(v) Financial Year of sanction :

(vi) Project duration : From..... to.....

(vii) Map of the project area showing village boundaries, contours and drainage.

II). PROFILE OF THE WATERSHED PROJECT:

Table –AP1: Project at a Glance

1	Name of the State	
2	Name of the project	
3	Name of the District	
4	Names of the Blocks	
5	Names of Gram Panchayats	
6	Names & Census Code of Villages covered	1. 4. 2. 5. 3. 6.
7	Four major reasons for selection of watershed	
8	Name, Address & Phone No. of the PIA(s)	
9	Date of approval of Watershed Development Plan by the DPC	
10	Area of the Project (ha.)	
11	Area proposed to be treated (ha.)	
12	Financial Year of sanction	
13	Project duration	
14	Project Cost (Rs. in Lakhs)	
15	Date of Sanction by State authority	
16	Date of Release of 1st Installment of Central Assistance (To be filled by DoLR)	
16	Any other, please specify	

III (i). AREA DETAILS OF THE PROJECT

Table – AP2(i):Details of the types of areas covered under the project

(Area in Ha.)

1	2	3	4			5				
S. No.	Area of the project	Name of micro watershed and Code No. (as per codification)	Land use type of proposed area			Ownership pattern of the proposed area				
			Cultivated rainfed area	Uncultivated wasteland		Pvt. Agri. Land	Forest land	Comm-unity land	Others (pl.specify)	Total
				Temporary fallow	Perma-nent fallow					

Table-AP2(ii): Details of the types of areas covered under the project

1	2	3	4					5			
S. No.	Area of the project	Name of micro watershed and Code No. (as per DoLR's unique codification)	No. of beneficiaries covered					Identified DPAP/ DDP Blocks covered			
			M F	S F	L F	Landless	Total	DPAP		DDP	
								No. of blocks	Area	No. of blocks	Area

IV. AGRO-CLIMATIC CONDITION

Briefly describe the agro-climatic condition of project area including the Agro-climatic zone of project area, soil types, rainfall, major crops, etc.

Table – AP 3: Details of Agro-climatic condition

1	2	3	4	5	6		7	8	
S. No.	Name of the Project	Name of the Agro-climatic zone covers project area	Area in ha	Names of the villages	Major soil types		Average rainfall in mm (preceding 5 years average)	Major crops	
					a)Type	b) Area in ha		a) Name	b) Area in ha

Table-AP 4: Details of flood and drought in the project area

1	2	3	4		5
Sl. No.	Particulars	Villages	Periodicity		Not affected
			Annual	Any other (please specify)	
1	Flood	No. of villages			
		Name(s) of villages			
2	Drought	No. of villages			
		Name(s) of villages			

Table-AP 5 : Details of soil erosion in the project area

1		2	3	4	5
Cause		Type of erosion	Area affected (ha)	Run off (mm/ year)	Average soil loss (Tonnes/ ha/ year)
Water erosion					
	a	Sheet			
	b	Rill			
	c	Gully			
Sub-Total					
Wind erosion				NA	
Total					

V. INFRASTRUCTURE IN THE PROJECT AREA

Table-AP 6: Details of infrastructure in the project area

1	2	3			
S. No.	Parameters	Status			
(i)	No. of villages connected to the main road by an all -weather road				
(ii)	No. of villages provided with electricity				
(iii)	No. of households without access to drinking water				
(iv)	No. of educational institutions : Primary(P)/ Secondary(S)/ Higher Secondary(HS)/ vocational institution(VI)	(P)	(S)	(HS)	(VI)
(v)	No. of villages with access to Primary Health Centre				
(vi)	No. of villages with access to Veterinary Dispensary				
(vii)	No. of villages with access to Post Office				
(viii)	No. of villages with access to Banks				

(ix)	No. of villages with access to Markets/ mandis				
(x)	No. of villages with access to Agro-industries				
(xi)	Total quantity of surplus milk				
(xii)	No. of milk collection centres (e.g. Union(U)/ Society(S)/ Private agency(PA)/ others (O))	(U)	(S)	(PA)	(O)
(xiii)	No. of villages with access to Anganwadi Centre				
(xiv)	Any other facilities with no. of villages (please specify)				

VI. DEMOGRAPHY AND LAND DISTRIBUTION

Growth in population during the last three census' , per capita availability of land, sex ratio, population age group in the project area, literacy level, migration, workforce available in different sectors of the economy, demography of SC, ST, BPL and landless families in the project area in the last ten years, etc.

Table-AP 7: Details of land holding pattern in the project area

1	2	3	4	5	6		
S. No.	Name of the villages	Type of Farmer	No. of households	No. of BPL households	Land holding (ha)		
					Irrigated	Rainfed	Total
		(i) Large					
		(ii) Small					
		(iii) Marginal					
		(iv) Landless			NA	NA	NA
		Sub-Total					

VII. INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS:

Table-AP 8: Details of Project Implementing Agency (s)

1	2	
S. No.	Particulars of PIA	
(i)	Date of selection of PIA	
(ii)	Type of organization#	
(iii)	Name of organization	
(iv)	Designation & Address	
(v)	Telephone	
(vi)	Fax	
(vii)	E-mail	

Only the letter assigned to each type, as given below, needs to be typed.

A Line Dept. B Autonomous organization

C Govt. Institute D Research Bodies

E Zila Parishad F Intermediate Panchayat

G Voluntary Organisations H Any other (please specify).

Table-AP9: Details of Voluntary Organization (V. O.) appointed as PIA

1	2	3	4	5	6	7	8		
S. No.	Name of the V.O. PIA	Date of approval by SLNA	Full Address with contact no., website & e-mail	Date of registration as a legal entity	Area(s) of speciali-zation[$]	Experience in watershed related activities (No. of years)	Performance appraisal by Institutional Evaluator		
							Year	Name of Institutional Evaluator	Grading#

Table-AP10: Details of Watershed Development Teams (WDTs) in the project area

1	2	3	4	5	6	7	8	9
S. No.	Name of the PIA	Names of WDT members	M/F#	Age	Qualification / Experience	Description of professional training	Role/ Function##	Date of appointment of WDT member

In column 8, only the letter, assigned as below, ne eds to be typed, except for `J', where the type may be specifically mentioned.

A. Participatory Net Planning (PNP) and Participatory Rural Approach (PRA), Training and Capacity Building
B. Planning
C. Maintenance of Accounts
D. Signing of cheques and making payments
E. Social audit
F. Engineering surveys, drawings and cost estimations
G. Physical verification & measurement
H. Record of labour employed
I. Livelihood opportunities for landless
J. Post project operation, maintenance of assets
K. Any other (please specify)

Table-AP 11: Details of Water and Watershed Management Committee (WWMC)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Sl. No.	Names of WCs	Date of Registration as a Society (dd/mm/ yyyy)	Designation	M/F	SC	ST	SF	MF	LF	Land-less	UG	SHG	GP	Any other	Educa-tional qualifi-cation	Functio n(s) assigne d##
			President													
			Secretary													
			Member													
			Member													
			Member													

In column 17, only the letter assigned, as below, needs to be typed, except for `J', where the type may be specifically mentioned.

A. PNP and PRA
B. Planning
C. Maintenance of Accounts
D. Signing of cheques and making payments
E. Supervision of construction activities
F. Cost Estimation
G. Verification & Measurement
H. Record of labour employed
I. Social Audit
J. Any other (please specify).

Table-AP 12: Details of Project Fund Accounts of DRDA and Water and Watershed Management Committee (WWMC)

1	2						3				
	DRDA project account details						Water and Watershed Management Committee (WWMC) account details				
Sl. No.	Name of the Bank and Branch where project account has been opened	Date of opening the account in the Bank	Account Number	Accoun t type (Saving s/ Current / Others)	Name & Designati on of authorise d persons who operate the account	Name of Watershed Committe e	Name of the Bank and Branch where project account has been opened	Date of opening the account in the Bank	Account Number	Account type (Saving s/ Current/ Others)	Name & Designati on of authorise d persons who operate the account

Table-AP 13: Details of Self Help Groups (SHGs) in the project area

1	2	3				4				5			6			7
S. No.	Names of villages	Total no. of registered SHGs				No. of members				No. of SC/ST in each category			No. of BPL in each category			Date of formation of SHGs
		With only Men	With only Women	With both	Total	Categories	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	
						(i) Landless										
						(ii) SF										
						(iii) MF										
						(iv) LF										
	Total															

Table-AP-14: Details of User Groups

1	2	3				4				5			6			7
S. No.	Names of villages	Total no. of UGs				No. of members				No. of SC/ST in each category			No. of BPL in each category			Date of formation of UGs
		Men	Women	Both	Total	Categories	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	
						(i)Landless										
						(ii) SF										
						(iii) MF										
						(iv) LF										
Total																

(M – Male, F – Female)

VIII. PLANNING

Table-AP 15: Details of Scientific Planning and Inputs in IWMP project

Briefly describe the scientific criteria and inputs used in planning of the project from the suggested list below.

List of scientific criteria/ inputs used
(A) Planning
Cluster approach
Whether technical back-stopping for the project has been arranged? If yes, mention the name of the Institute.
Baseline survey
Hydro-geological survey
Contour mapping
Participatory Net Planning (PNP)
Remote sensing data-especially soil/ crop/run-off cover
Ridge to Valley treatment
Online IT connectivity between Project and DRDA cell/ZP
Availability of GIS layers
1. Cadastral map
2. Village boundaries
3. Drainage
4. Soil (Soil nutrient status)
5. Land use
6. Ground water status
7. Watershed boundaries
8. Activity
Crop simulation models#
Integrated coupled analyzer/ near infrared visible spectroscopy/ medium spectroscopy for high speed soil nutrient analysis
Normalized difference vegetation index (NDVI)#
Weather Stations
(B) Inputs
1. Bio-pesticides
2. Organic manures
3. Vermicompost
4. Bio-fertilizer
5. Water saving devices
6. Mechanized tools/ implements
7. Bio-fencing
8. Nutrient budgeting
9. Automatic water level recorders & sediment samplers
Any other (please specify)

#NDVI - Ratio of the differences of the response of vegetation in the near infrared & red regions of the electromagnetic spectrum

Table-AP16: Details of Convergence of other Schemes in the project area with IWMP project

1	2	3	4	5		6	7	8
S. No.	Name of the village	Names of Departments with Schemes converging with IWMP	Fund made available to IWMP project due to convergence (Rs. in lakh)	Was this fund included in Rs.12,000/ 15,000 per ha		Name of activity/task/structure undertaken with converged funds	Reference no. of activity/ task/ structure in DPR	Level at which decision for convergence was taken[$]
				Yes	No	(a) Structures (b) livelihoods (c) Any other (pl. specify)[#]		

Only letter (a) or (b) or (c) needs to be filled. In cas e more than one activity has been undertaken all the concerned letters may be indicated e.g. (a)+(b)

$ WC/GP/WDT/PIA/DRDA cell/ZP/DPC/SLNA/DoLR -only initials as indicated here need to be entered.

Table-AP17: Public-Private Partnership in the project area with IWMP project

1	2	3	4			5		6	7	8
S. No.	Names of villages	Name of Private Sector Partner Agency	Type of agreement signed			Financial contribution		Partnership Interventions	Expected Outcomes	Comments, if any
			a)MoU	b)Contract	c) Any other (pl. specify)	IWMP	Private sector			

IX). CAPACITY BUILDING

Table-AP18: List of approved Training Institutes[@] for Capacity Building in the project area

1	2	3	4	5	6	7
S. No.	Name of the Training Institute	Full Address with contact no., website & e-mail	Name & Designation of the Head of Institute	Type of Institute[#]	Area(s) of speciali-zation[$]	Accredita-tion details

Central govt. Dept./ State govt. Dept./ Autonomous Body/ Research Institutes/ Universities/ Others (pl. specify)

$ Capacity Building/ Agriculture/ Horticulture/ Animal Husbandry/ Pisciculture/ Remote Sensing/ Water conservation/ Ground water/ Forestry/ livelihoods/ entrepreneurship development/ others (pl. specify)

@ The training institutes must fulfill the conditions mentioned in the operations guidelines.

(i) Technical experts in fields required by IWMP
(ii) Past experiences
(iii) Annual Turnover
(iv) Receives funds either from the Central or State Government
(v) Publications
(vi) Not blacklisted by any Govt. organizations
(vii) Audited accounts
(viii) Organizational structure

Table-AP19: Capacity Building activities in the project

1	2	3	4	5	6		7
S. No.	Project Stakeholders	Total no. of persons	No. of persons trained so far	No. of persons to be trained during current financial year	Sources of funding for training		Name and Address of the Institute where trained
					a)DoLR	b)Any other (pl. specify)	
1	PIAs						
2	WDTs						
3	UGs						
4	SHGs						
5	WCs						
6	GPs						
7	Community						
8	Others (Pl. specify)						

Table-AP 20: Information, Education & Communication (IEC) activities in the project area

1	2	3	4	5
S. No.	Activity	Executing agency	Estimated expenditure (Rs.)	Expected Outcome (may quantify, wherever possible)

X). PROJECT ACTIVITIES

X. (i)- Preparatory phase

Table- AP21: Entry point activities (EPA)

(All financial figures in lakh Rs.)

1	2	3	4	5	6	7	8
S. No.	Names of the villages	Amount earmarked for EPA	Entry Point Activities planned	Estimated cost	Expected outcome	Name of agency which selected the EPA#	Expected month & year of completion (mm/yyyy)

#Was the EPA selected by Gram Panchayat/WC/PIA/WDT/Any other (please specify)

Table - : AP22 Other activities of preparatory phase*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S. No.	Item	Initiation of village level institution	Capacity building	IEC activities	Baseline survey	Hydro-geological survey	Identifying technical support agencies	Resource agreements	Preparation of DPR	Evaluation of DPR	Any other (please specify)
1	Estimated cost										
2	Status of the activity#										
3	Expected month & year of completion (mm/yyyy)										

completed/under process

Watershed Works phase

Table-: AP23-Activities related to Surface water resources in the project areas@

1	2	3	4			5											
			Pre-project			Proposed target											
						Augmentation/ repair of existing structures				Construction of new structures				Total target			
S. No.	Names of villages	Type of structures	No.	Area irrigated (ha)	Storage capacity	No.	Area to be irrigated (ha.)	Storage capacity	Esti-mated cost	No.	Area to be irrigated (ha)	Storage capacity	Esti-mated cost	Area to be irrigated (ha.)	Storage capacity	Esti-mated cost	
		(i) Tank															
		(ii) Pond															
		(iii) Lake															
		(iv) Check dam															
		(v) Percolation tank															
		(vi) Channel															
		(vii) Any others (Please specify)															
	Total																

@ Information on private & public/ community assets may be shown separately.

Table-:AP 24 - Activities related to recharging ground water resources in the project areas@

1	2	3	4		5							6
			Pre-project		Proposed target							
					Augmentation/ repair of existing recharging structures			Construction of new recharging structures			Total target	
S. No	Names of villages	Type of structures	No.	Area irrigated (ha)	No.	Area to be irrigated (ha)	Estimated cost	No.	Area to be irrigated (ha)	Estimated cost	Area to be irrigated (ha)	Estimated cost	Expected month & year of completion (mm/yyyy)
1		(i)Open wells											
		(ii)Bore wells											
		(iii)Any others (Pl. specify)											
		Total for the project											

@ Information on private & public/ community assets may be shown separately

Table-AP25: Activities executed by User Groups in the Project[@]

1	2	3				4	5	6
Sl. No.	Names of villages	Structure/ activity proposed			Expected month & year of completion (mm/yyyy)	No. of UGs involved	Estimated Cost (Rs.)	Amount of WDF to be collected (Rs.)
		Type	No.#	Treatment (ha)				

[@] Information on private & public/ community assets may be shown separately

#for norms please see operational guidelines.

Table- AP26: Activities related to livelihoods by Self Help Groups (SHGs) in the project areas

1	2	2				3
S. No.	Names of the villages	Major activities of the SHGs				No. of SHGs require training
		Name of activity	No. of SHGs involved	Average annual income from activity per SHG	Expected month & year of completion (mm/yyyy)	

Contd..

Table-AP27: Activities related to livelihoods by Self Help Groups (SHGs) in the project areas (contd.)

4				5	6
Total assistance planned for the SHG (Amount in Rs.)				Total annual Income to be generated (Rs.)	Total annual Savings to be done (Rs.)
Loan from revolving fund	Training	Material	Others (pl. specify)		

Table-:AP28- Details of engineering structures in watershed works

1	2	3	4			5			6	7					
S. No.	Names of the villages	Name of structures	Type of treatment			Type of land			Executing agency	Target					
			(i) Ridge area (R)	(ii) Drainage line (D)	(iii) Land dev. (L)	(i) Private	(ii) Community	(iii) Others (pl. specify)	(i) UG (ii)SHG (iii) Others (pl. specify)	No. of units (No./ cu.m. / rmt)	Estimated cost (Rs. in lakh)				Expected month & year of completion (mm/yyyy)
											M	W	O	T	
		Staggered trenching													
		Contour bunding													
		Graded bunding													
		Bench terracing													
		Earthern checks													
		Brushwood checks													
		Gully plug													
		Loose boulder checks													
		Gabion structures													
		Underground dykes													
		Field bunds													
		Any others (pl. specify)													

(M – Materials, W- wages, O- others, T – Total)

* from column no. 2, no. of Districts; from column no. 3, total no. of Projects; from column no. 5, treatment-wise totals, from column no. 6, category-wise totals, from coulmn no. 7, agencywise totals, from column no. 8, total estimated cost, , for the entire State may be indicated at the end of the table

in case two or more activities are executed over same area, the figures in area treated should be accounted only once and should reflect only the actual watershed area treated.

Table-AP29-: Details of activities connected with vegetative cover in watershed works

1	2	3	4			5			6	7			
S. No.	Names of the villages	Name of structure/ work	Type of treatment			Type of land			Executing agency	Target			
			(i) Ridge area (R)	(ii) Drainage line (D)	(iii) Land dev. (L)	(i) Private	(ii) Community	(iii) Others (pl. specify)	(i) UG (ii)SHG (iii) Others (pl. specify)	Area (ha)	No. of plants	Estimated cost (Rs. in lakh)	Expected month & year of completion (mm/yyyy)
		Afforestation											
		Regeneration											
		Agro-forestry											
		Fuel wood											
		Fodder											
		Horticulture											
		Pasture dev.											
		Nursery raising											
		Others (pl. specify)											

in case two or more activities are executed over same area, the figures in area treated should be accounted only once and should reflect only the actual watershed area treated.

Table-AP30: Details of allied / other activities

1	2	3	4			5	6	
S. No.	Names of the villages	Name of activity	Type of land			Executing agency	Target	
			(i) Private	(ii) Community	(iii) Others (pl. specify)	(i) UG (ii)SHG (iii) Others (pl. specify)	Estimated cost (Rs. in lakh)	Expected month & year of completion (mm/yyyy)
		Crop demonstration						
		Sericulture						
		Bee keeping						
		Backyard poultry						
		Small ruminants						
		Other livestock						
		Fisheries						
		Non conventional energy saving devices (bio-fuel)						
		Energy conservation measures						
		Others (pl. specify)						

X. (iii). Livelihoods

Table-AP31:(A) Details of livelihoods created for landless people* - including micro enterprises

1	2	3	4					5	6	7	8					9
			No. of beneficiaries								Sources of funding (Rs.)					
S. No.	Names of the villages	Name of activity	SC	ST	Others	Women	Total	Pre-project income (Rs.)	Expected change in income from project intervention	Funds required for the activity (Rs.)	Project Fund	Beneficiary	Financial institution	NGO	Others	Expected month & year of completion (mm/yyyy)

*Col.no.4 to 8, item-wise total for the project may be given at the end of table

Table-AP32: (B) Details of other livelihoods created for farmers*

1	2	3	4					5	6	7	8					9
			No. of beneficiaries								Sources of funding (Rs.)					
S. No.	Names of the villages	Name of activity	SF	MF	LF	Other	Total	Pre-project income (Rs.)	Expected change in income from project intervention	Funds required for the activity (Rs.)	Project Fund	Beneficiary	Financial institution	NGO	Others	Expected month & year of completion (mm/yyyy)

*Col.no.4 to 8, item-wise total for the project may be given at the end of table

X. (iv). Consolidation and withdrawal phase

Table-AP33: Details of activities in the CPRs in the project areas *

1	2	3	4	5				
				Target				
S. No.	Name(s) of the villages	CPR particulars	Activity proposed	Target area under the activity (ha)	Estimated expenditure (Rs.)	Expected no. of beneficiaries	Estimated contribution to WDF (Rs.)	Expected month & year of completion (mm/yyyy)
		Total for village						
	Total for project							

*Data for the entire project regarding each item may be given in the same format at the end of the table.

XI. FUNDING OF THE PROJECT

Table-AP34: Funding for the IWMP project * (all financial figures in lakh Rs.)

1	2	3		4										5
				Funds from other sources in addition to IWMP funds										
S. No.	Names of villages	IWMP fund		Convergence funds		PPP		Community		Institutional finance		Others (pl. specify)		Total
		Central Share	State Share	Name of Scheme	Amount	Name of private sector	Financial contri-bution	Name	Financial contri-bution	Name	Financial contri-bution	Name	Financial contri-bution	

* from column No. 2 total no. of villages, from column No. 3, total fund, from column No. 4 to 6, category -wise total funds for the entire project may be mentioned at the end of the table

XII. EXPECTED PROJECT OUTCOMES

XI. (i). Expected employment related outcomes:

Table-AP 35: Employment generation

1	2	3										4				
		Wage employment										Self employment				
S. No.	Names of the villages	No. of mandays					No. of beneficiaries					No. of beneficiaries				
		SC	ST	Others	Women	Total	SC	ST	Others	Women	Total	SC	ST	Others	Women	Total

Table-AP 36: (i).Details of seasonal migration from Project area: Pre-project status

1	2	3	4	5	6		7
Sl. No.	Names of villages	No. of persons migrating	No. of days per year of migration	Major reason(s) for migrating	For reduced migration identify major activities of IWMP responsible		Expected reduction in No. of persons migrating
					(a) Structures	(b) Livelihoods	

Table-AP 37: Details of rights conferred in the CPRs of the project area

1	2	3	4		5			
S. No.	Names of the villages	Particular of CPR@	If agreement signed$		Expected No. of beneficiary families			
			Date of signing agreement	Nature of right #	SC	ST	Others	Total

@ In column no.3, the categories given in table no. M(SP)10, column 5 may be filled as required.

$ If agreement not signed, please fill NA.

In column no. 4, only the letter assigned to each type, as given below, needs to be typed.

F for right to fishing [culture, harvest and sale]
Fw for right to collect firewood for domestic purposes
G for right of grazing for cattle and
MFP for right to collect and sell minor forest produces
P for right to passage across the CPR
Rd for right to construct a road for access to individual property
S/M for right to collect and sell sand and minerals
So for right to collect soil for nursery and plantation activities and constructions
T for right to collect timber for construction of house
Wd for right to collect/ use water for drinking
Wi for right to use water for irrigation
O for any right other than indicated above (please specify)

XI. (ii). Water related outcomes:

Table-AP38: Details of average ground water table depth in the project areas (in meters)

1	2	3	4	5	6
S. No.	Names of villages	Sources	Pre-Project level	Expected post-project level	Remarks
		Open wells			
		Bore wells			
		Others (specify)			

The data must be based on the average of the Ground Water Table depth collected by PIA with the help of concerned technical expert in the same sample of 10% of selected wells and bore wells in the villages in the watershed project area, during pre-project.

Table-AP 39: Status of Drinking water*

1	2	3		4		5
S. No.	Names of the villages	Availability of drinking water (no. of months in a year)		Quality of drinking water		Comments
		Pre-project	Expected Post-project	Pre-project	Expected Post-project	

* from column no. 2, total no. of villages implementing the programme, from column no. 3, average no. of months may be given at the end of the table for the entire project.

XI. (iii). Vegetation/ crop related outcomes:

Table-AP 40: Details of Karif crop area and yield in the project areas *

1	2	3	4						5					
Sl. No.	Names of Villages	Name of crops	Pre-project						Expected Post-project					
			Area (ha)		Average Yield (Qtl) per ha.		Total Production (Qtl)		Area (ha)		Average Yield per ha (Qtl)		Total production (Qtl)	
			Irri	Rf.	Irri	Rf.	Irri	Rf.	Irri	Rf.	Irri	Rf.	Irri	Rf.
	Total for the Project													

* From column n o. 2, total number of villages, from column no. 3, total no. of crops; from column no. 4 & 5, the totals for the area, average yield per ha and total production, category -wise, for the entire project may be given at the end of the Table.

Irri. – Irrigated Rf. - Rainfed

Table- AP 41: Details of Rabi crop area and yield in the project areas*

1	2	3	4						5					
Sl. No.	Names of Villages	Name of crops	Pre-project						Expected Post-project					
			Area (ha)		Average Yield (Qtl) per ha.		Total Production (Qtl)		Area (ha)		Average Yield per ha (qtl)		Total production (qtl)	
			Irri	Rf.	Irri	Rf.	Irri	Rf.	Irri	Rf.	Irri	Rf.	Irri	Rf.
	Total for the Project													

* From column no. 2, total number of villages, from column no. 3, total no. of crops; from column no. 4 & 5, the totals for the area, average yield per ha and total production, category -wise, for the entire project may be given at the end of the Table.

Irri. – Irrigated Rf. - Rainfed

Table-AP 42: Details of Zaid/any other seasonal crop area and yield in the project areas *

1	2	3	4						5					
Sl. No.	Names of Villages	Name of crops	Pre-project						Expected Post-project					
			Area (ha)		Average Yield (Qtl) per ha.		Total Production (Qtl)		Area (ha)		Average Yield per ha (qtl)		Total production (qtl)	
			Irri	Rf.	Irri	Rf.	Irri	Rf.	Irri	Rf.	Irri	Rf.	Irri	Rf.
	Total for the Project													

* From column no. 2, total number of villages, from column no. 3, total no. of crops; from column no. 4 & 5, the totals for the area, average yield per ha and total production, category -wise, for the entire project may be given at the end of the Table.

Irri. – Irrigated Rf. - Rainfed

Table-AP43: Increase/ Decrease in area under horticulture*

1	2	3	4	5	
S. No.	Names of Villages	Name of horticulture crop	Existing area under horticulture (ha)	Expected Achievement (ha)	
				Area under horticulture proposed to be covered through IWMP	Change in area under horticulture

* from column no. 2, total no. of villages implementing the programme, from column no. 4 & 5, total area in ha may be given at the end of the table for the entire country.

Table-AP 44: Increase/ Decrease in area under fodder*

1	2	3	4
S. No.	Names of the villages	Existing area under fodder (ha)	Expected Achievement through IWMP(ha)

* from column no. 2, total no. of villages implementing the programme, from column no. 4 & 5, total area in ha may be given at the end of the table for the entire country.

****

संलग्नक-3

F. No. S.21011/1/2009-DDP
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Land Resources

Block 11, 6th Floor,
CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi-110 003

Dated 05th July, 2011

To

1. All members of Steering Committee for IWMP
2. Principal Secretary/ Secretary of Nodal Department for IWMP in all States
3. Chairman, CEO of SLNA in all States

(as per list attached)

Subject: Inclusion of forest areas under IWMP – reg.

Sir,

In continuation to this Department's letter No. Z-11011/18/2009-PPC dt.18.08.2010, it is informed that the Department, in consultation with National Rainfed Area Authority has effected modification in para IX of the Common Guidelines for Watershed Development Projects, 2008 as below:

Para 9. IX: Multi tier Approach: *There would be a multi tier ridge to valley sequenced approach, which should be adopted towards the implementation of the Watershed Development Projects. The higher reaches or the forests are actually where the water sources originate. The approach, therefore, will be to identify an area and first look at the forest and the hilly regions, in the upper water catchments wherever possible. When suitable treatment is undertaken in forest areas in upper catchments with the funding support from watershed development projects then the hardest part of the watershed is tackled. Forest department is managing structures such as check dams, contour-bunds etc. to arrest the erosion and degradation of the forests, which in turn, actually benefit the lower tiers. Thus, in the upper reaches, which are mostly hilly and forested, the onus of implementation would mainly lie with the Forest Departments and the Joint Forest Management Committees (JFMCs). Irrespective of the type of forests, the land forming*

integral part of the selected watershed project area having agriculture/wasteland and forest land use, the fringe-forest areas and the degraded areas needing treatment which have implications for the lower reaches of watershed in terms of runoff/ water yield, soil erosion & sedimentation, fodder, etc should be part of the holistic watershed treatment plan, with major focus on soil & moisture conservation. Works undertaken in such forest areas can be funded through IWMP scheme to derive full advantage of the investments made. All efforts should be made to converge MGNREGA, Afforestation Schemes, etc with IWMP for treatment of forest areas.

You are requested to give effect to the above modification, wherever necessary.

Yours faithfully,

5/7/2011

(Dr. Savita Anand)
Joint Secretary (WM)
(Tel.: 011-2436 2396)

Copy to

1. PPS to Secretary (LR)/ PS to JS(WM), DoLR
2. PS to AS &FA/ PS to CCA, MoRD, Krishi Bhavan, New Delhi
3. The Chief Executive Officer, National Rainfed Area Authority (NRAA), NASC Complex, DPS Marg, PUSA, New Delhi
4. Director (WM)/ AIG (WM)/ DC (WM), DS (M&E), DoLR
5. IFD, DoLR
6. Sr. TD (Shri Vinay Thakur)/ PSA (Shri Naveen Agrawal), NIC-DoLR

संख्या—3568 / x–2—2009—12(9) / 2006 टी0सी0

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल
अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

1. प्रमुख वन संरक्षक,
   उत्तराखण्ड, देहरादून.

2. प्रमुख वन संरक्षक,
   ग्राम वन पंचायत एवं संयुक्त प्रबन्धन
   उत्तराखण्ड, नैनीताल.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग—2 देहरादून: दिनांक 02 नवम्बर, 2009

विषय—वन पंचायतों द्वारा जल संरक्षण, संवर्द्धन एवं मृदा संरक्षण हेतु क्षेत्र उपचार का कार्य समीपस्थ आरक्षित वन क्षेत्रों में किये जाने के सम्बन्ध में.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराया जाना है कि उत्तराखण्ड एक वन बाहुल्य, जैवीय विविधतायुक्त तथा पारिस्थितिकीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य है, जिसका अधिकांश भाग पर्वतीय है। यहां की मिट्टी पथरीली एवं भूमि कटाव से प्रभावित है। अधिकांश नैसर्गिक जल स्रोत प्राकृतिक वनों में उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है। मनुष्य तथा पशुओं के बढ़ते जैविक दबाव, प्राकृतिक संसाधनों यथा मृदा, जल एवं वनस्पति के अवैज्ञानिक दोहन एवं त्रुटिपूर्ण भू—उपयोग गतिविधियों को अपनाने के कारण पारिस्थितिकीय तन्त्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसके फलस्वरूप हमारी जीवनदायिनी नदियों के उच्च जलाग्रहण क्षेत्रों एवं आरक्षित वनों में स्थित पेयजल स्रोतों का ह्रास हुआ है। यह सर्वविदित है कि प्रदेश में वन प्रबन्धन में वन पंचायतों के माध्यम से परम्परागत तौर पर सामुदायिक भागीदारी रही है। वन पंचायतों के प्रबन्धन हेतु प्रदेश में शासन द्वारा उत्तरांचल पंचायती वन नियमावली 2005 विज्ञप्त की गई है। इसके अनुसार वन पंचायतों का मुख्य उद्देश्य वन तथा पर्यावरण की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाना है। इन कार्यों के लिए वन पंचायतों को पृथक रूप से किसी भी कार्यदायी संस्था से धनराशि प्राप्त करने का अधिकार प्राविधानित किया गया है। वर्तमान

क्रमशः 2

My Computer/D/Ansari/.G.O. Letter 2009

C.A.— mithi ;

में मृदा एवं जल संरक्षण तथा संवर्द्धन की आवश्यकता को देखते हुए प्रदेश में विभिन्न विभागों यथा जलागम, कृषि, पेयजल, बैम्बू बोर्ड, बॉयोफ्यूल बोर्ड, ग्राम्य विकास एवं वन विभाग द्वारा क्षेत्र उपचार के विभिन्न कार्यक्रमों का कियान्वयन किया जा रहा है। भविष्य में भी प्रदेश की पेयजल एवं भू—क्षरण से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु भावी परियोजनायें यथा मनरेगा, जलागम विकास (समान मार्गदर्शी सिद्वान्त—2008 के अन्तर्गत), बाह्य सहायतित परियोजनाओं, कैम्पा द्वारा वित्त पोषित वानिकी परियोजनायें इत्यादि में भी इन गतिविधियों को स्थानीय ग्राम समुदाय के साथ सहभागिता के आधार पर कियान्वित किया जाना है। आरक्षित वनों के समीप निवास कर रहे ग्रामीण पारम्परिक रुप से चरान, चुगान अथवा जलौनी हेतु इन वनों पर आश्रित हैं। इन वनों में स्थित जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा मृदा संरक्षण सम्बन्धित कार्यों में स्थानीय समुदाय की वन पंचायतों के माध्यम से भागीदारी सुनिश्चत की जानी चाहिए।

2— अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के साथ वन पंचायतों द्वारा जल संरक्षण, संवर्द्धन एवं मृदा संरक्षण हेतु क्षेत्र उपचार का कार्य समीपस्थ आरक्षित वन क्षेत्रों में किया जा सकेगा—

1. स्थानीय वन पंचायत सम्बन्धित ग्रामों से सटे हुए आरक्षित वन क्षेत्र में क्षेत्र उपचार का कार्य वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में करेगी। इस हेतु वन पंचायत का चयन संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
2. वन पंचायत द्वारा उत्तरांचल पंचायती वन नियमावली 2005 के प्राविधानों के अनुरूप किसी भी परियोजना / कार्यदायी संस्था / विभाग से जल स्रोतों के संवर्द्धन, संरक्षण एवं क्षेत्र उपचार हेतु धनराशि प्राप्त की जा सकेगी।
3. वन पंचायत द्वारा क्षेत्र उपचार हेतु स्थलीय विकास योजना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं परियोजना अधिकारी के तकनीकी एवं वित्तीय मार्ग निर्देशन में तैयार की जायेगी।
4. स्थलीय विकास योजना सम्बन्धित प्रभाग / विभाग / कार्यदायी संस्था / प्रोजेक्ट के कार्ययोजना में दिये गये निर्देशों के अनुरूप होगी एवं सम्बन्धित प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों को ध्यान में रखते हुए स्थलीय विकास योजना अनुमोदित करेंगे।
5. स्थलीय विकास योजना में ऐसा कोई कार्य वन पंचायत अथवा सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावित नहीं करेंगे, जिससे वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के किसी भी प्राविधान का उल्लंघन हो।

क्रमशः 3

My Computer/O/Ansari/ G.O Letter 2009

6. आरक्षित वन क्षेत्रों के लिए अनुमोदित "स्थलीय विकास योजना" में चिन्हित कार्यों के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यथा—आवश्यकता विचलन विवरण तैयार कर प्रभाग की कार्य/प्रबन्ध योजना से होने वाले विचलन के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

7. क्षेत्र उपचार योजना का क्रियान्वयन स्थानीय वन पंचायत एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी तथा सम्बन्धित परियोजना अधिकारी के मध्य एक अनुबन्ध के तहत संयुक्त वन प्रबन्धन के माध्यम से किया जायेगा। अनुबन्ध की शर्तों का अनुपालन उभय पक्षों द्वारा किया जायेगा। किसी एक पक्ष द्वारा अनुबन्ध की शर्तों का अनुपालन न किये जाने पर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित वन पंचायत एवं परियोजना/कार्यदायी संस्था/विभाग का कोई दावा/क्लैम नहीं होगा।

8. क्षेत्र उपचार हेतु अंतिम भुगतान सम्बन्धित (परियोजना/कार्यदायी संस्था/विभाग) के द्वारा वन विभाग/सम्बन्धित विभाग के अधिकृत अधिकारी के सत्यापन के बाद ही सम्बन्धित वन पंचायत को किया जायेगा। वन पंचायतों द्वारा किये गये व्यय का लेखा—जोखा नियमानुसार रखा जायेगा तथा इनके खातों का वार्षिक सम्परीक्षण (आडिट), भारत सरकार के महालेखा नियन्त्रक के द्वारा अधिकृत चार्टेड एकाउन्टेंट फर्म द्वारा किया जायेगा।

9. (क) कार्य सत्यापन तथा कार्य संचालन एवं क्रियान्वयन सम्बन्धित विभाग/परियोजना की निर्धारित गाईड लाईन्स के अनुसार ही Forest (Conservations) Act, 1980 एवं सुसंगत अधिनियमों/नियमावली के प्राविधानों को ध्यान में रखते हुए किये जायेंगे। अधिनियम/नियमावली के किसी प्राविधान का उल्लंघन होने पर सक्षम स्तर से कार्यवाही की जायेगी।

(ख) कार्यदायी संस्था/परियोजना/सम्बन्धित विभाग द्वारा समय—समय पर वन पंचायतों द्वारा आरक्षित वन में करवाये जा रहे क्षेत्र उपचार का स्थलीय सत्यापन एवं अनुश्रवण वन विभाग को पूर्व में सूचित करने के उपरान्त किया जा सकेगा।

10. आरक्षित वन क्षेत्रों में वन पंचायतों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की सुरक्षा का दायित्व परियोजना अवधि के अन्तर्गत वन पंचायतों द्वारा वन विभाग के मार्ग निर्देशन में एम0ओ0यू0 के अनुसार किया जायेगा एवं इस उपचार क्षेत्र का ब्यौरा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा रखा जायेगा।

क्रमश : 4

My Co... /D:/Ansari/ G.O. Letter 2009

—4—

11. सम्बन्धित आरक्षित वनों के उपचार क्षेत्रों में परियोजना अवधि के दौरान अवैध ...न, अवैध शिकार, वन अपराधों एवं अग्नि से सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित वन पंचायत की होगी।

12. आरक्षित वन क्षेत्रों में उपचार के अन्तर्गत किये गये कार्यों के सापेक्ष वन पंचायतों को भविष्य में उपचार क्षेत्र से वन उपज अथवा अन्य कोई लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

13. राज्य स्तर पर प्रमुख वन संरक्षक, (वन पंचायत) एवं वन विभाग की ओर से अन्य सभी विभागों, परियोजनाओं इत्यादि से समन्वय का कार्य करेंगे।

कृपया तद्नुसार यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल)
अपर मुख्य सचिव

संख्या–3108 (1)/X–2–2009, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं यथावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,

02/12/09

(आर०के०मिश्र)
अपर सचिव

My Computer/D:/Ansari/ G.O. Letter 2009

जलागम प्रबन्ध निदेशालय

इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड

फोन : 0135-2760362, 2768712, 2760170

फैक्स : 0135-2762839, 2761002

ई-मेल : uttarakhandslna@gmail.com, wwd–ua@nic.in

वैबसाइट :www.iwmp–uttarakhand.in, wmduk.gov.in/gramya.in